



THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

प्राकृत भारती प्रकाशन : १२ :

जैन, बौद्ध और गीता का समाज दर्शन

लेखक

डा० सागरमल जैन

निदेशक

पालवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान

वाराणसी



प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर

© लेखक

प्रकाशक

१. प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर (राजस्थान)

प्राप्तिस्थान

१. नरन्द्रकुमार सागरमल सराफा, शाजापुर (म० प्र०)
२. मोतीलाल बनारसीदास, चौक वाराणसी-१
३. पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध-संस्थान, आई० टी० आई० रोड, वाराणसी-५
४. प्राकृत भारती संस्थान, यति श्यामलालजी का उपाश्रय,
मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, जयपुर-३०२००२

प्रकाशन वर्ष

सन् १९८२

बीर निर्वाण सं० २५०८

मूल्य : सोलह रुपये मात्र

मुद्रक

बाबूलाल जैन फागुल्ल
महावीर प्रेस,
जैलूपुर, वाराणसी-५

समर्पण

पूज्य पिताजी श्री राजमल जी शक्करखाले
एवं
मातु श्री गंगाबाई
के
चरणों में
सादर एवं सविनय
समर्पित

प्रकाशकीय

प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर, (राजस्थान) के द्वारा 'जैन, बौद्ध और गीता का समाज दर्शन' नामक पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।

आज के युग में जिस सामाजिक चेतना, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की आवश्यकता है, उसके लिए धर्मों का समन्वयात्मक दृष्टि से निष्पक्ष तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है, ताकि समाज के बीच बढ़ती हुई खाई को पाठा जा सके और मनुष्य ममरस जीवन जी सके । इस दृष्टिभिन्नु को लक्ष्य में रखकर पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के निदेशक एवं भारतीय धर्म-दर्शन के प्रमुख विद्वान् डा० सागरमल जैन ने जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों पर एक बृहदकाय शोध-प्रबन्ध आज से लगभग १५ वर्ष पूर्व लिखा था । उसी के समाज दर्शन से सम्बन्धित कुछ अध्यायों एवं अन्य लेखों से प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री का प्रणयन किया गया है । हमें आशा है कि शीघ्र ही उनका महाप्रबन्ध प्रकाश में आयेगा, किन्तु उसके पूर्व परिचय के रूप में यह लघु पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वे उनके विद्वत्तापूर्ण प्रयास का कुछ आस्वाद ले सकें ।

प्राकृत भारती द्वारा इसके पूर्व भी भारतीय धर्म, आचारणास्त्र एवं प्राकृत भाषा के ११ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है, उसी क्रम में यह उसका १२वाँ प्रकाशन है । इसके प्रकाशन में हमें लेखक का विविध रूपों में जो सहयोग मिला है उसके लिए हम उनके आभारी हैं । महावीर प्रेस, भेलूपुर ने इसके मुद्रण कार्य को सुन्दर एवं कलापूर्ण ढंग से पूर्ण किया, एतदर्थं हम उनके भी आभारी हैं ।

देवेन्द्रराज मेहता विनयसागर
सचिव संयुक्त सचिव
प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर (राजस्थान)

प्राक्कथन

समाज दर्शन दर्शनशास्त्र की एक नवीन शाखा है। प्राचीन दार्शनिक जैसे फ्लेटो, अरस्तु आदि ने अपने दार्शनिक चिन्तन में समाज से सम्बन्धित अवधारणाओं, मान्यताओं, नियमों एवं मिथ्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन तो किया है किन्तु उनके दर्शन में समाज दर्शन को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थान नहीं मिला है। दर्शन जगत् में इसे स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है किर भी इसकी आवश्यकता एवं महत्ता के कारण दार्शनिक चिन्तन धारा में इसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया है। यही कारण है कि अनेक दार्शनिक समाजदर्शन को अपने चिन्तन का मुख्य विषय मानने लगे हैं और इसकी विविध समस्याओं एवं विविध प्रश्नों को लेकर अनेक शोध कार्य एवं स्वतंत्र अध्ययन हो रहे हैं तथा अनेक ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। किर भी यह कहना पड़ता है कि इन अध्ययनों में पाश्चात्य चिन्तकों एवं दार्शनिकों की दृष्टि को ही विशेष महत्व मिला है, भारतीय विचार धारा को आधार मानकर इस विषय पर अभी बहुत कम अध्ययन हुए हैं।

भारतीय चिन्तन के साहित्य में समाज दर्शन के विविध पक्षों से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री है किन्तु इस तथ्य को सम्यक् रूप में उद्घाटित करने वाले अध्ययनों की बहुत कमी है। प्रस्तुत ग्रन्थ इस कमी की पूर्ति की दिशा में एक सफल एवं सशक्त प्रयास है। इसमें जैन, बौद्ध एवं गीता के आधार पर समाज दर्शन से सम्बन्धित विविध पक्षों एवं समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ के लेखक डॉ० सागरमल जैन (निदंशक, पाइरनाथ विद्याश्रम शोष संस्थान, वाराणसी) न केवल भारतीय दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ पण्डित हैं अपितु पाश्चात्य दर्शन एवं विशेष रूप से समाज दर्शन के भी रूपातिलब्ध विद्वान् हैं। यह अध्ययन समाज दर्शन के क्षेत्र में नवीन होते हुए भी विद्वात्पूर्ण, गम्भीर एवं विचारोत्पादक है। इस अध्ययन के आधार के रूप में जैन, बौद्ध और गीता को लिया गया है, जो स्वतन्त्र रूप से तीन अवस्थाओं एवं तीन परम्पराओं से सम्बन्धित हैं जिनमें भारतीय समाज की समग्रता सन्निविष्ट है। इसलिए यह ग्रन्थ भारतीय समाजदर्शन का समग्र अध्ययन न होते हुए भी इसका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है।

भारतीय समाज दर्शन की विषय वस्तु एवं क्षेत्र के समुचित निर्वाचन न होने के कारण यह कहना कठिन है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में भारतीय समाज दर्शन के समस्त पहलुओं का समावेश हो सका है अथवा नहीं। किर भी इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि

इसमें भारतीय समाजदर्शन के अधिकांश पहलुओं एवं समस्याओं का समावेश किया गया है। विद्वान् लेखक ने भारतीय चिन्तन के प्राचीन युग को वैदिक युग, औपनिषदिक युग एवं जैन बौद्ध युग में विभक्त कर सामाजिक चेतना के विकास का विवेचन प्रस्तुत किया है। स्वार्थ एवं परार्थ की अवधारणा में विरोध-दृष्टि पाश्चात्य नीतिशास्त्रीय चिन्तकों को परस्पर विरोधी दो वर्गों में विभक्त करती है। हास्य, नीत्से आदि स्वार्थ को मानव के लिए परम स्पृहणीय मानकर स्वार्थवाद की स्थापना करते हैं और इसे ही नीतिशास्त्र के श्रेष्ठ एवं समुचित सिद्धान्त होने का दावा करते हैं। इसके विपरीत मिल, वेद्यम आदि परार्थ को मानव के लिए अनुपेक्षणीय एवं अपरिहार्य मानकर परार्थवाद की स्थापना करते हैं और इसे नैतिकता के मूल्यांकन का उत्कृष्ट मानदण्ड मानते हैं। भारतीय चिन्तन धारा में स्वार्थ एवं परार्थ में विरोध न देखकर सामज्जट्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। लेखक ने स्वहित बनाम लोकहित में बाह्य विरोध प्रदर्शन के साथ अन्तरिक सामज्जट्य की पुष्टि बड़ी कुशलता के साथ की है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ वर्णश्रम व्यवस्था है। इसमें मुख्य रूप में वर्णव्यवस्था को वैदिक परम्परा की देन माना जाता है और यह भी मान्यता देखने को मिलती है कि श्रमण परम्परा का विकास इस वर्ण व्यवस्था की विरोधी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। किन्तु विद्वान् लेखक ने सप्रमाण यह प्रदर्शित किया है कि वर्ण व्यवस्था न केवल ब्राह्मण परम्परा में मान्य रही है अपितु समान रूप से यह श्रमण परम्परा में भी स्वीकृत रही है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ ब्राह्मण परम्परा में वर्ण के निर्धारण की कसीटी के रूप में जन्म एवं कर्म सम्बन्धी विवाद बहुत काल तक चलता रहा है वहाँ जैनाचार्यों एवं बौद्धाचार्यों ने निविवाद रूप से वर्ण निर्धारण की कसीटी के रूप में कर्म को स्वीकार कर लिया है। इसी संदर्भ में स्वधर्म के निर्धारण का प्रश्न भी अपनी जटिलता के साथ उपस्थित होता है। वर्ण व्यवस्था को अपरिवर्तनशील एवं स्थिर मानने वाली वैदिक परम्परा के लिए स्वधर्म की व्याख्या अत्यधिक सहज एवं सरल रूप में हो जाती है। वहाँ वर्ण के लिए विहित कर्मों को वर्णविलम्बी व्यक्ति का स्वधर्म मान लिया जाता है किन्तु वर्ण को परिवर्तनीय एवं अस्थिर माननेवाली जैन एवं बौद्ध परम्परा के लिए स्वधर्म की व्याख्या एक जटिल समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है। इन सभी प्रश्नों का लेखक ने गम्भीरता में विश्लेषण एवं विवेचन करने का प्रयास किया है।

भारतीय समाज दर्शन की मौलिक विशेषता के रूप में लेखक ने सामाजिक नैतिकता के केन्द्रीय तत्त्व का विवेचन बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया है। इसके अन्तर्गत् अहिंसा, अनाश्रह एवं अपरिग्रह की भावना को विशेष महत्व प्रदान किया है तथा यह दिखलाने का प्रयास किया है कि सामाजिक जीवन के विविध आयामों में इन भावनाओं का उपयोग किस प्रकार होता रहा है। साथ ही साथ सामाजिक धर्म एवं सामाजिक दायित्व

का विस्तार पूर्वक विवेचन कर लेखक ने भारतीय समाजदर्शन पर व्यक्तिवादिता के किसी आगोप का स्थान नहीं रखने दिया है। इस प्रकार सामाजिक चेतना से सामाजिक दायित्व तक सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्ति का निरूपण बड़ी सरलता एवं सजीवता के साथ किया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ दर्शनशास्त्र के उन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, शोष छात्रों, विडानों एवं जिज्ञासुओं के लिए अन्यान्य उपयोगी मिळ होगा, जो भारतीय समाज दर्शन का अध्ययन करते हैं या उसमें हुचि रखते हैं। इस प्रकार के उच्चस्तरीय शोष पर आधारित प्रामाणिक ग्रन्थ का प्रणयन कर डॉ० सागरमल जैन ने भारतीय समाजदर्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके लिए सहृदय एवं विचारशील दार्शनिक समुदाय उनका हृदय से आभारी होगा।

डा० रघुनाथ गिरि
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष दर्शन विभाग
संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय, काशी विद्यापीठ वाराणसी

लेखकीय

व्यक्ति समाज का अंग है, समाज से अलग होकर उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। वह जो कुछ है, समाज से ही निर्मित है। मानव शिशु तो इतना असहाय होता है कि वह सामाजिक संरक्षण और सामाजिक सहयोग के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। हमारी भाषा और हमारा जीवन व्यवहार हमें समाज से ही मिला है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज एक दूसरे से अलग अकल्पनीय हैं। समाज के बिना व्यक्ति की और व्यक्ति के बिना समाज की कोई सत्ता हो नहीं रहती। समाज व्यक्ति से ही निर्मित होता है। व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से पृथक् रूप में चाहे विचारा जा सकता हो किन्तु उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक और व्यक्तियों के अभाव में समाज की कोई यथार्थ सत्ता नहीं रहती, दूसरी ओर व्यक्ति से यदि वह सब अलग कर दिया जाय जो उसे समाज से मिला है तो वह व्यक्ति नहीं रह जाता। मनुष्य में सामाजिकता की चेतना ही एक ऐसा तत्त्व है जो व्यक्ति को पशुत्व के स्तर से ऊपर उठाती है। लेडले ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य नहीं है यदि वह सामाजिक नहीं है। मानवीय सम्मत्या के इतिहास का प्रारम्भ उसकी सामाजिक चेतना के विकास के साथ ही होता है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज अपने अस्तित्व को दृष्टि से एक मिक्के के दो पहलुओं के समान है, जिन्हें अलग-अलग देखा तो जा सकता है किन्तु अलग किया नहीं जा सकता। जैनदर्शन की भाषा में कहें तो व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं, उनमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद रहा हुआ है।

वे सभी दार्शनिक विचारधाराएँ जो व्यक्ति की उपेक्षा करके समाज कल्याण की बात करती हैं अथवा समाज की उपेक्षा करके व्यक्ति के कल्याण की बात करती हैं, यथार्थ से दूर हैं।

वर्तमान जीवन में जो संकट और दुःख है उनके निराकरण की सामर्थ्य न तो व्यक्तिवाद में है और न समाजवाद में ही। व्यक्ति के मुघार के बिना समाज के मुघार की कल्पना एक मृगमरीचिका से अधिक नहीं है। किन्तु यदि हम व्यक्ति को नैतिक बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक परिवेश में भी मुघार करना होगा, जिससे व्यक्ति की नैतिकता के प्रति आस्था बनी रहे। यदि सामाजिक जीवन भ्रष्ट और नैतिक मूल्यों के प्रति अनास्थावान् हो तो किसी व्यक्ति विशेष में नैतिक बनने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। व्यक्ति के मुघार के बिना समाज का मुघार और सामाजिक परिवेश के मुघार के बिना व्यक्ति का मुघार सम्भव नहीं है। आज के युग में नैतिक चेतना का विकास सामाजिक परिवेश में बिना परिवर्तन के सम्भव ही नहीं है। एक भ्रष्ट समाज व्यवस्था

में किसी अकेले व्यक्ति का नैतिक बन पाना यदि अशक्य नहीं तो सहज सम्भव भी नहीं है। आज व्यक्ति और समाज-सुधार के लिए एक दोहरे प्रयत्न की आवश्यकता है। व्यक्ति और समाज दोनों के सुधार के सामूहिक प्रयत्नों के बिना आज की दृष्टिं एवं स्पष्ट सामाजिक स्थिति से छुटकारा पाना असम्भव है।

आज एक और समाजवादी विचारधारा समाज को प्रमुखता देकर व्यक्ति को गौण बनाती है तो दूसरी ओर प्रजातन्त्रवादी विचारधारा व्यक्ति को प्रमुख बनाकर समाज को गौण बनाती है, किन्तु दोनों की विचारधाराएँ आज अपने अभीप्सित लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हैं। मानव वो जो अपेक्षित है वह उसे न तो रूस और चीन की समाजवादी अवस्थाएँ ही दे सकी हैं आंर न अमेरिका का प्रजातन्त्र ही। यदि हम मानवता को अपनी इच्छित सुख और शान्ति देना चाहते हैं तो हमें व्यक्ति और समाज दोनों को परस्परोपजीवी और सम्मूल्यवाला मानकर आगे चलना होगा। केवल व्यक्ति-सुधार के प्रयत्न और केवल समाज-सुधार के प्रयत्न तब तक सफल नहीं होंगे जब तक व्यक्ति और समाज दोनों के सम्बेद सुधार के प्रयत्न नहीं होंगे।

वस्तुतः व्यक्ति और समाज के बीच का यह ढन्द काफी पुराना है और इसके कारण सामाजिक दर्शन में अनेक समस्याएँ उठी हैं। व्यक्ति और समाज में कौन प्रथम है यह तो एक चिरन्तन समस्या है ही किन्तु इसके माथ ही जुड़ी हुई दूसरी समस्या है स्वहित और लोकहित के प्रश्न की। सामान्यतया स्वहित और लोकहित में एक विरोध देखा गया है किन्तु यह विरोध उन्हीं लोगों के लिए है जो व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से पृथक् देखते हैं। जो व्यक्ति और समाज को एक समग्रता मानते हैं और उन्हें एक दूसरे से पृथक् नहीं मानते उनके लिए यह प्रश्न बड़ा ही नहीं होता। स्वहित और लोकहित वस्तुतः उसी तरह एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं जैसे व्यक्ति और समाज।

भारतीय दार्शनिक चिन्तन में प्राचीनकाल से ही समाज-दर्शन के सन्दर्भ तो उपस्थित हैं किन्तु उनकी सम्यक् अभिव्यक्ति के बहुत ही कम प्रयास हुए हैं। प्रस्तुत प्रन्थ के प्रथम अध्याय में भारतीय सामाजिक चेतना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दूसरे अध्याय में स्वहित और लोकहित की समस्या का विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में वर्णशिर्म की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। चौथे अध्याय में स्वधर्म की अवधारणा पर विचार किया गया है। पांचवाँ अध्याय समाज जीवन के आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में अहिंसा, अनाप्रह (वैचारिक सहिष्णुता) और अपरिप्रह (आधिक सम-वितरण) का विवेचन करता है। अन्तिम अध्याय में सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों की चर्चा है।

प्रस्तुत प्रन्थ का प्रयत्न दार्शनिक त्रैमासिक एवं सुधर्मा आदि पत्रिकाओं में मेरे प्रकाशित लेखों एवं मेरे शोध प्रबन्ध 'जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलना-स्पष्ट एवं समीक्षात्मक अध्ययन' के कुछ अध्यायों को लेकर किया गया है। प्रस्तुत

तुलनात्मक अध्ययन में मुझे उपाध्याय श्री अमरमुनिजी, पं० सुखलाल जी, पं० दलसुख-भाई मालवणिया आदि के लेखनों से पर्याप्त दृष्टि मिली है, अतः उनके प्रति और उनके अतिरिक्त भी जिन ग्रन्थों और प्रन्थकारों का प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में सहयोग मिला है उन सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। अपने गुरुजन ढा० सी० पी० बहो एवं ढा० सदाशिव बनर्जी के प्रति भी आभार प्रकट करना मेरा अपना कर्तव्य है। काशी विद्यापीठ के दर्शन विभागाध्यक्ष ढा० रघुनाथ गिरि का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ का प्रावक्षण लिखने की कृपा की।

प्राकृत भारती संस्थान के सचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता एवं श्री विनयसागरजी के भी हम अत्यन्त आभारी हैं, जिनके सहयोग संयह प्रकाशन सम्भव हो सका है। महावीर प्रेस ने जिस तत्परता और सुन्दरता से यह कार्य सम्पन्न किया है उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। अन्त में हम पाश्वर्नाथ विद्याश्रम परिवार के श्री जमनालालजी जैन, ढा० हरिहर सिंह, श्री मोहन लाल जी, श्री मंगल प्रकाश मेहता तथा शोध छात्र श्री रविशंकर मिश्र, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री भिखारी गम यादव और श्री विजय कुमार जैन के भी आभारी हैं, जिनसे विविधरूपों में सहायता प्राप्त होती रही है। अन्तमें पत्नी श्रीमती कमला जैन का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ, जिसके त्याग एवं सेवा भाव ने मुझे पारिवारिक उलझनों से मुक्त रखकर विद्या की उपासना का अवसर दिया।

वाराणसी, ९-१०-८२

सागरमल जैन

विषय-सूची

अध्याय : १ भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना १-१६

भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना का विकास (१); वेदों एवं उपनिषदों में सामाजिक चेतना (२); गीता में सामाजिक चेतना (४); जैन एवं बौद्ध धर्म में सामाजिक चेतना (६); रागात्मकता और समाज (८); सामाजिकता का आधार राग या विवेक ? (१०); सामाजिक जीवन में बाधक तत्त्व अहंकार और कषाय (११); संन्यास और समाज (१२); पुरुषार्थ चतुष्टय एवं समाज (१३)।

अध्याय : २ स्वहित बनाम लोकहित १७-३१

जैनाचार-दर्शन में स्वार्थ और परार्थ (१८); जैन-साधना में लोकहित (१८); तीर्थंकर (१९); गणवर (२०); सामान्य केवली (२०); आत्महित स्वार्थ नहीं है (२१); द्रव्य-लोकहित (२२); भाव-लोकहित (२२); पारमार्थिक-लोकहित (२२); बौद्ध दर्शन की लोकहितकारिणी दृष्टि (२२); स्वहित और लोकहित के सम्बन्ध में गीता का मन्त्रव्य (२९);

अध्याय : ३ वर्णाश्रम-व्यवस्था ३२-४२

वर्ण-व्यवस्था (३२); जैनधर्म और वर्ण-व्यवस्था (३२); बौद्ध आचार दर्शन में वर्ण-व्यवस्था (३४); बद्धाज कहना झूठ है (३५); वर्ण-परिवर्तन सम्भव है (३६); सभी जाति समान हैं (३६); आचरण ही श्रेष्ठ है (३६); गीता तथा वर्ण-व्यवस्था (३६); आश्रम-वर्म (४०); जैन-परम्परा और आश्रम-सिद्धान्त (४१); बौद्ध-परम्परा और आश्रम-सिद्धान्त (४२);

अध्याय : ४ स्वधर्म की अवधारणा ४३-४९

गीता में स्वधर्म (४३); जैनधर्म में स्वधर्म (४४); तुलना (४५); स्वधर्म का आध्यात्मिक अर्थ (४६); गीता का दृष्टिकोण (४८); ब्रह्मले का स्वस्थान और उसके कर्तव्य का सिद्धान्त तथा स्वधर्म (४९);

अध्याय : ५ सामाजिक नैतिकता के केन्द्रोदय तत्त्व ५०-९७
अर्हिसा, अनाप्रह और अपरिप्रह

अर्हिसा (५१), जैनधर्म में अर्हिसा का स्थान (५१); बौद्धधर्म में अर्हिसा का स्थान (५२); हिन्दू धर्म में अर्हिसा का स्थान (५३); अर्हिसा का

आधार (५४); बोद्धर्म में अहिंसा का आधार (५६); गीता में अहिंसा के आधार (५६); जैनागमों में अहिंसा की व्यापकता (५७); अहिंसा क्या है ? (५७); इवं भाव अहिंसा (५८); हिंसा के प्रकार (५८); मात्र शारीरिक हिंसा (५८); मात्र वैचारिक हिंसा (५८); वैचारिक एवं शारीरिक हिंसा (५९); शान्तिक हिंसा (५९); हिंसा को विभिन्न स्थितियाँ (५९); हिंसा के विभिन्न रूप (६०); संकल्प जा (संकल्पी हिंसा) (६०); विरोधजा (६०); उद्योगजा (६०); आरम्भजा (६०); हिंसा के कारण (६०); हिंसा के साधन (६०); हिंसा और अहिंसा मनोदशा पर निर्भर (६०); अहिंसा के बाहु पक्ष की अवहेलना उचित नहीं (६३); पूर्ण अहिंसा के आदर्श की दिशा में (६४); पूर्ण अहिंसा सामाजिक सम्बद्ध में (६८); अहिंसा के सिद्धांत पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार (६९); यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में अहिंसा का अर्थ विस्तार (७१); भारतीय चिन्तन में अहिंसा का अर्थ विस्तार (७१); अहिंसा का विधायक रूप (७५); बोद्ध एवं वैदिक परम्परा में अहिंसा का विधायक पक्ष (७६); हिंसा के अल्प-बहुत्व का विचार (७७); अनाग्रह (वैचारिक सहिष्णुता) (७९); जैनधर्म में अनाग्रह (७९); बोद्ध आधार-दर्शन में वैचारिक अनाग्रह (८२); गीता में अनाग्रह (८३) वैचारिक सहिष्णुता का आधार-अनाग्रह (अनेकान्त दृष्टि) (८४); धार्मिक सहिष्णुता (८५); धर्म एक या अनेक (८५); अनुचित कारण (८६); उचित कारण (८६); गर्जनीतक सहिष्णुता (८८); सामाजिक एवं परिवारिक सहिष्णुता (८०); अनाग्रह की अवधारणा के फलित (८९); अनासक्ति (अपरिग्रह) (९०); जैन धर्म में अनासक्ति (९०); बोद्धर्म में अनासक्ति (९२); गीता में अनासक्ति (९३); अनासक्ति के प्रश्न पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार (९४);

अध्याय : ६

सामाजिक धर्म एवं दायित्व

१८-११२

सामाजिक धर्म (९८); आम धर्म (९८); नगर धर्म (९८); राष्ट्र धर्म (९९); पालण्ड धर्म (९९); कुल धर्म (१००); गणधर्म (१००); संघधर्म (१००); श्रुत धर्म (१०१); चारित्र धर्म (१०१); अस्तिकाय धर्म (१०१); जैनधर्म और सामाजिक दायित्व (१०१); जैन मुनि के सामाजिक दायित्व (१०२); नीति और धर्म का प्रकाशन (१०२); धर्म की प्रभावना एवं संघ की प्रतिष्ठा की रक्षा (१०२); भिक्षु-भिक्षुणियों की सेवा एवं परिचर्या (१०२); भिक्षुणी संघ का रक्षण (१०३); संघ के आदेशों का परिपालन (१०३); गृहस्थ वर्ग के सामाजिक दायित्व (१०३); भिक्षु-भिक्षुणियों की सेवा (१०३); परिवार की सेवा (१०३); विवाह एवं सन्तान प्राप्ति (१०४);

जैन धर्म में सामाजिक जीवन के निष्ठा सूत्र (१०६); जैन धर्म में सामाजिक जीवन के व्यवहार सूत्र (१०६); बोद्ध-परम्परा में सामाजिक धर्म (१०८); बोद्ध धर्म में सामाजिक दायित्व (१०९); पुत्र के माता-पिता के प्रति कर्तव्य (११०); माता-पिता का पुत्र पर प्रत्युपकार (११०); आचार्य (शिक्षक) के प्रति कर्तव्य (११०); शिष्य के प्रति आचार्य का प्रत्युपकार (११०); पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य (११०); पति के प्रति पत्नी का प्रत्युपकार (११०); मित्र के प्रति कर्तव्य (११०); मित्र का प्रत्युपकार (१११); सेवक के प्रति स्वामी के कर्तव्य (१११); सेवक का स्वामी के प्रति प्रत्युपकार (१११); श्रमणब्राह्मणों के प्रति कर्तव्य (१११); श्रमण-ब्राह्मणों का प्रत्युपकार (१११); वैदिक परम्परा में सामाजिक धर्म (१११)।

भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना

भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना का विकास

भारतीय दार्शनिक चिन्तन में उपस्थित सामाजिक सन्दर्भों को समझने के लिए मर्वप्रथम हमें यह जान लेना चाहिए, कि केवल कुछ दार्शनिक प्रस्थान ही सम्पूर्ण भारतीय प्रज्ञा एवं भारतीय चिन्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इन दार्शनिक प्रस्थानों में हटकर भी भारत में दार्शनिक चिन्तन हुआ है और उगमें अनेकानेक संदर्भ उपस्थित हैं। दूसरे यह कि भारतीय दर्शन मात्र बोडिक्ल एवं सैद्धान्तिक ही नहीं है, वह अनुभूत्यात्मक एवं व्यावहारिक भी है; कोई भी भारतीय दर्शन ऐसा नहीं है जो मात्र तन्वमीमांसीय (Metaphysical) एवं ज्ञान-मीमांसीय (Epistemological) चिन्तन से ही संतोष धारण कर लेता हो। उगमें ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं, अपिनु जीवन के मफल मन्चालन के लिए है। उगमका मूल दुःख की समस्या में है। दुःख और दुःख-मुक्ति यहीं भारतीय दर्शन का 'अथ' और 'इति' है। यद्यपि तन्व-मीमांसा और ज्ञान-मीमांसा प्रत्येक भारतीय दार्शनिक प्रस्थान के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, किन्तु वे गम्यक् जीवनदृष्टि के निमांग और सामाजिक व्यवहार की शुद्धि के लिए हैं। भारतीय चिन्तन में दर्शन की धर्म और नीति से अवियोज्यता उगमें सामाजिक मन्दर्भ को और भी स्पष्ट कर देती है। यहाँ दर्शन जानने की नहीं, अपिनु जीने की वस्तु रहा है; वह मात्र ज्ञान नहीं, अनुभूति है और इसीलिए वह फिलामकी नहीं, दर्शन है, जीवन जीने का एक गम्यक् दृष्टिकोण है।

यद्यपि हमारा दुर्भाग्य तो यह रहा कि मध्य-युग में दर्शन साधकों और क्रिय पुनियों के हाथों में निकलकर तथा-कथित बुद्धिजीवियों के हाथों में चला गया। फलतः उगमें ताकिक पक्ष प्रधान तथा अनुभूतिमूलक माध्यना एवं आचार-पक्ष गीण हो गया और हमारी जीवन-शैली से उगमका रिश्ता धीरे-धीरे टूटता गया।

सामाजिक चेतना के विकास की दृष्टि में भारतीय चिन्तन के प्राचीन युग को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं:—

१. वैदिक युग,
२. औपनिषदिक युग, एवं
३. जैन-बौद्ध युग

वैदिक युग में जनमानस में सामाजिक चेतना को जाप्रत करने का प्रयत्न किया गया, जबकि औपनिषदिक युग में सामाजिक चेतना के लिए दार्शनिक आधार का प्रस्तुतिकरण किया गया और जैन-बौद्ध युग में सामाजिक सम्बन्धों के शुद्धिकरण पर बल दिया गया।

वैयक्तिकता और मामाजिकता दोनों ही मानवीय 'स्व' के अनिवार्य अंग हैं। पादचार्य विचारक वैदिक का कथन है कि 'मनुष्य नहीं है, यदि वह सामाजिक नहीं, किन्तु यदि वह मात्र मामाजिक ही है, तो वह पशु में अधिक नहीं है। मनुष्य की मनुष्यता वैयक्तिकता और मामाजिकता दोनों का अतिक्रमण करने में है। वस्तुतः मनुष्य एक ही नाथ मामाजिक और वैयक्तिक दोनों ही है। क्योंकि मानव व्यक्तित्व में गण-द्वेष के तत्त्व अनिवार्य रूप में उपस्थित हैं। गण का तत्त्व उसमें सामाजिकता का विकास करता है, तो द्वेष का तत्त्व उसमें वैयक्तिकता या स्व-हितवादी दृष्टि का विकास करता है। जब गण का भीमात्रेत्र संकृचित होता है और द्वेष का अधिक विस्तरित होता है, तो व्यक्ति को स्वार्थी कहा जाता है, उसमें वैयक्तिकता प्रमुख होती है। किन्तु जब गण का भीमात्रेत्र विस्तरित होता है और द्वेष का क्षेत्र कम होता है, तब व्यक्ति प्रोपकारी या मामाजिक कहा जाता है। किन्तु जब वह बीतराग और बीतद्वेष होता है, तब वह अतिगामाजिक होता है। किन्तु अपने और पराये भाव का यह अतिक्रमण असामाजिक नहीं है। बीतरागदा की माझना में अनिवार्य रूप में 'स्व' की संकृचित सीमा को तोड़ना होता है। अतः ऐर्गं साधना अनिवार्य रूप में अमामाजिक तो नहीं हो सकती है। माथ ही मनुष्य जब तक मनुष्य है, वह बीतराग नहीं हुआ है, तो स्वभावतः ही एक सामाजिक प्राणी है। अतः कोई भी वर्ष मामाजिक चेतना से विमुक्त होकर जीवित नहीं रह सकता। वेदों एवं उपनिषदों में सामाजिक चेतना

भारतीय चिन्तन की प्रवर्तक वैदिक नाग में मामाजिकता का तत्त्व उसके प्रारम्भिक काल में ही उपस्थित है। वेदों में मामाजिक जीवन की भंकल्पना के व्यापक मन्दर्भ हैं। वैदिक ऋषि मफल एवं महयोगपूर्ण मामाजिक जीवन के लिए अभ्यर्थना करते हुए कहता है कि 'मंगच्छृद्धं संवद्धृदं मं वो मनांगि जानताम्'—तु म मिलकर जलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन माथ-माथ विचार करें; अर्थात् तुम्हारे जीवन व्यवहार में महयोग, तुम्हारी बाणी में ममस्वरता और तुम्हारे विचारों में समानता हो।^१ आगे पुनः वह कहता है:—

समानो मन्त्रः समितिः समानी,

समानं मनः सहस्रितमेषाम् ।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुमहासति ॥

अर्थात् आप सबके निर्णय समान हों, आप सबकी सभा भी सबके लिए समान हो, अर्थात् सबके प्रति समान व्यवहार करे। आपका मन भी समान हो और आपकी चित्त-वृत्ति भी समान हो, आपके संकल्प एक हों, आपके हृदय एक हों, आपका मन भी एक-रूप हो ताकि आप मिलजुल कर अच्छी तरह में कार्य कर सकें।^२ सम्भवतः सामाजिक जीवन एवं समाज-निष्ठा के परिप्रेक्ष्य में वैदिक युग के भारतीय चिन्तक के ये सबसे महत्त्व-पूर्ण उद्गार हैं। वैदिक ऋषियों का 'कृष्णंतो विश्वमार्यम्' के रूप में एक सुसम्भ्य एवं सुसंस्कृत भानव-समाज की रचना का विशेष तभी सफल हो सकता था जबकि वे जन-जन में

समाज-निष्ठा के बीज का वपन करते। सहयोगपूर्ण जीवन-शैली उनका मूल मंत्रथा था। प्रत्येक अवसर पर शांति-पाठ के माध्यम से वे जन-जन में सामाजिक चेतना के विकास का प्रयाम करते थे। वे अपने शांति-पाठ में कहते थे:—

ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु मह वीर्यं करवावहं,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहं ।

हम नव साथ-साथ रक्षित हों, साथ-साथ पोषित हों, साथ-साथ सामर्थ्य को प्राप्त हों, हमाग अध्ययन तेजस्वी हो, हम आपस में विद्वेष न करें। वैदिक समाज दर्शन का आदर्श था—‘शत-हस्तः समाहर, सहस्रहस्तः सीकर’ संकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजार हाथों में बांटो। किन्तु यह बांटने की बात दया या कृपा नहीं है अपितु सामाजिक दायित्व का बोझ है। करोकि भारतीय चितन में दान के लिए संविभाग शब्द का प्रयोग होता रहा है, इसमें सम वितरण या सामाजिक दायित्व का बोध ही प्रमुख है, कृपा, दया, करणा ये सब गोण हैं। आचार्य शंकर ने दान की व्याख्या की है ‘दानं संविभागं’। जैन दर्शन में तो अतिथि-संविभाग के रूप में एक स्वतन्त्र व्रत की व्यवस्था की गई है। संविभाग शब्द करणा का प्रतीक न होकर सामाजिक अधिकार का प्रतीक है। वैदिक ऋषियों का निष्ठाप्त था कि जो अकेला खाता है वह पापी है (केवलादो भवति केवलादी) जैन दार्शनिक भी कहते थे ‘असंविभागी न हु तस्म मोक्षो’ जो सम-विभागी नहा है उमकी मूर्तित नहीं होगी। इम प्रकार हम वैदिक युग में सहयोग एवं सहजीवन का संकल्प उपस्थित पाने हैं। किन्तु उमके लिए दार्शनिक आधार का प्रस्तुतिकरण ओपनिषदिक चिन्तन में ही हुआ है। ओपनिषदिक ऋषि ‘एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा’ ‘सर्वं खलिदं ब्रह्म’ तथा ‘ईशावास्यमिदं सर्वम्’ के रूप में एकत्व की अनुभूति करने लगा। ओपनिषदिकचिन्तन में वैयक्तिकता से ऊपर उठकर सामाजिक एकता के लिए अभेद-निष्ठा का सर्वोन्कृष्ट तात्त्विक आधार प्रस्तुत किया गया। इम प्रकार जहाँ वेदों की समाज-निष्ठा बहुमुखी थी, वही उपनिषदों में आकर अन्तर्मन्त्री हो गयी। भारतीय दर्शन में यह अभेद-निष्ठा ही सामाजिक एकत्व की चेतना एवं सामाजिक समता का आधार बनी है। ईशावास्योपनिषद् का ऋषि कहता था:—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तते ॥३

जो सभी प्राणियों को अपने में और अपने को सभी प्राणियों में देखता है वह अपनी इम एकान्मता की अनुभूति के कारण किसी से घृणा नहीं करता है। सामाजिक जीवन के विकास का आधार एकात्मता की अनुभूति है और जब एकात्मता की दृष्टि का विकास हो

जाता है तो धृणा और विद्वेष के तत्त्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इम प्रकार जर्हा एक और औपनियन्दिक ऋषियों ने एकात्मता की चेतना को जाग्रत कर सामाजिक जीवन के विनाशक धृणा एवं विद्वेष के तत्त्वों को समाप्त करने का प्रयास किया, वहीं दुनरी और उन्होंने सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार का निरसन कर ईश्वरी सम्पदा अर्थात् नामूहिक सम्पदा का विचार भी प्रस्तुत किया। ईशावास्योपनियद के प्रारम्भ में ही कृपि कहता है :

ईशावास्यमिदं मर्य यत्किञ्च जगन्यां जगन् ।

तेन त्यक्तेन भूञ्जीथा मा गृथः कस्यस्वद्दनम् ॥१

अर्थात् इम जग में जो कुछ भी है वह सभी ईश्वरीय है ऐमा कुछ भी नहीं है, जिसे वैयक्तिक कहा जा सके। इस प्रकार इलोक के पूर्वार्द्ध में वैयक्तिक अधिकार का निःसन करके समष्टि को प्रधानता दी गई है। इलोक के उत्तरार्द्ध में व्यक्ति के उपभोग एवं संग्रह के अधिकार को मर्यादित करते हुए कहा गया कि प्रकृति की जो भी उपलब्धियाँ हैं उनमें दूसरों (अर्थात् समाज के दूसरे सदस्यों) का भी भाग है। अतः उनके भाग को छोड़कर ही उनका उपयोग करो, संग्रह या लालच मत करो क्योंकि सम्पत्ति किसी एक की नहीं है। सम्भवतः सामाजिक चेतना के विकास के लिए इससे अधिक महत्त्वपूर्ण दूसरा कथन नहीं हो सकता था। यही कारण था कि गांधी जी ने इस इलोक के सन्दर्भ में कहा था कि भारतीय संस्कृति का सभी कुछ नष्ट हो जाये किन्तु यह इलोक बना रहे तो यह अकेला ही उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ है। ‘तेन त्यक्तेन भूञ्जीथा’ में समग्र सामाजिक चेतना के निर्दित दिक्षाई देती है।

गीता में सामाजिक चेतना

यदि हम उपनिषदों से महाभारत और उसके ही एक अंश गीता की ओर आते हैं तो यहाँ भी हमें सामाजिक चेतना का स्पष्ट दर्शन होता है। महाभारत तो इतना व्यापक अन्य है कि उसमें उपस्थित समाज-दर्शन पर एक स्वतन्त्र महानिबन्ध लिखा जा सकता है। सर्वप्रथम महाभारत में हमें समाज की आंगिक संकल्पना का वह सिद्धान्त परिलक्षित होता है, जिस पर पाश्चात्य चिन्तन में सर्वाधिक बल दिया गया है। गीता भी इस एकात्मता की अनुभूति पर बल देती है। गीताकार कहता है कि—

‘आत्मीपन्थेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः ॥२

अर्थात् जो सुख दुःख की अनुभूति में सभी को अपने समान समझता है वही सच्चा योगी है। मात्र इतना ही नहीं, वह तो इससे आगे यह भी कहता है कि सच्चा दर्शन या ज्ञान वही है जो हमें एकात्मता की अनुभूति कराता है—‘अविभवते विभवते तु तज्ज्ञानं

विद्वि मात्रिकम् ।' वैयक्तिक विभिन्नताओं में भी एकात्मता की अनुभूति ही ज्ञान की सात्त्विकता और हमारी समाज-निष्ठा का एक मात्र आधार है । सामाजिक दृष्टि से गीता 'सर्वभूत-हिते रतः' का सामाजिक आदर्श भी प्रस्तुत करती है । अनामवत भाव से युक्त होकर लोक-कल्याण के लिए कार्य करने रहना ही गीता के समाज-दर्शन का मूल मन्त्रज्ञ है । श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं—

'ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः'^१

मात्र दृतनः ही नहीं, गीता में सामाजिक दायित्वों के निर्बहन पर भी पूरा-पूरा बल दिया गया है जो अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण किये बिना भोग करता है वह गीताकार की दृष्टि में चोर (स्त्रेन एव मः ३।१२) । साथ ही जो मात्र अपने लिए उपकाता है वह पाप का ही अर्जन करता है । (भुजने ते त्वर्वं पापा ये पचन्त्याभकारणात् ३।१३) । गीता हमें समाज में रहकर ही जीवन जीने की शिक्षा देती है इसलिए उसने सन्यास की नदीन पश्चिमाया भी प्रस्तुत की है । वह कहती है कि—

'काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः'^२

काम्य अर्थात् स्वार्थ युक्त कर्मों का त्याग ही सन्न्यास है, केवल निरग्नि और निष्क्रिय हो जाना सन्न्यास नहीं है । मच्चे सन्न्यासी का लक्षण है समाज में रहकर लोककल्याण के लिए अनामवत भाव से कर्म करता रहे ।

अनाश्रितः कर्मफलं कायं करोति यः ।

म मन्यास च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः ॥^३

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि लोक-शिक्षा को चाहने हए कर्म करता रहे (कुर्यात् विद्वान् तथा अमक्तः क्वचिर्पुः लोकसंग्रहम्) ।^४ गीता में गुणाश्रित कर्म के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का जो आदर्श प्रस्तुत किया था वह भी सामाजिक दृष्टि में कर्तव्यों एवं दायित्वों के विभाजन का एक महत्वपूर्ण कार्य था, यद्यपि भारतीय समाज का यह दुर्भाग्य था कि गुण अर्थात् वैयक्तिक योग्यता के आधार पर कर्म एवं वर्ण का यह विभाजन निहीं निहित स्वार्थों के कारण जन्मना बना दिया गया । वस्तुतः वेदों में एवं स्वयं गांता में भी जो विश्व-पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पत्ति के रूप में वर्णों की अवशालिता है वह अन्य कुछ नदीं अपिनु समाज-पुरुष के विभिन्न अंगों को अवशालिता है और किसी भीमा तक समाज के आंगिकता मिदांत का ही प्रस्तुतीकरण है ।

सामाजिक जीवन में विषमता एवं मंत्रवर्ण का एक महत्वपूर्ण कारण सम्पत्ति का अविकार है । श्रामद्भागवत भी ईशावास्योपनिषद् के समान ही सम्पत्ति पर व्यक्ति के अविकार को अस्वीकार करती है । उसमें कहा गया है—

१. गीता १२।४

२. वही, १८।२

३. वही, ६।१

४. वही, ३।२५

यावन् भ्रियेत जठरं, तावत् स्वत्वं देहिनाम् ।
अधिको योऽभिमन्येत, म स्तेनो दण्डमहंति ॥१

अर्थात् अपनी देहिक आवश्यकता में अधिक सम्पदा पर अपना स्वत्व मानना सामाजिक दृष्टि से चोगी है, अनविकृत चेष्टा है। आज का समाजवाद एवं साम्यवाद भी इसी आदर्श पर बड़ा है, योग्यता के अनुमार कार्य और आवश्यकता के अनुमार 'वेतन' की उमकी धारणा यहाँ पुरी तरह उपस्थित है। भारतीय चिन्तन में पुण्य और पाप का, जो वर्गीकरण है, उममें भी सामाजिक दृष्टि ही प्रमुख है। पाप के रूप में जिन दुर्गुणों का और पुण्य के रूप में जिन मद्दगुणों का उन्नति है उनका सम्बन्ध वैयक्तिक जीवन की अपेक्षा सामाजिक जीवन से अधिक है। पुण्य और पाप की एक मात्र कमोटी है— किसी कर्म का लोक-मंगल में उपयोगी या अनुयोगी होना। कहा भी गया है:—

'परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपोडनम्'

जो लोक के लिए हितकर है कल्याणकर है, वह पुण्य है और इसके विपरीत जो भी दूसरों के लिए पीड़ा-जनक है, अमंगलकर है वह पाप है। इस प्रकार भारतीय चिन्तन में पुण्य-पाप की व्याख्याएँ भी सामाजिक दृष्टि पर ही आशारित हैं।

जैन एवं बौद्धधर्म में सामाजिक चेतना

यदि हम निवर्तक धारा के समर्थक जैनधर्म एवं बौद्धधर्म की ओर दृष्टिपात करने हैं तो प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि इनमें समाज की दृष्टि की उपेक्षा की गई है। सामान्यतया यह माना जाता है कि निवृत्ति-प्रधान दर्शन व्यक्ति-परक आर प्रवृत्ति-प्रधान दर्शन समाज-परक होते हैं। किन्तु मान लेना कि भारतीय चिन्तन की निवर्तक धारा के समर्थक जैन, बौद्ध आदि दर्शन असामाजिक हैं या इन दर्शनों में सामाजिक संदर्भ का अभाव है, नितान्त भ्रम होगा। इनमें भी सामाजिक भावना से पराद्मुखता नहीं। दिखाई देती है। ये दर्शन इतना तो अवश्य मानते हैं कि चाहे वैशक्तिक साधना की दृष्टि ने एकांकी जीवन लाभप्रद हो सकता है किन्तु उस साधना से प्राप्ति मिलि का उपभोग सामाजिक कल्याण की दिशा में ही होना चाहिए। महावीर और बुद्ध का जीवन स्वयं इम बात का माध्यी है कि वे ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् जीवन-पर्यन्त लोक-मंगल के लिए कार्य करते रहे। यद्यपि इन निवृत्ति-प्रधान दर्शनों में जो सामाजिक सन्दर्भ उपस्थित हैं, वे थोड़े भिन्न प्रकार के अवश्य हैं। इनमें मूलतः सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि का प्रयास परिलक्षित होता है। सामाजिक सन्दर्भ की दृष्टि से इनमें समाज-रचना एवं सामाजिक दायित्वों की निर्वहण की अपेक्षा समाज-जीवन को दूषित बनाने वाले तत्त्वों के निरमन पर वल दिया गया है। जैन-दर्शन के पंच महाप्रत, बौद्ध दर्शन के पंचशील और योग दर्शन के पंचयमों का

सम्बन्ध अनिवार्यतया हमारे सामाजिक जीवन से हो है। प्रश्नव्याकरणसूत्र नामक जैन आगम में कहा गया है कि 'तीर्थकर' का यह सुकृथित प्रवचन सभी प्राणियों के रक्षण एवं करुणा के लिए है। पांचों महाव्रत सर्वप्रकार से लोकहित के लिए ही है।^१ हिंसा, घृण, चोरी, व्यभिचार, संग्रह (परिग्रह) ये तब दैवक्रितक नहीं, सामाजिक जीवन की दृष्टिपृष्ठियाँ हैं। ये सब दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से मंदंधित हैं। हिंसा वा अर्थ है किसी अन्य की हिंसा, असत्य का मतलब है किसी अन्य को गलत जानकारी देना, चोरी का अर्थ है किसी दूनरे की सम्पत्ति का आहरण करना, व्यभिचार का मतलब है मामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध योनि नम्बन्ध स्थापित करना, इसी प्रकार मंग्रह या परिग्रह का अर्थ है समाज में आविक विषमता पैदा करना। क्या समाज जीवन के अभाव में इनका कोई अर्थ या मर्दमं रह जाता है? अहिंसा, नन्द, अस्त्रण, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की जो मर्यादायें इन दर्शनों ने दी वे हमारे सामाजिक सम्बन्धों की दुर्दि के लिए ही हैं।

इसी प्रकार जैन, बौद्ध और नांग दर्शनों की माध्यना पञ्चति में गमान स्था मे पम्नुत मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यम्य भावनाओं के आवार पर भी सामाजिक मंदमं को स्पष्ट किया जा सकता है। जैनानार्थ अमितगति इन भावनाओं की अभिव्यक्ति निम्न शब्दों में करते हैं—

गन्वेषु मैत्री गुणीपु प्रमोदं, किलण्टेषु जांदेषु हृष्पापम्ब्वम्।

मध्यम्यभावं विगीतवृत्ती मदा ममात्मा विद्यात् देव॥^२

'हे प्रभु, हमारे मनों में प्राणियों के प्रति नित्यता, गुणीत्वों के प्रति प्रमोद, दुखियों के प्रति करुणा तथा दृष्टि जनों के प्रति मध्यम्य भाव मदा विद्यात्मन रहे।' इस प्रकार इन भावनाओं के माध्यम से नमाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने हमारे सम्बन्ध किस प्रकार के हों यहाँ स्पष्ट किया गया है। समाज में दूनर लोगों के गाथ हम किस प्रकार जीवन जियें यह हमारी सामाजिकता के लिए अति आवश्यक है और इन दर्शनों में इस प्रकार से व्यक्ति को समाज-जीवन में जोड़ने का ही प्रयत्न किया गया है। इन दर्शनों का हृदय रिक्त नहीं है। इनमें प्रेम और करुणा वी अट्ट धारा वह रही है। तीर्थकर की वाणी का प्रस्फुटन ही लोक की करुणा के लिए होता है (गमेचन लंये स्वेयम्भे पञ्चद्वये)। इसीलिए तो आचार्य नमन्तभद्र लिखते हैं—'मर्वपिदामनवन् निरन्तं सर्वांदद्यं तं यंमिदं तत्वैव', 'हे प्रभो आपका अनुशासन ममी दुःखों का अन्त करने वाला और सभी का कल्याण (मर्वांदद्य) करने वाला है।' जैन आगमों में पम्नुत कृल-धर्म, ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म एवं गण-धर्म भी उसकी समाज-सांस्कृतिक तातो को स्पष्ट कर देते हैं। त्रिपिटक में भी अनेक संदर्भों में व्यक्ति के विविध सामाजिक सम्बन्धों के आदर्शों का चित्रण

किया गया है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमारे पारस्परिक सम्बन्धों को सुमधुर एवं समायोजनपूर्ण बनाने तथा सामाजिक टकराव के कारणों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने के लिए इन दर्शनों का महत्वपूर्ण योगदान है।

वस्तुतः इन दर्शनों में आचार शुद्धि पर बल देकर व्यक्ति मुशार के माध्यम से समाज-मुशार का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने व्यक्ति को समाज का केन्द्र माना और इसलिए उसके चरित्र के निर्माण पर बल दिया। **वस्तुतः** इन दर्शनों के युग तक समाज-रचना का कार्य पूरा हो चुका था अतः इन्होंने मुहर रूप में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया और सामाजिक सम्बन्धों को शुद्धि पर बल दिया।

रागात्मकता और समाज

सम्भवतः इन दर्शनों को जिन आधारों पर सामाजिक जीवन से कटा हुआ माना जाता है उनमें प्रमुख हैं—गग या आसक्ति का प्रहाण, संन्यास या निवृत्तिमार्ग की प्रधानता तथा मोक्ष का प्रन्यय। ये ही ऐसे तन्व हैं जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन से अलग करते हैं। अतः भारतीय मर्दमें इन प्रत्ययों की सामाजिक दृष्टि से समीक्षा आवश्यक है।

मर्वदयम भारतीय दर्शन आसक्ति, राग या नृष्णा की समाप्ति पर बड़ देता है, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या आसक्ति या राग में ऊपर उठने की बात सामाजिक जीवन से अलग करती है। सामाजिक जीवन का आचार पारस्परिक सम्बन्ध है और सामान्यतया यह माना जाता है कि राग से मुक्ति या आसक्ति की समाप्ति तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति अपने को सामाजिक जीवन से या पारिवारिक जीवन से अलग कर ले। किन्तु यह एक भ्रान्त धारणा ही है। न तो सम्बन्ध तोड़ देने मात्र से गग समाप्त हो जाता है, न राग के अभाव मात्र से संवंच टूट जाने हैं, वास्तविकता तो यह है, कि गग या आसक्ति की उपस्थिति में हमारे यथार्थ सामाजिक संवंच ही नहीं बन पाते। सामाजिक जीवन और सामाजिक संवंचों की विषमता के मूल में व्यक्ति की राग-भावना ही काम करती है। सामान्यतया राग द्वेष का सहगामी होता है और जब सम्बन्ध राग-द्वेष के आचार पर खड़े होते हैं तो इन संवंचों से टकराहट एवं विषमता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। बोधिर्यावतार में आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं:—

उपद्रवा ये च भवन्ति लोके यावन्ति दुःखानि भयानि चैव ।

सर्वीण तान्यात्मपरिग्रहेण तत् कि ममानेन परिग्रहेण ॥

आत्मानमपरित्यज्य दुःखं त्यक्तुं न शक्यते ।

यथानिमपरित्यज्य दाहं त्यक्तुं न शक्यते ॥

संमार के सभी दुःख और भय एवं तजजन्य उपद्रव ममत्व के कारण होते हैं। जब तक ममत्व बुद्धि का परित्याग नहीं किया जाता तब तक इन दुःखों की समाप्ति सम्भव नहीं

है। जैसे अग्नि का परित्याग किये बिना तज्जन्य दाह से बचना असम्भव है। राग हमें सामाजिक जीवन से जोड़ता नहीं है, अपितु तोड़ता ही है। राग के कारण मेरा या ममत्व भाव उत्पन्न होता है। मेरे संबंधी, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र ये विचार विकसित होते हैं और उसके परिणामस्वरूप भाई-भतीजावाद, जातिवाद साम्प्रदायिकता और संकुचित राष्ट्रवाद का जन्म होता है। आज मानव जाति के सुमधुर सामाजिक सम्बन्धों में ये ही सबसे अविक बाधक तत्व हैं। ये मनुष्य को पारिवारिक, जातीय, साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय क्षुइ स्वार्थों से ऊपर नहीं उठने देते हैं। वे ही आज की विषयमता के मूल कारण हैं। भारतीय दर्शन ने राग या आसक्ति के प्रहाण पर बल देकर सामाजिकता की एक यथार्थ दृष्टि ही प्रदान की है। प्रथम तो यह कि राग किसी पर होता है और जो किसी पर होता है वह सब पर नहीं हो सकता है। अतः राग से ऊपर उठे बिना या आसक्ति को छोड़े बिना सामाजिकता की सच्ची भूमिका प्राप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक जीवन की विषयमताओं का मूल 'स्व' की संकुचित सीमा ही है। व्यक्ति जिसे अपना मानता है उसके हित की कामना करता है और जिसे पराया मानता है उसके हित की उपेक्षा करता है। सामाजिक जीवन में शोषण, कूर व्यवहार, धृणा आदि सभी उन्हीं के प्रति किये जाते हैं, जिन्हें हम अपना नहीं मानते हैं। यद्यपि यह बड़ा कठिन कार्य है कि हम अपनी रागात्मकता या ममत्ववृत्ति का पूर्णतया विसर्जन कर मर्के किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि उसका एक सीमा तक विसर्जन किये बिना अपेक्षित सामाजिक जीवन का विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति का ममत्व चाहे वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या राष्ट्र की सीमा तक विस्तृत हो, हमें स्वार्थ-भावना में ऊपर नहीं उठने देता। स्वहित की वृत्ति चाहे वह परिवार के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति, समान रूप से सामाजिकता की विरोधी ही सिद्ध होती है। उसके होने हुए सच्चा सामाजिक जीवन फलित नहीं हो सकता। जिस प्रकार परिवार के प्रति ममत्व का सबन रूप हमसे राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं कर सकता उसी प्रकार राष्ट्रीयता के प्रति भी ममत्व सच्ची मानवीय एकता में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। इम प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति जब तक राग या आसक्ति से ऊपर नहीं उठता तब तक सामाजिकता का सद्भाव सम्भव नहीं हो सकता। समाज त्याग एवं मरणपूर्ण के आशार पर खड़ा होता है अतः वीतराग या अनासक्त दृष्टि ही सामाजिक जीवन के लिए वास्तविक आधार प्रस्तुत कर सकती है और सम्पूर्ण मानव-जाति में सुमधुर सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण कर सकती है। यदि हम सामाजिक सम्बन्धों में उत्पन्न होने वाली विषयमता एवं टकराहट के कारणों का विश्लेषण करें तो उसके मूल में हमारी आसक्ति या रागात्मकता ही प्रमुख है। आसक्ति, ममत्व भाव या राग के कारण ही मनुष्य में

संग्रह, आवेश और कपटाचार के तत्त्व जन्म लेते हैं। अतः यह कहना उचित ही होगा कि इन दर्शनों ने राग या आसक्ति के प्रहाण पर बल देकर सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने एवं सामाजिक समत्व की स्थापना करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। समाज त्याग एवं समर्पण पर खड़ा होता है, जीता है और विकसित होता है, यह भारतीय चिन्तन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। वस्तुतः आसक्ति या गग तत्त्व की उपस्थिति में सच्ची सार्वभौम सामाजिकता फलित नहीं होती है।

सामाजिकता का आधार राग या विवेक ?

सम्भवतः यहीं यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि राग के अभाव में सामाजिक सम्बन्धों को जोड़ने वाला तत्त्व क्या होगा ? राग के अभाव से तो सारे सामाजिक सम्बन्ध चरमगत कर टूट जायेंगे। रागात्मकता ही तो हमें एक-दूसरे में जोड़ती है। अतः राग सामाजिक-जीवन का एक आवश्यक तत्त्व है। किन्तु मेरी अपनी विनाशधारणा में जो तत्त्व व्यक्ति को व्यक्ति से या समाज से जोड़ता है, वह राग नहीं, विवेक है। तत्त्वार्थसूत्र में इस बात की चर्चा उपस्थित की गई है कि विभिन्न द्रव्य एक-दूसरे का सहयोग किस प्रकार करते हैं। उसमें जहाँ पुद्गल-द्रव्य को जीव-द्रव्य का उपकारक कहा गया है, वहीं एक जीव को दूसरे जीवों का उपकारक कहा गया है 'परस्परोपद्ध्रहो जीवानाम्'। चेतन-सत्ता यदि किसी का उपकार या हित कर सकती है, तो चेतन-सत्ता का ही कर सकती है। इस प्रकार पारस्परिक हित-साधन यह जीव का स्वभाव है और यह पारस्परिक हित-साधन की स्वाभाविक वृत्ति ही मनुष्य की सामाजिकता का आधार है। इम स्वाभाविक-वृत्ति के विकास के दो आधार हैं—एक रागात्मक और दूसरा विवेक। रागात्मकता हमें कहीं से जोड़ती है, तो कहीं से तोड़ती भी है। इस प्रकार रागात्मकता के आधार पर जब हम किसी को अपना मानते हैं, तो उसके विरोधी के प्रति "पर" का भाव भी आ जाता है। राग द्वेष के साथ ही जीता है। वे ऐसे जुड़वा शिशु हैं, जो एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक माथ जोते हैं और एक साथ मरते भी हैं। राग जोड़ता है, तो द्वेष तोड़ता है। राग के आधार पर जो भी समाज खड़ा होगा, तो उसमें अनिवार्य रूप से वर्गभेद और वर्णभेद रहेगा ही। मच्चों सामाजिक-चेतना का आधार राग नहीं, विवेक होगा। विवेक के आधार पर दायित्व-बोध एवं कर्तव्य-बोध की चेतना जागृत होगी। राग की भाषा अधिकार की भाषा है, जबकि विवेक की भाषा कर्तव्य की भाषा है। जहाँ केवल अधिकारों की बात होती है, वहाँ केवल विकृत सामाजिकता होती है। स्वस्य सामाजिकता अधिकार का नहीं, कर्तव्य का बोध कराती है और ऐसी सामाजिकता का आधार 'विवेक' होता है, कर्तव्य-बोध होता है। जैन-धर्म ऐसी ही सामाजिक-चेतना को निर्मित करना चाहता है। जब

विवेक क हमारी सामाजिक-जीवन का आधार बनता है, तो मेरे और तेरे की, अपने और पराये की जीवन समाप्त हो जाती है। सभी आत्मवत् होते हैं। जैन-धर्म ने अहिंसा को जो अपने धर्म का आधार माना है, उसका आधार यही आत्मवत् दृष्टि है।

सामाजिक जीवन के बाधक तत्त्व अहंकार और कषाय

सामाजिक सम्बन्ध में व्यक्ति का अहंकार भी बहुत कम महत्वपूर्ण कार्य करता है। शासन की इच्छा या आधिपत्य की भावना इसके प्रमुख तत्त्व हैं, इनके कारण भी सामाजिक-जीवन में विषमता उत्पन्न होती है। शासक और शासित अथवा जातिभेद एवं रंगभेद आदि की श्रेष्ठता-निम्नता के मूल में यही कारण है। वर्तमान में बड़े राष्ट्रों में जो अपने प्रभावक क्षेत्र बनाने की प्रवृत्ति है, उसके मूल में भी अपने गण्डीय अहंकार की पुष्टि का प्रयत्न है। स्वतन्त्रता के अपहार का प्रश्न इसी स्थिति में होता है। जब व्यक्ति के मन में आधिपत्य की वृत्ति या शासन की भावना उद्भुद्ध होती है, तो वह दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, अपहरण करता है। जैन-दर्शन अहंकार (मान) प्रत्यय के विगलन के द्वारा सामाजिक परतन्त्रता को समाप्त करता है। दूसरी ओर, जैन-दर्शन का अहिंसा-सिद्धान्त भी सभी प्राणियों के समान अधिकारों को स्वीकार करता है। अधिकारों का हनन भी एक प्रकार की हिंसा है। अतः अहिंसा का सिद्धान्त स्वतन्त्रता के मिद्दान्त के माथ जुड़ा हुआ है। जैन एवं बौद्ध-दर्शन एक ओर अहिंसा-सिद्धान्त के आशार पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पूर्ण समर्थन करते हैं, वही दूसरी ओर गमता के आधार पर वर्गभेद, जातिभेद, एवं ऊंच-नीच की भावना को गमाप्त करते हैं।

सामाजिक जीवन में विषमता उत्पन्न होने के चार मूलभूत कारण हैं:—१. गंग्रह (लोभ), २. आवेद्य (क्रोध), ३. गर्व (बड़ा मानना) और ४. माया (छिपाना)। जिन्हें जैन-धर्म में चार कथाय कहा जाता है। ये चारों अलग-अलग रूप में सामाजिक-जीवन में विषमता, संघर्ष एवं अद्यान्ति के कारण बनते हैं। १. गंग्रह की मनोवृत्ति के कारण शोषण, अप्रमाणिकता, स्वार्थपूर्ण-व्यवहार, क्रूर-व्यवहार, विश्वासघात आदि विकसित होते हैं। २. आवेद्य की मनोवृत्ति के कारण संघर्ष, युद्ध, आक्रमण एवं हन्त्याएँ आदि होते हैं। ३. गर्व की मनोवृत्ति के कारण घृणा और क्रूर व्यवहार होता है। ४. माया की मनोवृत्ति के कारण अविश्वास एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न होता है। इन प्रकार हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में जिन्हें चार कथाय कहा जाना है, उन्हीं के कारण सामाजिक जीवन दूषित होता है। जैन-दर्शन इन्हीं कथायों के निशेष को अपनी नैतिक-माध्यम का आधार बनाता है। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि जैन-दर्शन अपने माध्यम के रूप में सामाजिक-विषमताओं को समाप्त कर, सामाजिक-समत्व की स्थापना का प्रयत्न करता। यदि हम जैन-धर्म में स्वीकृत पांच महाव्रतों को देखें, तो स्पष्ट रूप में उनका पूर्ण सन्दर्भ सामाजिक जीवन है। हिंसा, मृपावचन, चोरी, मैथुन-संवेदन (व्यभिचार)

एवं मंग्रहवृत्ति सामाजिक जीवन की बुराइयाँ हैं। इनसे बचने के लिए पांच महाव्रतों के रूप में जिन नैतिक सद्गुणों की स्थापना की गई, वे पूर्णतः सामाजिक-जीवन से सम्बन्धित हैं। अतः भारतीय दर्शन ने अनामिकि एवं वीतरागता के प्रत्यय पर जो कुछ बल दिया है वह सामाजिकता का विरोधी नहीं है।

सन्यास और समाज

सामान्यतया भारतीय दर्शन के मन्यास के प्रत्यय को समाज निरपेक्ष माना जाता है, किन्तु क्या सन्यास की धारणा समाज-निरपेक्ष है? निश्चय ही सन्यासी परिवारिक जीवन का त्याग करता है किन्तु इसमें क्या वह असामाजिक हो जाता है? सन्यास के संकल्प में वह कहता है कि 'वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा मथा परित्यक्ता' अर्थात् मैं अर्थ-कामना, सन्तान-कामना और यश-कामना का परित्याग करता हूँ किन्तु क्या धन-सम्पदा, सन्तान तथा यश-कीर्ति की कामना का परित्याग समाज का परित्याग है? वस्तुतः समस्त एषणाओं का त्याग स्वार्थ का त्याग है, वासनामय जीवन का त्याग है, सन्यास का यह संकल्प उस समाज-विमुख नहीं बनाता है, अपितु समाज-कल्याण की उच्चतर भूमिका पर अधिष्ठित करता है क्योंकि सच्चा लोकहित निःस्वार्थता एवं विराग की भूमि पर स्थित होकर ही किया जा सकता है।

भारतीय चिन्तन सन्यास को समाज-निरपेक्ष नहीं मानता। भगवान बुद्ध का यह आदेश 'चरत्य भिक्खवे चारिकं बहुजन-हिताय बहुजन-सुवाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय देव मनुम्मानं' (विनयपिटक-महावग्ग) इस बात का प्रमाण है कि सन्यास लोक-मंगल के लिए होता है। सच्चा सन्यासी वह व्यक्ति है जो समाज से अल्पतम लेकर उसे अधिकतम देता है। वस्तुतः वह कुटुम्ब, परिवार आदि का त्याग इमलिंग करता है कि समष्टि का होकर रहे क्योंकि जो किसी का है वह सबका नहीं हो सकता, जो सबका है वह किसी का नहीं है। सन्यासी निःस्वार्थ और निष्काम रूप से लोक-मंगल का साधक होता है। सन्यास शब्द सम् पूर्वक न्यास है, न्यास शब्द का एक अर्थ देखरेख करना भी है। सन्यासी वह व्यक्ति है जो सम्यक् रूप से एक न्यासी (ट्रस्टी) की भूमिका अदा करता है और न्यासी वह है जो समत्व भाव और स्वामित्व का त्याग करके किसी ट्रस्ट (सम्पदा) का नक्षण एवं विकास करता है। सन्यासी सच्चे अर्थ में एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी यदि ट्रस्ट का उपयोग अपने हित में करता है, अपने को उसका स्वामी समझता है तो वह सम्यक् ट्रस्टी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि वह ट्रस्ट के रक्षण एवं विकास का प्रयत्न न करे तो भी सच्चे अर्थ में ट्रस्टी नहीं है। इसी प्रकार यदि सन्यासी लोकेषणा से युक्त है, समत्व-बुद्धि या स्वार्थ बुद्धि से काम करता है तो सन्यासी नहीं है और यदि लोक की उपेक्षा करता है, लोकमंगल के लिए प्रयास नहीं करता है तो वह भी सन्यासी नहीं है। उनके जीवन का मिशन तो 'सर्वभूत-हिते रतः' का है।

१. लेखक इस व्याख्या के लिए महेन्द्र मुनि जी का आभारी है।

सन्न्यास में राग से ऊपर उठना आवश्यक है। किन्तु इसका तात्पर्य समाज की उपेक्षा नहीं है। सन्न्यास को भूमिका में स्वत्व एवं ममत्व के लिए निश्चय हो कोई स्थान नहीं है। फिर भी वह पलायन नहीं, अपितु समर्पण है। ममत्व का परित्याग कर्तव्य की उपेक्षा नहीं है, अपितु कर्तव्य का सही बोध है। सन्न्यासी उस भूमिका पर खड़ा होता है जहाँ व्यक्ति अपने में समष्टि को और समष्टि में अपने को देखता है। उमकी चेतना अपने और पराये के भेद से ऊपर उठ जाती है। यह अपने और पराये के विचार से ऊपर हो जाना समाज विमुखता नहीं है, अपितु यह तो उसके हृदय की व्यापकता है, महानता है। इसलिए भारतीय चिन्तकों ने कहा है:—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम् ॥

सन्न्यास की भूमिका न तो आसक्ति की भूमिका है और न उपेक्षा की। उमकी बास्तविक स्थिति 'धाय' (नर्स) के समान ममत्व रहित कर्तव्य भाव की होती है। जैन-धर्म में कहा भी गया है:—

सम दृष्टि जीवडा करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तर सूं न्यारा रहे जूँ धाय खिलावे बाल ॥

बस्तुतः निर्ममत्व एवं निःस्वार्थ भाव से तथा वैयक्तिकता और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन ही सन्न्यास की सच्ची भूमिका है। सन्न्यासी वह व्यक्ति है जो लोक-मंगल के लिए अपने व्यक्तित्व एवं अपने शरीर को समर्पित कर देता है। वह जो कुछ भी त्याग करता है वह समाज के लिए एक आदर्श बनता है। समाज में नैतिक चेतना को जाग्रत करना तथा सामाजिक जीवन में आनंदाली दुःखात्मकियों से व्यक्ति को बचाकर लोकमंगल के लिए उसे दिशा-निर्देश देना सन्न्यासी का सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में सन्न्यास की जो भूमिका प्रस्तुत की गई है वह सामाजिकता की विरोधी नहीं है। सन्न्यासी क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जो आदर्श समाज-रचना के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब हम मोक्ष के प्रत्यय की सामाजिक उपादेयता पर चर्चा करना चाहेंगे।

पुरुषार्थ चतुष्टय एवं समाज

भारतीय दर्शन मानव जीवन के लिए धर्म, काम, धर्म और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को स्वीकार करता है। यदि हम सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में इन पर विचार करते हैं तो इनमें से धर्म, काम और धर्म का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक जीवन में ही इन तीनों पुरुषार्थों की उपलब्धि सम्भव है। अर्थोपार्जन और काम का संवन तो सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। किन्तु भारतीय चिन्तन में धर्म भी सामाजिक व्यवस्था और शान्ति के लिए ही है क्योंकि धर्म को 'धर्मो धारयते प्रजाः' के

रूप में परिभ्रापित कर उसका सम्बन्ध भी हमारे सामाजिक जीवन से जोड़ा गया है। वह लोक-मर्यादा और लोक-अवस्था का ही सूचक है। अतः पुरुषार्थ-चतुष्टश में केवल मोक्ष ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसकी सामाजिक मार्यकता विचारणीय है। प्रश्न यह है कि क्या मोक्ष की धारणा सामाजिक दृष्टि में उपादेय हो सकती है? जहाँ तक मोक्ष की सर्वानन्द अवस्था या तन्व-मीमांसीय धारणा का प्रश्न है उस सम्बन्ध में न तो भाग्यतीय दर्शनों में ही एक-अप्रत्याह ही और न उसकी कोई सामाजिक सार्थकता ही खोजी जा सकती है। किन्तु इसी आधार पर मोक्ष को अनुपादेय मान लेना उचित नहीं है। लगभग नभी भाग्यतीय दर्शनिक इस सम्बन्ध में एकमत है कि मोक्ष का सम्बन्ध मूल्यतः मनुष्य का मनोवृत्ति से है। बन्धन और मुक्ति दोनों ही मनुष्य के मनोवृत्तियों में सम्बन्धित हैं। गग, द्वेष, आसक्ति, तृष्णा, मनव्य, अहम् आदि की मनोवृत्तियाँ ही बन्धन हैं और इनमें मुक्त हाना ही मुक्ति है। मुक्ति की व्याख्या करने हुए जैन दानिशकों ने कहा था कि मोह और धोभ से रहित आनंद की अवस्था ही मुक्ति है। आचार्य शंकर कहते हैं:—

‘वामनाप्रक्षयो मोहः’¹

वस्तुतः मोह और धोभ हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इसलिए मुक्ति का सम्बन्ध भी हमारे जीवन में ही है। मेरी दृष्टि में मोक्ष मानसिक तनावों से मुक्ति है। यदि हम मोक्ष के प्रस्तव की सामाजिक मार्यकता के सम्बन्ध में विचार करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं मनोवृत्तियों एवं मानसिक विद्वाओं के सम्बन्ध में उस पर विचार करना होगा। **सम्भवतः** इस सम्बन्ध में कोई भी दो मत नहीं रखेगा कि गग, द्वेष, तृष्णा, आसक्ति, मनव्य, ईर्ष्या, वैमनस्य आदि की मनोवृत्तियाँ हमारे सामाजिक जीवन के लिए अधिक बाधक हैं। यदि इन मनोवृत्तियों से मुक्त होना ही मुक्ति का हार्द है तो मुक्ति का सम्बन्ध हमारे सामाजिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मोक्ष मात्र एक सरणोत्तर अवस्था नहीं है अपिनु वह हमारे जीवन में सम्बन्धित है। मोक्ष को पुरुषार्थ माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह इसी जीवन में प्राप्त है, जो लोग मोक्ष को एक सरणोत्तर अवस्था मानने हैं, वे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। आचार्य शंकर लिखते हैं:—

देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः।

अविद्याहृदयग्रन्थिमोक्षो मोऽो यतस्ततः ॥²

सरणोत्तर मोक्ष या विदेह-मुक्ति साध्य नहीं है। उसके लिए कोई साधना अपेक्षित नहीं है। जिस प्रकार मृत्यु जन्म लेने का अनिवार्य परिणाम है उसी प्रकार विदेह-मुक्ति तो जीवन-मुक्ति का अनिवार्य परिणाम है। अतः जो प्राप्तव्य है, जो पुरुषार्थ है और जो साध्य है वह तो जीवन-मुक्ति ही है। जीवन मुक्ति के प्रत्यय की सामाजिक सार्थकता से

हम इन्कार भी नहीं कर सकते क्योंकि जीवन-मुक्त एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सदैव लोक-कल्याण के लिए प्रस्तुत रहता है। जैन दर्शन में तीर्थंकर, बौद्ध दर्शन में अहंत् एवं बोधिमत्त्व और वैदिक दर्शन में स्थित-प्रज्ञ की जो धारणाएँ प्रस्तुत की गई हैं और उनके व्यक्तित्व को जिस रूप में चिह्नित किया गया है उससे हम निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि मोक्ष के प्रत्यय की सामाजिक उपादेयता भी है। वह लोक-मंगल और मानव कल्याण का एक महान आदर्श माना जा सकता है क्योंकि जन-जन का दुःखों से मुक्त होना ही मुक्ति है, मात्र इतना ही नहीं, भारतीय चिन्तन में वैयक्तिक मुक्ति की अपेक्षा भी लोक-कल्याण के लिए प्रयत्नशील बने रहने को अग्रिम महत्व दिया गया है। बौद्ध दर्शन में बोधिमत्त्व का और गीता में स्थितप्रज्ञ का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, वह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि केवल वैयक्तिक मुक्ति को प्राप्त कर लेना ही अनितम लक्ष्य नहीं है। बोधिमत्त्व तो लोकमंगल के लिये अपने बन्धन और दुःख की कोई परवाह नहीं करता है। वह कहता है:—

बहुनामेऽदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । उत्पाद्मेव तद् दुःखं मरयेन परात्मनो ।
मुच्यनानेषु मत्त्वेषु ये ते प्रमोद्यमागगः । तंरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारम्भेन किम् ॥१॥

यदि एक के काट उठाने से वहाँ का दुःख दूर होता हो, तो कल्पणापूर्वक उनके दुःख दूर करना ही अच्छा है। प्राणियों को दुःखों से मुक्त होता हुआ देखकर जो आनन्द प्राप्त होता है वही क्या कम है, किंग नीर्गम मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा की क्या आवश्यकता है? वैयक्तिक मुक्ति की धारणा की आलोचना करते हुए और जन-जन की मुक्ति के लिए अपने मरुन्प को स्पष्ट करने हुए भागवत के सप्तम स्कन्ध में प्रह्लाद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि—

प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामाः ।

मैनं चर्गत्वं विजने न पर्याप्ताः ॥

नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षुरेकः ।

‘हे प्रभु अपनी मुक्ति की कामना करने वाले देव और मुनि तो अब तक काफी हो चुके हैं, जो जंगल में जाकर मौन माध्यन किया करते थे। किन्तु उनमें पर्याप्त-निष्ठा नहीं थी। मैं तो अकेला इन मनु दुःखोंजनों को छोड़कर मुक्त होना भी नहीं चाहता।’ यह भारतीय दर्शन और माहित्य का मर्वश्वेष्ट उद्गार है। इसी प्रकार बोधिमत्त्व भी मर्दव ही दीन और दुःखी जनों को दुःख में मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील बने रहने की अभिलाप्या करता है और मन्त्रको मुक्त कराने के पश्चात् ही मुक्त होना चाहता है।

भवेयमपुत्रीव्योज्जं यावत्सर्वं न निर्वताः ॥२॥

बस्तुतः मोक्ष अकेला पाने की बस्तु ही नहीं है। इस सम्बन्ध में विनोदा भावे के उद्गार विचारणीय हैं:—

जो समझता है कि मोक्ष अकेले हथियाने की बस्तु है, वह उसके हाथ से निकल जाता है, 'मैं' के आने ही मोक्ष भाग जाता है, मेरा मोक्ष यह बाक्य ही गलत है। 'मेरा' मिटने पर ही मोक्ष मिलता है।'

इसी प्रकार वास्तविक मुक्ति अहंकार में मुक्ति ही है। 'मैं' अथवा अहं भाव से मुक्त होने के लिए हमें अपने आपको समर्पित में, समाज में लोन कर देना होता है। मुक्ति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो कि अपने व्यक्तित्व को समर्पित में, समाज में विलीन कर दे। आचार्य शान्तिदत्त लिखते हैं:—

सर्वन्यागश्च निर्वाणं निर्वाणार्थं च मे मनः ।
त्यक्तव्यं चेन्मया मर्वं वरं सत्त्वेषु दीयताम् ॥२

इस प्रकार यह धारणा कि मोक्ष का प्रत्यय सामाजिकता का विरोधी है, गलत है। मोक्ष बस्तुतः दुःखों से मुक्ति है और मनुष्य जीवन के अधिकांश दुःख, मानवीय संबंधों के कारण ही है। अतः मुक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, धृणा आदि के संबंधों से मुक्ति पाने में है और इस रूप में वह वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से उपादेय भी है। दुःख, अहंकार एवं मानसिक बलेशों से मुक्ति रूप में मोक्ष उपादेयता और सार्थकता को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि पूर्णतया सामाजिक और लोकमंगल के लिए प्रथलशील बने रहने की है। उसकी एकमात्र मंगल कामना है:—

सर्वेऽन्न मुक्तिः मन्तु । मर्वं सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

स्वहित बनाम लोकहित

नैतिक चिन्तन के प्रारम्भ काल से ही स्वहित और लोकहित का प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय परम्परा में एक और चाणक्य का कथन है कि स्त्री, धन आदि सबसे बढ़कर अपना रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए।^१ विदुर ने भी कहा है कि जो स्वार्थ को छोड़कर परार्थ करता है, जो मित्र (दूसरे लोगों) के लिए श्रम करता है वह मृत्यु ही है।^२ दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि स्वहित के लिए तो सभी जीते हैं, जो लोकहित के लिए जीता है, उमोका जीना सच्चा है।^३ जिमके जीने में लोकहित न हो, उससे तो मरण ही अच्छा है।^४

पाश्चात्य विचारक हरबर्ट स्टेन्मर ने तो इस प्रश्न को नैतिक मिद्दान्तों के चिन्तन को वास्तविक ममत्या कहा है। यहाँ तक कि पाश्चात्य आचार-शास्त्रीय विचारधारा में तो स्वार्थ और परार्थ की धारणा को लेकर दो पक्ष बन गये। स्वहितवादी विचारक जिनमें हाड्म, नोत्वे आदि प्रमुख हैं, यह मानते हैं कि मनुष्य प्रकृत्या केवल स्वहित या अपने लाभ से प्रेरित होकर कार्य करता है। अन्य नैतिकता का वही मिद्दान्त ममुचित है जो मानव-प्रकृति की इस धारणा के अनुकूल हो। इनके अनुमार अपने हित के लिए कार्य करने में ही मनुष्य का श्रेय है। दूसरी ओर अन्यथा, मिल प्रभृति विचारक मानव की स्वसुखवादी मनोवैज्ञानिक प्रकृति को स्वीकार करने हुए भी बौद्धिक आधार पर यह मिद्द करते हैं कि परहित की भावना ही नैतिक दृष्टि से व्यायपूर्ण है अथवा नैतिक जीवन का साध्य है।^५ मिल परार्थ को स्वार्थ के बौद्धिक आधार पर मिद्द करके ही सल्लाह नहीं हो जाते, वर्ग आंतरिक अंकुश (Internal Sanction) के द्वारा उसे स्वाभाविक भी मिद्द करने हैं उनके अनुमार यह आन्तरिक अंकुश मजानीयता की भावना है। यद्यपि यह जन्मजात नहीं है, तथापि अस्याभाविक या अनेमिक भी नहीं है।^६ दूसरे, अन्य विचारक भी जिनमें बट्टर, गायेनहावर एवं टालस्टाय आदि प्रमुख हैं, मानव को मनोवैज्ञानिक प्रकृति में महानुभूति, प्रेम आदि की उपस्थिति दिखाकर परार्थवादी या लोकप्रगतकारी आचार-दर्शन का समर्थन करते हैं। हरबर्ट स्टेन्मर से

१. चाणक्यनोनि, ११६, पञ्चतंत्र १३८।

२. विदुरनोनि, ३६

३. मुभागित-उद्दृत नीतिशास्त्र का मर्वेक्षण, पृ० २०८

४. वही, पृ० २०५

५. नीतिशास्त्र की उपरेक्षा, पृ० १३३

६. यूटिलिटरियनिज्म, अध्याय २, उद्धृत नीतिशास्त्र की उपरेक्षा, पृ० १४८

लेकर ब्रेंडले, ग्रीन, अग्रवाल आदि अनेक ममकालीन विचारकों ने भी मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों का उभारने हुए सामान्य शुभ (कामन गुड़) की अवधारणा के द्वारा स्वार्थवाद और परार्थवाद के बीच समन्वय मानने का प्रयास किया है। मानव-प्रकृति में विवितराण हैं, उममें स्वार्थ और परार्थ के तन्त्र आवश्यक रूप में उपस्थित हैं। आचार-दर्शन का कार्य यह नहीं है कि वह स्वार्थवाद या परार्थवाद में से किसी एक सिद्धान्त का ममथन या विगोष करे। उमका कार्य ना यह है कि 'अपने' और 'पराये' के मध्य मन्तुलन बैठाने का प्रयास करे अथवा आचार के लक्ष्य को इस रूप में प्रस्तुत करे कि जिममें 'मैं' और 'पर' के बीच मध्यमों की मम्भावना का निराकरण किया जा सके। भाग्यतीय आचार-दर्शन कहाँ तक और किम कल में स्व और पर के संघर्ष की सम्भावना को ममाप्त करने हैं अथवा स्व और पर के मध्य आदर्श मन्तुलन की संस्थापना करने में महज होने हैं, इग बात की विवेचना के पूर्व हमें स्वार्थवाद और परार्थवाद की परिभाषा पर भी विचार कर लेना होगा।

मध्यें प्रमें स्वार्थवाद आन्मग्रन्थ है और परार्थवाद आन्मत्याग है। मैकेन्जी लिखते हैं कि जब हम केवल अपने व्यक्तिगत माध्य की मिठि चाहते हैं तब इसे स्वार्थवाद कहा जाता है, परार्थवाद है दूसरे के माध्य की मिठि का प्रयास करना।^१

जैनाचार-दर्शन में स्वार्थ और परार्थ—यदि स्वार्थ और परार्थ की उपर्युक्त परिभाषा स्वीकार की जायें तो जैन, बीदू एवं गीता के आचार-दर्शनों में किसीको पूर्णतया न स्वार्थवादी कहा जा सकता है और न परार्थवादी। जैन आचार-दर्शन आत्मा के स्वगुणों के रक्षण की बात कहता है। इस अर्थ में वह स्वार्थवादी है। वह सदैव ही आत्म-रक्षण या स्व-दया का ममर्थन करता है, लेकिन साथ ही वह कषायात्मा या बासनात्मक आत्मा के विमर्जन, बलिदान या त्याग को भी आवश्यक मानता है और इस अर्थ में वह परार्थवादी भी है। यदि हम मैकेन्जी की परिभाषा को स्वीकार करें और यह मानें कि व्यक्तिगत माध्य की मिठि स्वार्थवाद और दूसरे के माध्य की सिद्धि का प्रयास परार्थवाद है तो भी जैन दर्शन स्वार्थवादी और परार्थवादी दोनों ही सिद्ध होता है। वह व्यक्तिगत आत्मा के मोक्ष या मिठि का समर्पन करने के कारण स्वार्थवादी तो होगा ही, लेकिन दूसरे को मुक्ति के हेतु प्रयासशील होने के कारण परार्थवादी भी कहा जायेगा। आत्म-कल्याण, वैयक्तिक बन्धन एवं दुःख से निवृत्ति की दृष्टि से तो जैन-साधना का प्राण आत्महित ही है, लेकिन लोक-करुणा एवं लोकहित की जिस उच्च भावना से वर्द्धन-प्रवचन प्रस्फुटित होता है उसे भी नहीं भुलाया जा सकता।

जैन-साधना में लोक-हित—जैनाचार्य समन्वयभूद बोर-जिन-स्तुति में कहते हैं, 'हे भगवन्, आपको यह संघ (समाज)-व्यवस्था सभी प्राणियों के दुःखों का अन्त करने

१. नीति-प्रवेशिका, मैकेन्जी (हिन्दी अनुवाद), पृ० २३४

२. आचारांग ११४। १२७-१२९

बाली और सबका कल्याण (सर्वोदय) करनेवाली है।^१ इससे ऊँची लोकमंगल की कामना क्या हो सकती है? प्रश्नव्याकरणमूल में कहा गया है कि भगवान् का यह सुकृतिप्रबन्धन संसार के सभी प्राणियों के रक्षण एवं कहणा के लिए है।^२ जैन-साधना लोकमंगल की धारणा को लेकर ही आगे बढ़ती है। उसी मूल में आगे कहा है कि जैन-साधना के पांचों महाव्रत सर्व प्रकार से लोकहित के लिए ही है।^३ अहिंसा की महत्त्वादाते हुए कहा गया है कि साधना के प्रथम स्थान पर स्थित यह अहिंसा सभी प्राणियों का कल्याण करनेवाली है।^४ यह भगवती अहिंसा भयभीतों के लिए शरण के समान है, पक्षियों के आकाश गमन के समान निर्बाध रूप से हितकारिणी है। प्यासों को पानी के समान, भूखों को भोजन के समान, समुद्र में जहाज के समान, गंगियों के लिए औषधि के समान और अटवी में सहायक के समान है।^५ तीर्थझूरनमस्कारमूल (नमोस्थुण) में तीर्थझूर के लिए लोकनाय, लोकहितकर, लोकप्रदीप, अभय के दाता आदि जिन विशेषणों का उपयोग हुआ है, वे भी जैनदृष्टि की लोकमंगलकारी भावना को स्पष्ट करते हैं। तीर्थझूरों का प्रवचन एवं धर्म-प्रवर्तन प्राणियों के अनुग्रह के लिए होता है, न कि पूजा या सत्कार के लिए।^६ यदि यह माना जाये कि जैन-साधना केवल आत्महित, आत्मकल्याण की बात कहती है तो फिर तीर्थकर के द्वारा तीर्थप्रवर्तन या संघ-संचालन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि कैवल्य की उपलब्धि के हाद उन्हें अपने कल्याण के लिए कुछ करना शेष ही नहीं रहता। अतः मानना पड़ेगा कि जैन-साधना का आदर्श आत्मकल्याण ही नहीं, बरन् लोक-कल्याण भी है।

जैन दार्शनिकों ने आत्महित की अपेक्षा लोकहित को सदैव ही अधिक महत्व दिया है। जैन-दर्शन के अनुमार साधना की सर्वोच्च ऊँचाई पर स्थित सभी जीवन्मुक्त आध्यात्मिक पूर्णता की दृष्टि से समान ही होते हैं, फिर भी आत्महितकारिणी और लोकहितकारिणी दृष्टि के आधार पर उनमें उच्चावच्च अवस्था को स्वीकार किया गया है। एक मामान्य केवली (जीवन्मुक्त) और तीर्थकर में आध्यात्मिक पूर्णताएँ समान ही होती हैं, फिर भी अपनी लोकहितकारी दृष्टि के कारण ही तीर्थकर को सामान्य केवली की अपेक्षा अधेष्ठ माना गया है। आचार्य हरिमद्र के अनुमार जीवन्मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने वालों में भी उनके लोकोपकारिता के आधार पर तीन वर्ग होते हैं:—
१. तीर्थकर, २. गणधर, ३. सामान्य केवली।

१. तीर्थकर—तीर्थकर वह है जो सर्वहित के संकल्प को लेकर साधना-मार्ग में आता है और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी लोकहित में लगा

१. सर्वोदयदर्शन, आमुख, प० ६ पर उद्धृत।

२. प्रश्नव्याकरणमूल, २।१।२

४. वही, २।१।३

६. मूलकृतांग (टी०) १।६।४

३. वही, २।१।२।१

५. वही, २।१।२।२

रहता है। सर्वहित, सर्वोदय और लोक-कल्याण ही उनके जीवन का ध्येय कथा जाता है।^१

२. गणधर—सहवर्गीय-हित के संकल्प को लेकर साधना-क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाला और अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर भी सहवर्गियों के हित एवं कल्याण के लिए प्रयत्नशील माधक गणधर है। समूह-हित या गण-कल्याण गणधर के जीवन का ध्येय होता है^२।

३. सामान्य केवली—आत्म-कल्याण को ही जिसने अपनी साधना का ध्येय बनाया है और जो इसी आधार पर साधना-मार्ग में प्रवृत्त होता हुआ आध्यात्मिक पूर्णता की उपलब्धि करता है वह सामान्य केवली कहलाता है^३। मामान्य केवलों को पारिभाषिक शब्दावली में मुण्ड-केवली भी कहते हैं।

जैनधर्म में विश्वकल्याण, वर्गकल्याण और वैयक्तिक कल्याण की भावनाओं को लेकर तदनुकूल प्रवृत्ति करने के कारण ही माधकों को ये विभिन्न कक्षाएँ निर्धारित की गयी हैं, जिनसे विश्व-कल्याण की प्रवृत्ति के कारण ही तीर्थङ्कर को मर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जिस प्रकार बौद्ध-विचारणा में बोधिमत्व और अहंत् के आदर्शों में भिन्नता है उसी प्रकार जैन विचारणा में तीर्थङ्कर और मामान्य केवली के आदर्शों में तरतमता है।

दूसरे जैन-साधना में संघ (समाज) को सर्वोपरि माना गया है। संघहित समस्त वैयक्तिक ताधनाओं से ऊपर है, संघ के कल्याण के लिए वैयक्तिक साधना का परित्याग करना भी आवश्यक माना गया है। आचार्य कालक की कथा इसका उदाहरण है^४।

स्थानांगमूल में जिन दस धर्मों (कर्त्तव्यों)^५ का निर्देश किया गया है, उनमें संघधर्म, राष्ट्रधर्म, नगरधर्म, ग्रामधर्म और कुलधर्म का उल्लेख इस बात का सबल प्रमाण है कि जैनदृष्टि न केवल आत्महित या वैयक्तिक विकास तक सीमित है, बरन् उसमें लोकहित या लोककल्याण का अवलम्बन प्रबाहु भी प्रवाहित है।

यद्यपि जैन-दर्शन लोकहित, लोकमंगल की बात कहता है परन्तु उसकी एक जारी है कि परार्थ के लिए स्वार्थ का विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन आत्मार्थ का नहीं। उसके अनुमार वैयक्तिक भौतिक उपलब्धियों को लोककल्याण के लिए समर्पित किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि वे हमें जगत् से ही मिली हैं, वे संसार की ही हैं, हमारी नहीं। सांसारिक उपलब्धियाँ संसार के लिए हैं, अतः उनका लोकहित के लिए विसर्जन किया जाना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक विकास या

१. योगविन्दु, २८५-२८८। २. वही, २८९। ३. वही, २९०।

४. निशीथबूष्णि, गा० २८६०। ५. स्थानांग, १०।७६०।

बैथकितक नैतिकता को लोकहित के नाम पर कुछित किया जाना उसे स्वीकार नहीं। ऐसा लोकहित जो व्यक्ति के चरित्र-पतन अथवा आध्यात्मिक कुष्ठन से फलित होता हो, उसे स्वीकार नहीं है लोकहित और आत्महित के सन्दर्भ में उसका स्वर्णिमसूत्र है— आत्महित करो और यथाशक्य लोकहित भी करो, लेकिन जहाँ आत्महित और लोकहित में द्वन्द्व हो और आत्महित के कुष्ठन पर ही लोकहित फलित होता हो, वहाँ आत्मकल्याण ही थ्रेष्ठ है।^१

आत्महित स्वार्थ नहीं है—आत्महित स्वार्थवाद नहीं है। आत्मकाम वस्तुतः निष्काम होता है, क्योंकि उमको कोई कामना नहीं होती। इसलिए उमका कोई स्वार्थ भी नहीं होता। स्वार्थों तो वह होता है जो यह चाहता है कि सभी लोग उसके हित के लिए कार्य करें। आत्मार्थों स्वार्थों नहीं हैं उसको दृष्टि तो यह होती है कि सभी अपने हित के लिए कार्य करें। स्वार्थ और आत्मकल्याण में मौलिक अन्तर यह है कि स्वार्थ की मायना में राग और द्वेष की वृत्तियाँ काम करती हैं जबकि आत्महित या आत्मकल्याण का प्रारम्भ ही राग-द्वेष की वृत्तियों का धीणता से होता है। स्वार्थ और परार्थ में सधर्य की सम्भावना भी तभी है, जब उनमें राग-द्वेष की वृत्ति निहित हो। राग-भाव या स्वहित का वृत्ति में किया जाने वाला परार्थ भी सच्चा लोकहित नहीं है, वह तो स्वार्थ ही है। शासन द्वारा नियुक्त एवं प्रेरित समाजकल्याण अधिकारी वस्तुतः लोकहित का कर्ता नहीं है, वह तो वेतन के लिए काम करता है। इसी तरह राग से प्रेरित होकर लोकहित करने वाला भी मच्चे अर्थों में लोकहित का कर्ता नहीं है। उसके लोकहित के प्रयत्न राग की अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा की रक्षा, यश-अर्जन की भावना या भावीलाभ को प्राप्ति के हेतु हांहाने हैं। ऐसा परार्थ स्वार्थ ही होता है। सच्चा आत्महित और सच्चा लोकहित, राग-द्वेष से रहित अनासक्ति की भूमि पर प्रस्फुटित होना है। लेकिन उम अवस्था में न तो 'स्व' रहता है न 'पर'; क्योंकि जहाँ गग है वही 'स्व' है और जहाँ 'स्व' है वही 'पर' है। गग के अभाव में स्व और पर का विभेद ही ममाल हो जाता है। ऐसी राग विहीन भूमिका में किया जानेवाला आत्महित भी लोकहित होता है, और लोकहित आत्महित होता है। दोनों में कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वेष नहीं है। उम दशा में तो सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है, जिसमें न कोई अपना, न कोई पगया। स्वार्थ-परार्थ की समस्या यही रहती ही नहीं।

जैन-विचारणा के अनुसार स्वार्थ और परार्थ के मध्य सभी अवस्थाओं में संघर्ष रहे, यह आवश्यक नहीं। व्यक्ति जैसे-जैसे श्रोतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर ऊपर उठता जाता है, वैसे-वैसे स्वार्थ-परार्थ का संघर्ष भी ममाप्त होता जाता है। जैन विचारकों ने परार्थ या लोकहित के दोन स्तर माने हैं:—

१. उद्घृत आत्मसाधना-संग्रह, पृ० ४६१।

१. द्रव्य लोकहित, २. भाव लोकहित और ३. पारमार्थिक लोकहित।

१. द्रव्य-लोकहित^१—यह लोकहित का भौतिक स्तर है। भौतिक उपादानों जैसे भोजन, वस्त्र, आवाम आदि तथा शारीरिक सेवा के द्वारा लोकहित करना लोकहित का भौतिक स्तर है। यहाँ पर लोकहित के साधन भौतिक होते हैं। द्रव्य-लोकहित एकान्त रूप में आचरणीय नहीं कहा जा सकता। यह अपवादात्मक एवं सापेक्ष नैतिकता का क्षेत्र है। भौतिक स्तर पर न्वहित को उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यहाँ तो स्वहित और परहित में उचित समन्वय साधना ही अपेक्षित है। पाइचात्य नैतिक विचारणा के परिणत स्वार्थवाद, बौद्धिक परार्थवाद और सामान्य शुभतावाद का विचारअन्तर्गत लोकहित का भौतिक स्वरूप ही है।

२. भाव-लोकहित^२—लोकहित का यह स्तर भौतिक स्तर से ऊपर का है। यहाँ लोकहित के साधन ज्ञानात्मक या चैतसिक होते हैं। इस स्तर पर परार्थ और स्वार्थ संघर्ष की सम्भावना अल्पतम होती है।

३. पारमार्थिक लोकहित^३—यह लोकहित का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ आत्महित और पर-हित में कोई संघर्ष या द्वंत नहीं रहता। यहाँ पर लोकहित का रूप होता है यथार्थ जीवनदृष्टि के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करना।

बौद्ध दर्शन की लोकहितकारिणी दृष्टि

बौद्ध-धर्म में लोक-मंगल की भावना का स्रोत प्रारम्भ से ही प्रवाहित रहा है। भगवान् बुद्ध की धर्मदेशना भी जैन तीर्थकरों की धर्म-देशना के ममान लोकमंगल के लिए ही प्रस्फुटित हुई थी। इतिवृत्तक में बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, दो संकल्प तथागत भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध को हुआ करने हैं—१. एकान्त ध्यान का संकल्प और २. प्राणियों के हित का संकल्प^४। बोधि प्राप्त कर लेने पर बुद्ध ने अद्वितीय समाधि-सुध में विहार करने के निश्चय का परिस्थाग कर लोकहितार्थ प्रबं लोकमंगल के लिए परिचारण करना ही स्वीकार किया। यह उनकी लोकमंगलकारी दृष्टि का मबसे बड़ा प्रमाण है।^५ यही नहीं, बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को लोकहित का ही सन्देश दिया और कहा कि हे भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक की अनुकूल्या के लिए, देव और मनुष्यों के सुख और हित के लिए परिचारण करते रहो।^६ जातक निदान कथा में भी बोधिसत्त्व को यह कहते हुए ध्याया गया है कि मुझ शक्तिशाली पुरुष के लिए अकेले तर जाने से क्या लाभ ? मैं तो सर्वज्ञता प्राप्त कर देवताओं-सहित इस सारे लोक को ताढ़ूंगा।^७

१-३. अधिघान राजेन्द्र, संप्ल ५, पृ० ६९७ ४. इतिवृत्तक, २।२।९

५. मज्जमनिकाय, १।३।६

६. विनयपिटक, महावग्ग, १।१०।३२

७. जातकअट्टकथा-निदान कथा।

बौद्ध-धर्म की महायान शास्त्रा ने तो लोकमंगल के आदर्श को ही अपनी नेतृत्वता का प्राण माना। वहाँ तो साधक लोकमंगल के आदर्श को मात्रना में परममूल्य निर्वाण की भी उपेक्षा कर देता है, उसे अपने वैयक्तिक निवारण में कोई सुचि नहीं रहती है। महायानी साधक कहता है—दूसरे प्राणियों को दुःख से छुड़ाने में जो आनन्द मिलता है, वही बहुत काफी है। अपने लिए भोक्ता प्राप्त करना नीरस है, उससे हमें क्या लेना देना।^१

लंकावतारसूत्र में बोधिसत्त्व से यहाँ तक कहलवा दिया गया कि मैं तबतक परिनिर्वाण में प्रवेश नहीं करूँगा जबतक कि विश्व के सभी प्राणी विमुक्ति प्राप्त न कर लें।^२ साधक पर-दुःख-विमुक्ति से मिलनेवाले आनन्द को स्व के निर्वाण के आनन्द से भी महत्त्वपूर्ण मानता है, और उसके लिए अपने निर्वाण सुख को ठुकरा देता है। पर-दुःख-कातरता और सेवा के आदर्श का इससे बड़ा संकल्प और क्या हो सकता है? बौद्ध-दर्शन की लोकहितकारी दृष्टि का गम-परिग्राम तो हमें आचार्य शान्तिदेव ने ग्रन्थ शिक्षास मुच्चय और बोधिचर्यावितार में मिलता है। लोकमंगल के आदर्श को प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, 'अपने सुख को अलग रख और दूसरों के दुःख (दूर करने) में लग'^३। दूसरों का सेवक बनकर इस शरीर में जो कुछ बन्दु देव उससे दूसरों का हित कर।^४ दूसरे के दुःख में अपने सुख को बिना बढ़ा बुद्धत्व की मिद्दि नहीं हो सकती। किंतु भमार में सुख ही ही कहाँ?^५ यदि एक के दुःख उठाने में बहुत का दुःख न ला जाय तो अपने पगड़े पर कृपा करके वह दुःख उठाना ही चाहिए।^६ बोधिसत्त्व की लंकामेवा की भावना का चित्र प्रस्तुत करने हुए आचार्य लिखते हैं, "मैं अनाथों का नाथ बनूँगा, यात्रियों का साथवाह बनूँगा, पार जाने की इच्छायाओं के लिए मैं नाव बनूँगा, मैं उनके लिए मेनु बनूँगा, धरनियाँ बनूँगा। दीपक चाहने वालों के लिए दीपक बनूँगा, जिन्हें शश्या की आवश्यकता है उनके लिए मैं शश्या बनूँगा, जिन्हें दाम की आवश्यकता है उनके लिए दाम बनूँगा, इस प्रकार मैं जगतों के मर्भा प्राणियों की मेवा करूँगा।^७ जिस प्रकार पृथ्वी, अग्नि आदि भौतिक वस्तुओं मध्यूर्ण आकाश (विश्वमण्डल) में सभी प्राणियों के सुख का कारण होती हैं, उसी प्रकार मैं आकाश के नीचे रहनेवाले सभी प्राणियों का उपजीव्य बनकर रहना चाहता हूँ, जब तक कि मर्भा प्राणी मुक्ति प्राप्त न कर ले।^८

मात्रना के माथ सेवा की भावना का वित्तना मुन्द्र ममनवय है! लोकसेवा, लोक-कल्याण-कामना के इस महान् आदर्श को देखकर हमें वरदम ही श्री भगतसिंहजी

१. बोधिचर्यावितार, ८१०८

२. लंकावतारसूत्र, ९१६

३. बोधिचर्यावितार, ८१६१

४. वही, ८१५९

५. वही, ८१३१

६. वही, ८१०५

७. वही, ३१७-१८

८. वही, ३१२०-२१

उपाध्याय के स्वर में कहना पड़ता है, 'कितनी उदात् भावना है । विश्व-चेतना के साथ अपने को आत्मसान् करने की कितनी विद्वलता है । परार्थ में आत्मार्थ को मिला देने का किनना अपार्थिव उद्योग है' ।^१ आचार्य गान्धिदेव भी केवल परोपकार या लोक-कल्याण का सम्बेदन नहीं देने, बरन् उम्म लोक-कल्याण के सम्पादन में भी पूर्ण निष्काम भाव पर भी बढ़ देने हैं । निष्काम भाव में लोककल्याण कैसे किया जाये, इसके लिए शान्तिदेव ने जो विचार प्रमुख किये हैं, वे उनके मौलिकचिन्तन का परिणाम हैं । गीता के अनुगाम ध्यक्षिण ईश्वरीय प्रेरणा को मानकर निष्काम भाव में कर्म करता रहे अथवा स्वयं को और सभी मात्रों प्राणियों को उसी पर ब्रह्म का ही अंश मानकर सभी में आत्मभाव जागृत कर बिना आकृष्टा के कर्म करता रहे । लेकिन निरीश्वरवादी और अनान्मवादी बोद्ध दर्शन में तो यह सम्भव नहीं था । यह तो आचार्य की बोधिक प्रतिभा ही है, जिसने मनोवैज्ञानिक आवारों पर निष्कामभाव में लोकहित की प्रबधाणा को सम्भव बनाया । समाज के मावयवता के जिस मिदान्त के आधार पर ब्रह्मण्ड प्रभुनि पात्त्वान्य विचारक लोकहित और स्वहित में समन्वय माधते हैं और उन विचारों की मौलिकता का दावा करते हैं, वे विचार आचार्य शान्तिदेव के ग्रंथों में बड़े स्पष्ट हैं एवं प्रकट हुए हैं और उनके आधार पर उन्होंने निस्वार्थ कर्म-योग की अवधाणा को भी सफल बनाया है । वे कहते हैं कि, जिस प्रकार निगतमक (अपनेपन के भाव रहित) विज शरीर में अस्यामवग अपनेपन का बोध होता है, वैसे ही दूसरे प्राणियों के शरीरों में अस्याम में क्या अपनापन उत्तरन न होगा ?^२ अर्थात् दूसरे प्राणियों के शरीरों में अस्याम ने नमन्वभाव अवध्य ही उत्पन्न होगा, क्योंकि जैसे हाथ आदि अग शरीर के अवयव होने के कारण प्रिय होने हैं, वैसे ही सभी देहधारी जगत् के अवयव होने के कारण प्रिय क्यों नहीं होंगे ? अर्थात् वे भी उसी जगत् के, जिसका मैं अवयव है, अवयव होने के कारण प्रिय होंगे । उनमें भी आत्मभाव होगा और यदि मध में प्रियता एवं आत्मभाव उत्पन्न हो गया तो फिर दूसरों के दुःख दूर किये बिना नहीं रहा जा सकेगा, क्योंकि जिसका जो दुःख हा वह उसमें अपने को बचाने का प्रयत्न तो करता है । यदि दूसरे प्राणियों को दुःख होता है, तो हमको उससे बधा ? ऐसा मानो तो हाथ को पैर का दुःख नहीं होता, फिर क्यों हाथ में पैर का कंटक निशानकर दुःख में उम्मकी रक्षा करने हों ?^३ जैसे हाथ पैर का दुःख दूर किये बिना नहीं रह सकता, वैसे ही समाज का कोई भी प्रजायुक्त सदस्य दूसरे प्राणी का दुःख दूर किये बिना नहीं रह सकता । इम प्रकार आचार्य समाज की मावयवता को सिद्ध कर उसके आधार पर लोकपंगल का सन्देश देते हुए आगे यह भी

१. बाढ़-दर्शन आर अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ६१२ २. बोधिचर्यावतार, ८११५
३. वही, ८११४ ४. वही, ८१९९

स्पष्ट कर देते हैं कि इस लोकमंगल की साधना में निष्कामता होनी चाहिए। वे लिखते हैं, “जिस प्रकार अपने आपको भोजन कराकर फल की आशा नहीं होती है उसी प्रकार परार्थ करके भी फल की आशा, गर्व या विस्मय नहीं होता है”^१ (क्योंकि परार्थ द्वारा हम अपने ही समाजरूपी शरीर की या उसके अवयवों की सन्तुष्टि करते हैं) इसलिए एकमात्र परोपकार के लिए ही परोपकार करके, न गर्व करना और न विस्मय और न विपावफल की इच्छा ही^२।”

बोद्धनदर्शन भी आत्मार्थ और परार्थ में कोई भेद नहीं देखता। इतना ही नहीं, वह आत्मार्थ को परार्थ के लिए समर्पित करने के लिए भी तत्पर है। लेकिन उम्मी एक मीमा है जिसे वह भी उसी रूपमें स्वीकार करता है, जिस रूप में जैन-विचारकों ने उसे प्रस्तुत किया है। वह कहता है कि लोकमंगल के लिए सब कुछ न्योछावर किया जा सकता है, यहाँ तक कि अपने समस्त संचित पुण्य और निर्वाण का सुख भी। लेकिन वह उसके लिए अपनी नैतिकता को, अपने सदाचार को समर्पित करने के लिए तत्पर नहीं है। नैतिकता और मदाचरण की कीमत पर किया गया लोक-कल्याण उसे स्वीकार नहीं है। एक बोद्ध साधक विगलित शरीरवाली वेश्या की सेवा-शुश्रुषा तो कर सकता है, लेकिन उसकी कामवासना को पूर्ति नहीं कर सकता। किसी भूख से ब्राकुण्ड व्यक्ति को अपना भोजन भले ही दे दे, लेकिन उसके लिए चौर्य कर्म का आचरण नहीं कर सकता। बोद्ध दर्शन में लोकहित का वही रूप आचरणीय है जो नैतिक जीवन के मीमांसेत्र में हो। लोकहित नैतिक जीवन से ऊपर नहीं हो सकता। नैतिकता के मममत फलों को लोकहित के लिए समर्पित किया जा सकता है, लेकिन स्वयं नैतिकता को नहीं। बोद्ध विचारणा में लोकहित के पवित्र साध्य के लिए आट या अनैतिक साथन कथमपि स्वीकार नहीं हैं। लोकहित वही तक आचरणीय है जहाँ तक उम्मा नैतिक जीवन से अविरोध हो। यदि कोई लोकहित ऐसा हो जो व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बलिदान पर ही सम्भव हो, तो ऐसी दशा में वह बहुजन हित आचरणीय नहीं है, बरन् स्वयं के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि हो आचरणीय है। धम्मपद में कहा है, व्यक्ति अपने अशुभाचरण से ही अशुद्ध होता है और अशुभ आचरण का भेदन नहीं करने पर ही शुद्ध होता है। शुद्धी और अशुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न है। दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे व्यक्तियों के बहुत हित के लिए भी अपनी नैतिक शुद्धि रूपी हित की हानि नहीं कर और अपने मञ्चे हित और कल्याण को जानकर उसकी प्राप्ति में लगे।^३ संक्षेप में बोद्ध आचार-दर्शन में ऐसा लोकहित ही स्वीकार्य है, जिसका व्यक्ति के

१. बोधिचर्यावितार, ८११६

२. वही, ८१०९

३. धम्मपद, १६५-१६६

आध्यात्मिक एवं नीतिक विकास से अविरोध है। लोकहित का विरोध हमारी भौतिक उपचित्रयों से हो सकता है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक विकास से उसका विरोध नहीं रहता। सच्चा लोकहित तो व्यक्ति की आध्यात्मिक या नीतिक प्रगति का सूचक है। इस प्रकार व्यक्ति की नीतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति में सहायक लोकहित ही बौद्ध-साधना का प्राण है। उम अवस्था में आत्मार्थ और परार्थ अलग-अलग नहीं रहते हैं। आत्मार्थ ही परार्थ बन जाता है और परार्थ ही आत्मार्थ बन जाता है, वह निष्काम होता है।

यथापि बौद्ध दर्शन की हीनयान शास्त्रा स्वहितवादी और महायान शास्त्रा परहितवादी आदशों के आधार पर विकसित हुई है, तथापि बुद्ध के मौलिक उपदेशों में हमें कहीं भी स्वहित और लोकहित में एकान्तवादिता नहीं दिखाई देती। तथागत तो मध्यममार्ग की प्रतिष्ठापना के हेतु ही उत्पन्न हुए। वे भला एकान्तदृष्टि को कैसे स्वीकार करने। मध्यममार्ग के उपदेशक भगवान् बुद्ध ने अपनी देशना में तो लोकहित और आत्महित के बीच संदेश ही एक मांग-संतुलन रखा है, एक अविरोध देखा है। लोकहित और आत्महित जबतक नीतिकता की सीमा में है, तबतक न उनमें विरोध रहता है और न कोई संघर्ष ही होता है। तक्षशास्त्र की भाषा में वे दोनों ही नीतिकता को महाजाति की दो उपजातियों के रूप होते हैं, जिनमें विपरीतता तो है, लेकिन व्याधातकता नहीं है। लोकहित और आत्महित में विरोध और संघर्ष तो तब होता है, जब उनमें से कोई भी नीतिकता का अतिक्रमण करता है। भगवान् बुद्ध का कहना यही था कि यदि आत्म-हित करना है तो वह नीतिकता की सीमा में करो और यदि परहित करना है तो वह भी नीतिकता की सीमा में, धर्म की भर्यादा में रहकर ही करो। नीतिकता और धर्म में दूर होकर किया जाने वाला आत्महित 'स्वार्थ साधन' है और लोकहित सेवा का निरा दोंग है। बुद्ध ने आत्महित और लोकहित, दोनों को ही नीतिकता के क्षेत्र में लाकर परखा और उनमें अविरोध पाया। श्री भरतसिंह उपाध्याय के शब्दों में 'बुद्ध के मौलिक उपदेशों में आत्मकल्याण और परकल्याण, आत्मार्थ और परार्थ ध्यान और सेवा, दोनों का उचित संयोग है। आत्मकल्याण और परकल्याण में वहाँ कोई विभाजक रेखा नहीं थी'। बुद्ध आत्मार्थ और परार्थ के सम्यक्रूप को जानने पर बल देते हैं। उनके अनुमार यथार्थ दृष्टि से आत्मार्थ और परार्थ में अविरोध है। आत्मार्थ और परार्थ में विरोध तो उसी स्थिति में दिखाई देता है जब हमारो दृष्टि राग, द्वेष तथा मोह से युक्त होती है। राग द्वेष और मोह का प्रहाण होने पर उनमें कोई विरोध दिखाई ही नहीं देता। स्व और पर का विरोध तो राग और द्वेष में ही है। जहाँ राग-द्वेष नहीं हैं, वहाँ कौन अपना और कौन पराया? जब मनुष्य राग-द्वेष से ऊपर उठ जाता है तब वहाँ न आत्मार्थ

रहता है न परार्थ, वही तो केवल परमार्थ रहता है। इसमें यथार्थ आत्मार्थ और यथार्थ उपर्याप्त दोनों ही एकरूप है। तथागत के अन्तेवासी शिष्य आनन्द कहते हैं, 'आयुष्मान्, जो राग से अनुरक्त है, जो राग के वशीभूत है जो द्वेष से दुष्ट है, द्वेष के वशीभूत है, जो मोह से मृदू है, मोह के वशीभूत है वह यथार्थ आत्मार्थ को भी नहीं पहचानता है, यथार्थ परार्थ को भी नहीं पहचानता है, यथार्थ उभयार्थ को भी नहीं पहचानता है। राग का नाश होने पर, द्वेष का नाश होने पर...."मोह का नाश होने पर—वह यथार्थ आत्मार्थ भी पहचानता है, यथार्थ परार्थ भी पहचानता है, यथार्थ उभयार्थ भी पहचानता है।"^१

राग, द्वेष और मोह का प्रहाण होने पर ही मनुष्य अपने वास्तविक हित को, दूसरों के वास्तविक हित को तथा अपने और दूसरों के वास्तविक सामूहिक या सामाजिक हित को जान सकता है। बुद्ध के अनुमार पहले यह जानो कि अपना और दूसरों का अथवा समाज का वास्तविक कल्याण किसमें है। जो व्यक्ति अपने, दूसरों के और गमाज के वास्तविक हित को ममके बिना ही लोकहित, परहित एवं आत्महित का प्रयाग करता है, वह बस्तुतः किसी का भी हित नहीं करता है।

लेकिन राग, द्वेष और मोह के प्रहाण के बिना अपना और दूसरों का वास्तविक हित किसमें है यह नहीं जाना जा सकता? मम्भवतः मोक्षा यह गया कि चिन के गणादि से युक्त होने पर भी बुद्ध के द्वारा आत्महित या परहित किसमें है, इसे जाना जा सकता है। लेकिन बुद्ध को यह स्वीकार नहीं था। बुद्ध की दृष्टि में तो राग-द्वेष, मोहादि चिन के मल हैं और इन मलों के होने हुए, कभी भी यथार्थ आत्महित और परहित को जाना नहीं जा सकता। बुद्ध तो जल के समान है, यदि जल में गंदगी है, विकार है, चंचलता है तो वह यथार्थ प्रतिविम्ब इन्हें में कथमपि समर्थ नहीं होता, यीक इसी प्रकार राग-द्वेष से युक्त बुद्ध भी यथार्थ म्बहित और लोकहित को बनाने में समर्थ नहीं होती है। बुद्ध एक मुन्दर रूपक द्वारा यहों बात कहते हैं भिक्षुओं, जैसे पानी का तालाब गंदला हो, चंचल हो और कोचड़-युक्त हो, वहीं किनारे पर खड़े आखवाले आदमी को न सोरां दिल्लाई दें, न शंख, न कंठ, न पत्थर, न चलती हुईं या श्विर मछलियाँ दिल्लाई दें। यह ऐमा वयों? भिक्षुओं, पानी के गंदला होने के कारण। इसी प्रकार भिक्षुओं, इसकी मम्भावना नहीं है कि वह भिक्षु मैले (राग-द्वेषादि से युक्त) चिन में आत्महित जान सकेगा, परहित जान सकेगा, उभयहित जान सकेगा और गायान्य मनुष्य धर्म में बढ़कर विशिष्ट आर्य-जान दर्शन को जान सकेगा। इसकी मम्भावना है कि भिक्षु निर्मल चिन में आत्महित को जान सकेगा, परहित को जान सकेगा, उभयहित को जान सकेगा, मामान्य मनुष्य धर्म में बढ़कर विशिष्ट आर्य-दर्शन को जान सकेगा।^२

बुद्ध के इस कथन का मार यही है कि जीवन में जबतक राग-द्वेष और मोह की वृत्तियाँ मौकिय हैं, तबतक आन्महित और लोकहित की यथार्थदृष्टि उत्पन्न नहीं होती है। राग और द्वेष का प्रह्लाण होने पर ही मच्चों दृष्टि का उदय होता है और जब यह यथार्थदृष्टि उत्पन्न हो जाती है तब स्वार्थ (Egoism), परगर्थ (Altruism) और उभयार्थ (Common Good) में कोई विरोध ही नहीं रहता। हीनयान या स्थविरवाद में जो स्वद्वितीयाँ अर्थात् आन्मकल्याण के दृष्टिकोण का प्राधान्य है, उसका मूल कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ मानी जा सकती हैं; फिर भी हीनयान का उस लोकमंगल की साधना में मूलतः कोई विरोध नहीं है, जो वैयक्तिक नैतिक विकास में वापक न हो। जिम अवस्था तक वैयक्तिक नैतिक विकास और लोकमंगल की साधना में अविरोध है, उस अवस्था तक लोकमंगल उस भी स्वीकार है। मात्र वह लोकमंगल के लिए आन्तरिक और नैतिक विशुद्धि को अधिक महत्व देता है। आन्तरिक पवित्रता एवं नैतिक विशुद्धि से धन्य होकर लोकांश्वा में युक्त लोकमेवा के आदर्श को वह स्वीकार नहीं करता। उसकी नमस्त्र आलोचनाएँ ऐसे ही लोकहित के प्रति हैं। भिक्षु पारापरिय ने, बुद्ध के परम्पराँ भिक्षुओं में लोकमेवा का जो शोथा आदर्श जोर पकड़ गया था, उसकी समालोचना में निम्न विचार प्रस्तुत किये हैं:—

लोगों की सेवा काय से करते हैं, धर्म से नहीं।
दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं,
(अपने) लाभ के लिए, न कि (उनके) अर्थ के लिए॥१॥

स्थविरवादी भिक्षुओं का विरोध लोकमेवा के उस रूप से है जिसका सेवाहीनी शरीर तो है, लेकिन जिसकी नैतिक चेतनारूपी आत्मा मर चुकी है। वह लोकसेवा सेवा नहीं, सेवा का प्रदर्शन है, दिवारा है, ढोंग है, छतना है, आत्मप्रवर्चना है। डा० भरतसिंह उपाध्याय के अनुगार एकांतता की साधना की प्रारम्भिक बीद धर्म में प्रमुखता अवश्य थी, परन्तु मार्गिक तथा यह है कि उस लोकमेवा के या जनकल्याण के विपरीत वहाँ कभी नहीं माना गया। बल्कि यह तो उसके लिए एक तैयारी थी।^१ दूसरी ओर यदि हम महायानी साहित्य का गहराई में अध्ययन करें तो हमें वैधिचर्यावितार, शिक्षामुच्चय, लंकावतारसूत्र जैसे प्रन्थों में भी कही ऐसी सेवाभावना का समर्थन नहीं मिलता जो नैतिक जीवन के व्यक्तिगत मूल्यों के विरोध में लड़ी हो। लोक-मंगल का जो आदर्श महायान परम्परा ने प्रस्तुत किया है, वह भी ऐसे किसी लोकहित का समर्थन नहीं करता, जिसके लिए वैयक्तिक नैतिकता को समाप्त कर दिया जाये। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से लोकहित और आन्महित की अवधारणा में हीनयान और महायान में कोई मौलिक विरोध नहीं रह जाता। यद्यपि व्यावहारिक रूप में यह तथ्य सही है कि जहाँ

१. वेरगाया, १४१-१४२

२. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ६०९

एक और हीनयान ने एकांगी साधना और व्यक्तिनिष्ठ आचार-परम्परा का विकास किया और साधना को अधिकांश रूपेण आन्तरिक एवं वैयक्तिक बना दिया, वहाँ दूसरी और महायान ने उसी की प्रतिक्रिया में साधना के वैयक्तिक पक्ष की उपेक्षा कर उसे सामाजिक और बहिर्मुखी बना दिया। इस तरह लोकसेवा और लोकानुकामा को अधिक महत्त्व दिया। यहाँ हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि हीनयान और महायान ने जिस सीमा तक अपने में इस ऐकान्तिक को प्रश्रय दिया है, वे उसी सीमा तक बुद्ध की भौद्यम-मार्गीय देशना से पीछे भी हटे हैं।

स्वहित और लोकहित के सम्बन्ध में गीता का मन्त्रवच—गीता में मदेव ही स्वहित के ऊपर लोकहित की प्रतिष्ठा हुई है। गीताकार की दृष्टि में जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वह पाप ही खाता है।^१ स्वहित के लिए जीने वाला व्यक्ति गीता की दृष्टि में अत्यार्थिक और नीच है। गीताकार के अनुसार जो व्यक्ति प्राप्त भोगों को देनेवाले देवों को दिए बिना, उनका ऋण चुकाये बिना खाता है वह चोर है^२। गामाजिक दायित्वों का निर्वाह न करना गीता की दृष्टि में भारी अपराध है।

गीता के अनुमार लोकहित करना मनुष्य का कर्तव्य है। सर्व प्राणियों के हित-सम्पादन में लगा हुआ पुरुष ही परमात्मा को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म-निर्वाण का अधिकारी होता है।^३ जिस कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है अर्थात् जो जीवनमुक्त हो गया है, जिसे संसार के प्राणियों से कोई मतलब नहीं, उसे भी लोक-हितार्थ कर्म करते रहना चाहिए।^४ श्रीकृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि लोकसंग्रह (लोकहित) के लिए तुम्हे कर्तव्य करना उचित है।^५ गीता में भगवान् के अवतार धारण करने का उद्देश्य साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की संस्थापना है।^६

इन प्रकार जैन, बौद्ध और गीता इन तीनों परम्पराओं में तीर्थंकर, बुद्ध और ईश्वर का कार्य लोकहित या लोकमंगल ही माना गया है। यद्यपि जैन व बौद्ध विचार-णाओं में तीर्थंकर एवं बुद्ध का कार्य मात्र धर्म-संस्थापना और लोक-कल्याण है। वे गीता के कृष्ण के समान धर्म-संस्थापना के माथ-माथ न तो माथु जनों की रक्षा का दावा करते हैं और न दुष्टों के प्रहाण की बात कहते हैं। दुष्टों के प्रहाण की बात उनकी विशुद्ध अर्हित्सक प्राणी में मेल नहीं खानी है। यद्यपि अगुत्तरनिकाय में बुद्ध ने शिक्षापदों की प्रश्नपत्रिके जो कारण दिए हैं वे गीता के समान ही हैं।^७ तथापि लोक-मंगल के आदर्श को लेकर तीनों विचारणाओं में महन्त्वपूर्ण साम्य है। इन आचार-दर्शनों का केन्द्रीय या

१. गीता ३।१३

२. वही, ३।१२

३. वही, ५।२५, १।२।४

४. वही, ३।१८

५. वही, ३।२०

६. वही, ४।८

७. तुलना कीजिए, गीता ४।८ तथा अंगुत्तरनिकाय, २।१६

प्रश्नान तत्त्व परोपकार ही है, यद्यपि उसे अध्यात्म या परमार्थ का विरोधी नहीं होना चाहिए। गीता में भी जिन-जिन स्थानों पर लोकहित का निर्देश है, वही निष्कामता की शर्त ही हो। निष्काम और आध्यात्मिक या नैतिक तत्त्वों के अविरोध में रहा हुआ परार्थ ही गीता को मान्य है। गीता में भी स्वार्थ और परार्थ की समस्या का सच्चा हल आन्मवत् सर्वभूतेषु को भावना में खोजा गया है। जब सभी में आत्मदृष्टि उत्पन्न हो जानी है तो न स्वार्थ रहता है, न परार्थ; क्योंकि जहाँ 'स्व' हो वहाँ स्वार्थ रहता है। जहाँ पर हो, वहाँ परार्थ रहता है। लेकिन मर्वत्मभाव में 'स्व' और 'पर' नहीं होते हैं, अतः उम दशा में स्वार्थ और परार्थ भी नहीं होता है। वहाँ होता है केवल परमार्थ। भौतिक स्वार्थों में ऊपर परार्थ का स्थान सभी को मान्य है। स्वार्थ और परार्थ के सम्बन्ध में भारतीय आचार-दर्शनों के दृष्टिकोण को भर्तृहरि के इस कथन से भलीभांति समझा जा सकता है—प्रथम, जो स्वार्थ का परित्याग कर परार्थ के लिए कार्य करते हैं वे महान् हैं; दूसरे, जो स्वार्थ के अविरोध में परार्थ करते हैं अर्थात् अपने हितों का हनन नहीं करते हुए लोकहित करते हैं वे सामान्य जन हैं; तीसरे, जो स्वहित के लिए परहित का हनन करते हैं वे अथम (राक्षस) कहे जाते हैं; लेकिन चौथे, जो निरर्दक ही दूसरों का अहित करते हैं उन्हें क्या कहा जाए, वे तो अधमाधम हैं।^१ फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारतीय चिन्तन में परार्थ या लोकहित अन्तिम तत्त्व नहीं है। अन्तिम तत्त्व है परमार्थ या आत्मार्थ। पादचात्य आचार-दर्शन में स्वार्थ और परार्थ की समस्या का अन्तिम हल सामान्य शुभ में खोजा गया, जबकि विदेष रूप से जैन-दर्शन में और सामान्य रूप में समग्र भारतीय चिन्तन में इस समस्या का हल परमार्थ या आत्मार्थ में खोजा गया। नैतिक चेतना के विकास के साथ लोकमंगल की साधना भारतीय चिन्तन का मूलभूत साध्य रहा है।

ऐसी लोकमंगल की सर्वोच्च भावना का प्रतिबिम्ब हमें आचार्य शान्तिदेव के शिक्षासमुच्चय नामक प्रन्थ में मिलता है। हिन्दी में अनुदित उनकी निम्न पंक्तियाँ मननीय हैं:—

इस दुःखमय नरलोक में,
जितने दलित, बन्धुप्रसित पीड़ित विपत्ति विलीन हैं;
जितने बहुधन्वी विवेक विहीन हैं।
जो कठिन भय से और दारुण शोक से अतिरीन हैं,
वे मुक्त हो निबद्ध से, स्वच्छन्द हो सब दृढ़ से,
कूटे दलन के फन्द से,

१. तुल्मा कीजिए-अंगुत्तरनिकाय भाग १, पृ० १०१७. नीतिशतक (भर्तृहरि), ७४

हो ऐसा जग में, हुःख से विचले न कोई,
 वेदनार्थ हिले न कोई, पाप कर्म करे न कोई,
 अमन्मार्ग धरे न कोई,
 हो मभी सुखशील, पुण्याचार धर्मव्रती,
 मबका ही परम कल्याण,
 सबका ही परम कल्याण ।^१



वर्ण-व्यवस्था—भारतीय नैतिक विन्तन के सामाजिक प्रश्नों में वर्ण-व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक नैतिकता का प्रश्न वर्ण-व्यवस्था में निकट रूप से सम्बन्धित है, अतः यहाँ वर्ण-व्यवस्था के मम्बन्ध में विचार कर लेना आवश्यक है।

जैवधर्म और वर्ण-व्यवस्था—जैन आचार-दर्शन में साधना-मार्ग का प्रवेश द्वारा दिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुला है। उसमें धनी अथवा निर्धन, उच्च अथवा नीच का कोई विभेद नहीं है। आचारांगमूल में कहा है कि साधना-मार्ग का उपदेश सभी के लिए समान है। जो उपदेश एक धनवान या उच्चकुल के व्यक्ति के लिए है, वही उपदेश गरीब या निम्नकुलोन्पन्न व्यक्ति के लिए है।^१ उसके साधनापथ में हरिकेशी बल जैसे चाण्डाल, अर्जुनमाली जैसे घोर हिंसक और पुनिया जैसे अत्यन्त निर्धन व्यक्ति का भी वही स्थान है जो स्थान इन्द्रभूति जैसे बेदपाठी ब्राह्मणपुत्र अथवा दशार्णभद्र और श्रेणिक जैसे नरेणों और धन्ना तथा शालिभद्र जैसे श्रेष्ठिरत्नों का है। जैनागमों में वर्णित हरिकेशीबल और अनाथो मुनि के कथानक जाति-भेद तथा धन के अहंकार पर करारी चोट करने हैं। धर्म-साधना का उपदेश तो उस वर्षा के समान है जो कौचे पर्वतों पर नीचे खेत-खलिहानों पर, मुन्दर महल अटाञ्चियों पर और झोपटियों पर समान रूप से होती है। यह बात अलग है कि उस वर्षा के जल को कौन खिलाया ग्रहण करता है। साधना का राजमार्ग तो उसका है जो उसपर चलता है, फिर वह चलने वाला पूर्व में दुराचारी रहा हो या सदाचारी, धनी रहा हो या निर्धन, उच्चकुलोन्पन्न रहा हो या निम्नकुलोन्पन्न। जैन आचार्य श्रुति के इस कथन को स्वीकार नहीं करते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की बाहु से, वैश्यों की जीघ से तथा शूद्रों की पैरों से होती है^२। जन्म के आचार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रशान वर्ण-व्यवस्था जैनधर्म को स्वीकार नहीं है। जैनाचार्यों का कहना है कि सभी मनुष्य योनि से ही उत्पन्न होते हैं।^३ अतः ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उनकी उत्पत्ति बताकर शारीरिक अंगों की उत्तमता या निःष्टिता के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का विधान नहीं किया जा सकता। शारीरिक विभिन्नता के आचार पर भी किया जाने वाला वर्गीकरण मात्र स्थावर, पशु-पक्षी इत्यादि के विषय में ही सत्य हो सकता

१. आचारांग १।२।६।१०२

२. यजुर्वेद, ३।१।१०, कृष्णवेद पुरुषसूक्त १।०।१।१२

३. अभिधान राजेन्द्र लक्ष्मण ४, पृ० १४४।

सकता है, मनुष्यों के सम्बन्ध में नहीं। जन्मना सभी मनुष्य समान हैं। मनुष्यों को एक ही जाति है^१ जन्म के आधार पर जाति का निश्चय नहीं किया जा सकता। मत्स्यगंधा (मलाह की कन्धा) के गर्भं भै भर्हिष पराशर द्वारा उत्पन्न अहामुनि व्याम अपने उत्तम कर्मों के कारण ब्राह्मण कहलाये। मतलब यह कि कर्म या आचरण के आधार पर ही चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्णय करना उचित है। जिस प्रकार शिल्प-दला का व्यसायी शिल्पी कहलाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। जैन-विचारणा जन्मना जातिवाद का निरसन करती है। कर्मणा वर्ण-व्यवस्था में उसका कोई संदान्तिक विरोध नहीं है। उत्तराध्ययनमूल में स्पष्ट रूपमें कहा गया है कि मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है और कर्म से ही वैश्य और शूद्र होता है^२। मुनि चौथमल जी निर्घन्य-प्रवचन भाष्य में कहते हैं कि एक व्यक्ति दुःखील, अज्ञानी और प्रकृति से तमोगुणों होने पर भी अमुक वर्ण वाले के घर में जन्म लेने के कारण समाज में पूज्य, आदरणीय, प्रतिष्ठित और ऊँचा समझा जाय, और दूसरा व्यक्ति सुखील, जानी और सतोगुणों होने पर भी केवल अमुक कुल में जन्म लेने के कारण नांच और तिरस्करणीय माना जाय, यह व्यवस्था समजपात्रक है। इतना ही नहीं, ऐसा मानने में न केवल समाज के एक बहुसङ्खक भाग का अपमान होता है, प्रत्युत यह सदगुण और मदाचार का भी धोर अपमान होता है। इस व्यवस्था को अंगीकार करने से दुराचारों मदाचारों से ऊँचा उठ जाता है, अज्ञान ज्ञान पर विजयी होता है और तमोगुण सतोगुणके सामने आदरास्पद बन जाता है। यह ऐसी स्थिति है जो गुणग्राहक विवेकीजनां का मह्य नहीं हो सकती^३ अर्थात् जाति की अपने आपमें कोई विदेषपता नहीं है, महत्व नैतिक मदाचरण (तप) का है। जैन-विचारणा यह तो स्वीकार करती है कि लोक-व्यवहार या आजीविका के हेतु किये गये कर्म (व्यवमाय) के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन इस व्यावमायिक या मामाजिक व्यवस्था के धेत्र में किये जाने वाले विभिन्न कर्मों के वर्गीकरण के आधार पर किसी वर्ग की धेष्ठता या हीनता का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की धेष्ठता या हीनता का आधार व्यावमायिक कर्म नहीं है, वरन् व्यक्ति की नैतिक योग्यता या मदगुणों का विकाम है। उत्तराध्ययन में निर्देश है कि साक्षात् तप का ही माहान्म्य दिवाई देना है, जाति की कुछ भी विदेषपता नहीं दिवाई देती। चाण्डालपुत्र हरिंगेशी मुनि को देखो, जिनकी महाप्रभावशाली छहदि है।^४

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन विचारणा का वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न दृष्टिकोण है। १. वर्ण-व्यवस्था जन्म के आधार पर स्वीकार नहीं की गई वरन् उसका

१. अभियान राजेन्द्र खण्ड ४, पृ० १५६।

२. उत्तराध्ययन, २५।^३

३. निर्घन्य-प्रवचन-भाष्य, पृ० २८९।

४. उत्तराध्ययन, १२।^{३७}

आधार कर्म है। २. वर्ण परिवर्तनीय है। ३. अपेक्ष्य का आधार वर्ण या व्यवसाय नहीं, बरन् नैतिक विकास है। ४. नैतिक साधना का द्वार सभी के लिए समान रूप से खुला है। चारों ही वर्ण श्रमण-संस्था में प्रबोध पाने के अधिकारी हैं। यद्यपि प्राचीन समय में श्रमण-संस्था में चारों ही वर्ण प्रबोध के अधिकारी थे, यह आगमिक प्रमाणों से सिद्ध है; लेकिन परवर्ती जैन आचार्यों ने मात्रङ्ग, मछुआ आदि जाति-जुड़ित और नट, पारशी आदि कर्म-जुड़ित लोगों को श्रमण-संस्था में प्रबोध के अयोग्य माना। लेकिन यह जैन-विचारधारा का भौलिक मन्तव्य नहीं है, बरन् ब्राह्मण-परम्परा का प्रभाव है। इस व्यवस्था का विधान करनेवाले आचार्य ने इसके लिए मात्र लोकापवाद का ही तर्क दिया है, जो अपने आपमें कोई ठोस तर्क नहीं बरन् अन्य परम्परा के प्रभाव का ही घोतक है।^१ इसी प्रकार दक्षिण में विकसित जैनधर्म की दिगम्बर-परम्परा में जो शूद्र के अन्य-जल प्रदान का निषेध तथा शूद्र को मुक्ति निषेध की अवधारणाएँ विकसित हुई हैं, वे भी ब्राह्मण-परम्परा का प्रभाव हैं।

बौद्ध आधार दर्शन में वर्ण-व्यवस्था—बौद्ध आचार-दर्शन भी वर्ण-धर्म का निषेध नहीं करता है, लेकिन वह उनको जन्मगत आधार पर स्थित नहीं मानता है। बौद्ध-सर्व के अनुसार भी वर्णव्यवस्था जन्मना नहीं, कर्मणा है। कर्मों से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता है, न कि उन कुलों में जन्म लेने मात्र से। बौद्धागमों में जातिवाद के स्वरूप के अनेक प्रसंग मिलते हैं, लेकिन उन सबका मूलाशय यही है कि जाति या वर्ण आचरण के आधार पर बनता है, न कि जन्म के आधार पर। भगवान् बुद्ध ने जहाँ कहीं जातिवाद का निरसन किया है, वहाँ जाति से उनका तात्पर्य शरीर रचना सम्बन्धी विभेद से नहीं, जन्मना जातिवाद से ही है। बुद्ध के अनुसार जन्म के आधार पर किसी प्रकार के जातिवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। मुतनिपात के निम्न प्रसंग में इस बात को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

वसिष्ठ एवं भरद्वाज जातिवाद सम्बन्धी विवाद को लेकर बुद्ध के सम्मुख उपस्थित होते हैं। वसिष्ठ बुद्ध से कहते हैं, “गौतम ! जाति-भेद के विषय में हमारा विवाद है, भरद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म से होता है, मैं तो कर्म से बताता हूँ। हमलोग एक हूँसरे को अवगत नहीं कर सकते हैं, इसलिए सम्बुद्ध (नाम से) विस्थात आपसे (इस विषय में) पूछने आये हैं।”

बुद्ध कहते हैं, “हे वसिष्ठ ! मैं कमशः यथार्थ रूप से प्राणियों के जातिभेद को बताता हूँ जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं। तृण, वृक्षों को जानो। यद्यपि वे इस बात का दावा ही नहीं करते, फिर भी उनमें जातिमय लक्षण है जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं। कीटों, ५तंगों और चीटियों तक में जातिमय लक्षण हैं जिससे उनमें भिन्न-भिन्न

जातियाँ होती हैं। छोटेजडे जानवरों को भी जानों, उनमें भी जाति वय लक्षण है जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं। जिस प्रकार इन जातियों में भिन्न-भिन्न जातिवय लक्षण हैं, उस प्रकार भनुव्यों में भिन्न-भिन्न जातिवय लक्षण नहीं हैं।

“ब्राह्मण भारता की कोश से उत्पन्न होने से ही मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। जो सम्पत्तिशाली है (वह) उनी कहलाता है; जो अकिञ्चन है, तृष्णा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है और न जन्म से ब्राह्मण। ब्राह्मण कर्म से होता है और अब्राह्मण भी कर्म से। हृषक कर्म से होता है, शिल्पी कर्म से होता है, विनिक् कर्म से होता है, और सेवक भी कर्म से होता है, चोर भी कर्म से होता है, योद्धा भी कर्म से होता है, याचक भी कर्म से होता है और राजा भी कर्म से होता है।”^१

इस प्रकार बुद्ध जन्मना जातिवाद के स्थान पर कर्मणा जातिवाद की भारणा को स्वीकार करते हैं, लेकिन कर्मणा जातिवाद को मान्यता में भी बुद्ध न तो यह स्वीकार करने हैं कि वैयक्तिक दृष्टि में जातिवाद कोई स्थायी तत्त्व है, जिसमें जन्म लेने पर या उम व्यवसाय के चयन के बाद परिवर्तन नहीं कर सकता और न यह है कि व्यवसायों की दृष्टि में कोई उच्च और कोई नीच है। बुद्ध ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को भी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य आचरण (नैतिक विकास) के आधार पर श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है, न कि जाति या व्यवसाय के आधार पर। भगवान् बुद्ध की उपर्युक्त धारणा का स्पष्टीकरण भजित्मनिकाय के अस्सलायनमूल में मिलता है, जिसमें भगवान् बुद्ध ने जाति-भेद सम्बन्धी मिथ्या धारणाओं का निरमन कर आरों बगों के मोक्ष या नैतिक शुद्धि की धारणा की प्रतिस्थापना की है। उक्त मूल के कुछ महत्वपूर्ण अंश निम्न प्रकार हैं। हे गोतम ! ब्राह्मण ऐसा कहने हैं—ब्राह्मण हीं श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं। ब्राह्मण हीं शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है। ब्राह्मण हीं शुद्ध है, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण हीं ब्रह्मा के ओरस पुत्र है, उनके मुख से उत्पन्न है, ब्रह्मनिर्मित है, ब्रह्मा के दायाद (उत्तराधिकारी) हैं। इस विषय में आप क्या कहते हैं ?^२ बुद्ध ने इसका प्रतिवाद करने हुए वर्ण-व्यवस्था के मम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को निम्न प्रकार में प्रस्तुत किया है।

ब्रह्मज कहना भूठ है—आश्वलायन ब्राह्मणों की ब्राह्मणियाँ अतुमती एवं गम्भीरी होती, प्रसव करती, दूष पिलाती देखी जाती हैं। योनि से उत्पन्न होने हुए भी वे ऐमा कहते हैं कि ब्राह्मण हीं श्रेष्ठ वर्ण हैं। इस प्रकार बुद्ध ब्राह्मण के ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने की धारणा का खण्डन करते हैं।

१. मूलनिपात, ३५।३-३७, १७-१९

२. भजित्मनिकाय २।५।३-उद्घृत-जातिभेद और बुद्ध, पृ० ७

बर्जन-परिवर्तन सम्भव है—तो क्या मानते हों आध्वलायन ! तुमने सुना है कि यद्यन, कम्बोज और दूसरे भी सौमान्त देखों में दो ही वर्ण होते हैं अर्थ और दाम (गुलाम) अर्थ भी दाम हो सकता है और दाम भी अर्थ हो सकता है ।^१

हाँ, मैंने सुना है कि यद्यन और कम्बोज में ऐसा होता है । इस आधार पर बुद्ध वर्ण-परिवर्तन को सम्भव मानते हैं ।

सभी जाति समाज है—तो क्या मानते हों आध्वलायन ! क्षत्रिय प्राणिहिमक, चोर, दुराचारी, छटा, चुगलखोर, कटुभाषी, बकवारी, लोभी, द्वेषी, छृष्टी धारण वाला हो, तो शरीर छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न होगा या नहीं ? ब्राह्मण, वैद्य, शूद्र, प्राणिहिमक हो, तो नरक में उत्पन्न होगे या नहीं ? 'हे गीतम क्षत्रिय भी प्राणि-हिमक हो तो नरक में उत्पन्न होगा और ब्राह्मण, वैद्य, शूद्र भी ।'

"तो क्या मानते हों आध्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिमा से विरत हो, तो अच्छी गति प्राप्त कर स्वर्ग लोग में उत्पन्न हो सकता है और क्षत्रिय, दंश्य, शूद्र वर्ण नहीं ।"

"नहीं, हे गीतम ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिमा से विरत हो, तो अच्छी गति प्राप्त कर स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सकता है और ब्राह्मण, वैद्य, शूद्र वर्ण भी ।"

"तो क्या मानते हों आध्वलायन ! दया ब्राह्मण ही बैर रहित, द्वेष रहित मैथ्री-चित्त वी भावना कर सकता है, क्षत्रिय, वैद्य, और शूद्र नहीं ।"

इस प्रकार बुद्ध स्वयं आध्वलायन के प्रति दत्तरों से ही सभी जातियों की समानता का प्रतिपादन करते हैं और यह बताने हैं कि सभी नैतिक विकास कर सकते हैं ।

आचरण ही अच्छ है—तो क्या मानते हों आध्वलायन ! यदि यहाँ दो माणवक जृद्धवे भाई हों, एक अध्ययन करने वाला, अपनीत, किन्तु दुश्शील, पापी हो; दूसरा अध्ययन न करने वाला, अनुपनीत, किन्तु शीलवान्, पुण्यात्मा हो । इनमें ब्राह्मण आठ, यज्ञ या पहलानाई में पहले किसको भोजन करायेंगे ।"

"हे गीतम ! वह माणवक जो अध्ययन न करने वाला, अनुपनीत, किन्तु शीलवान्, कल्याणधर्मा है, उसी को ब्राह्मण पहले भोजन करायेंगे । दुश्शील, पापधर्मा को दान देने से क्या महाफल होगा ?"

"आध्वलायन ! पहले तू जाति पर पहुँचा, जाति से मंत्रों पर पहुँचा, मंत्रों से अब तू चातुर्वर्णी-शुद्धि पर आ गया, जिसका मैं उपदेश करता हूँ ।^२

गीता तथा वर्ण-व्यवस्था—वास्तव में हिन्दू आचार-दर्शन में भी वर्ण-व्यवस्था जन्म

१. मजिस्मनिकाय २५।३-उद्घृत जातिमें और बुद्ध, पृ० ८

२. मजिस्मनिकाय, २५।३

पर नहीं, बरन् कर्म पर ही आधारित है। गीता में श्रोकुण्ठ स्पष्ट कहते हैं कि वानुर्वर्ष्य व्यवस्था का निर्माण गुण और कर्म के आधार पर हो किया गया है।^१ डॉ० राधाकृष्णन् लिखते हैं, यही जोर गुण और कर्म पर दिया गया है, जाति (जन्म) पर नहीं। हम किस वर्ण के हैं, यह बात लिया या जन्म पर निर्भर नहीं है। स्वभाव और व्यवसाय द्वारा निर्धारित जाति नियत होती है।^२ युगिष्ठिर कहते हैं, “तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में केवल आचरण सदाचार। हो जाति का निर्धारक तत्त्व है।”^३ बनपर्व में कहा गया है, “ब्राह्मण न जन्म से होता है, न मृत्यु से, न कुल से, और न वेद के अव्ययन से, ब्राह्मण केवल द्रवत् (आनशन) से होता है।”^४ बोद्धागम मूल-निपात के गमान महर्षि अत्रि भी कहते हैं, जो ब्राह्मण धनुण-बाण और अद्व-गृह्णत लेकर युद्ध में विजय पाता है वह धर्मिय कहलाता है। जो ब्राह्मण येनो बाढ़ी और गोपालन करता है, जिसका व्यवसाय वाणिज्य है वह वैद्य इहलाता है। जो ब्राह्मण लाल, लड़क, केशर, दूध, मक्खन, शहद और मास बेचता है वह शृद कहलाता है। जो ब्राह्मण चोर तम्कर, नट का कर्म करते थाएँ, मांस काटने थाएँ और माम-मत्स्य भोजी हैं वह निराद कहलाता है। कियाहान, मूर्ख गर्व धर्म विवरिति, सब प्राणियों के प्रति निर्दय ब्राह्मण चाण्डाल कहलाता है।^५

डॉ० भिक्षन लाल आद्रेन ने भी गुण-कर्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था का गमधंन किया है—(अ) प्राचीन वर्ण-व्यवस्था कठोर नहीं थी, लचीली थी। वर्ण-परिवर्तन का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में था, क्योंकि आचरण के कारण वर्ण परिवर्तित हो जाता था। उपर्निपदों में वर्णित मत्यासाम जावाल की कथा इसका उदाहरण है।^६ मत्य-काम जावाल की मन्त्यवादिता के आधार पर ही उसे ब्राह्मण मान दिया गया था। (ब) मनमूर्ति में भी वर्ण-परिवर्तन का विधान है; लिखा है कि “गदाचार के कारण शृद ब्राह्मण हो जाता है और दुर्गावार के कारण ब्राह्मण शृद हो जाता है। यही बात धर्मिय और वैद्य के मनमूर्ति में भी है।”^७ नेतिक दृष्टि से गीता के आचार-दर्शन के अनुसार भी कोई एक वर्ण दूपरे वर्ण से छोड़ नहीं है, क्योंकि नेतिक विकास वर्ण पर निर्भर नहीं होता है। दर्शक स्वाभावानुकूल किंतु भी भी वर्ण के नियत कर्मों का मम्पादन करने हुए नेतिक पूर्णता या मिर्दि को प्राप्त कर सकता है।^८ वर्ण-व्यवस्था के द्वारा निहित कर्म नेतिक दृष्टि से अचेत या बुरे नहीं होते,^९ महज कर्म मदोप होने पर त्याज्य नहीं होते।^{१०}

१. गीता ४।१३, १८।४६

२. भगवद्गीता (गा०), पृ० १६३

३. उद्धृत-भगवद्गीता (गा०), पृ० १६३ ४. महाभारत बनपर्व ३।३।१०८

५. अत्रिमूर्ति, १।३।३६-३८०

६. भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास पृ० ६२५

७. छान्दोग्य० ४।४

८. मनमूर्ति, १०।३६.

९. गीता, २।८।४५-४६

१०. वही, १८।४७

११. वही, १८।४८

क्योंकि वे मैतिक विकास को अवश्य नहीं करते। वस्तुतः गीता में वर्ण-व्यवस्था के पीछे जो गुण-कर्म की आधार है, उसे किंचित् गहराई से समझना होगा। गुण और कर्म में भी, वर्ण-निर्धारण में गुण प्राथमिक है, कर्म का चयन तो स्वयं ही गुण पर निर्भर है। गीता का मुख्य उपदेश अपनी योग्यता या गुण के आधार पर कर्म करने का है। उसका कहना है कि योग्यता, स्वभाव अथवा गुण के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक जीवन प्रणाली का निर्धारण होना चाहिए।^१ समाज-व्यवस्था में अपने कर्तव्य-निर्धारण और आत्मीयका के उपार्जन के हेतु व्यक्ति को कौनसा व्यवसाय या कर्म चुनना चाहिए, यह बात उसकी योग्यता अथवा स्वभाव पर ही निर्भर है। यदि व्यक्ति अपने गुणों या योग्यताओं के प्रतिकूल व्यवसाय या सामाजिक कर्तव्य को चुनता है, तो उसके इस चयन से जहाँ उसके जीवन की सफलता धूमिल होती है वहाँ समाज-न्यवस्था भी अस्तव्यस्तता आती है।

गीता में वर्ण-व्यवस्था के पीछे एक मनोवैज्ञानिक आधार रहा है जिसका समर्थन दा० राधाकृष्णन् और पाठ्यान्य विचारक श्री गैरलड हर्ड ने भी किया है।^२ मानवीय स्वभाव में ज्ञानात्मकता या जिज्ञासावृत्ति, साहस या नेतृत्व-वृत्ति, संग्रहात्मकता और शासित होने की प्रवृत्ति या सेवा भावना पायी जाती है। सामान्यतः मनुष्यों में इन वृत्तियों का समान रूप से विकास नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य में इनमें से किसी एक का प्राधान्य होता है। इसी ओर सामाजिक दृष्टि से समाज-व्यवस्था में चार प्रमुख कार्य हैं १. शिक्षण, २. रक्षण, ३. उपार्जन और ४. सेवा। अतः यह आवश्यक माना गया है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में जिस वृत्ति का प्राधान्य हो, उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था में अपना कार्य चुने। जिसमें बुद्धि नीर्मन्य और जिज्ञासा-वृत्ति हो, वह शिक्षण का कार्य करे, जिसमें साहस और नेतृत्व-वृत्ति हो वह रक्षण का कार्य करे, जिसमें विनियोग तथा संग्रह-वृत्ति हो वह उपार्जन का कार्य करे और जिसमें दैन्यवृत्ति या सेवावृत्ति हो वह सेवाकार्य करे। इस प्रकार जिज्ञासा, नेतृत्व, विनियोग और दैन्य की स्वभाविक वृत्तियों के आधार पर शिक्षण, रक्षण, उपार्जन और सेवा के सामाजिक कार्यों का विभाजन किया गया और इसी आधार पर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण बने। इस स्वभाव के अनुसार व्यवसाय या वृत्ति में विभाजन में श्रेष्ठत्व और हीनत्व का कोई प्रबन्ध नहीं उठता। गीता तो स्पष्ट रूप से कहती है कि जिज्ञासा, नेतृत्व, संग्रहवृत्ति और दैन्य आदि सभी वृत्तियाँ विगुणात्मक हैं अतः सभी दोषपूर्ण हैं।^३ गीता को दृष्टि में नैतिक श्रेष्ठत्व इस बात पर निर्भर नहीं है कि व्यक्ति क्या कर रहा है या किन सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है, बरन् इस बात पर निर्भर है कि वह उनका

१. भगवद्गीता (रा०), प० ३५३ २. गीता, १८।४८, गीता (शां०) १८।४१, ४८

पालन छिंडा और योग्यता के साथ कर रहा है। गीता के अनुसार यदि एक शूद्र अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा और कुशलता से करता है तो वह अनैठिक और अकुशल ज्ञान्यान की अपेक्षा नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। गीता के आचार-दर्शन की भी यह विशिष्टता है कि वह भी जैन-दर्शन के समान साधना पथ का द्वार मध्ये के लिए छोल देता है। गीता यद्यपि वर्णाश्रम धर्म को स्वीकृत करती है, लेकिन उसका वर्णाश्रम धर्म तो सामाजिक मर्यादा के मन्दर्भ में ही है। आध्यात्मिक विकास का सामाजिक मर्यादाओं के परिपालन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। गीता स्पष्टतया यह स्वीकार करती है कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से स्वस्थान के निम्नमत्त्वगीय कर्मों का गम्भीर दर्शन करने हुए भी आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से ऊँचा रूप से महता है।

श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति चाहे अत्यन्त दुग्धाचारी रहा हो अथवा स्त्री, शूद्र या वैश्य हो अथवा ज्ञान्यान या गजपि हो, यदि वह सम्यक्कर्मण भेरी उपायना करता है तो वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त करता है।^१ इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता के अनुसार आध्यात्मिक विकास का द्वार मध्ये के लिए समान रूप में खुदा हुआ है। जो लोग नैतिक या आध्यात्मिक विकास को आचरण के बाह्य तथ्यों या वैगतिक जीवन के पूर्वावध्य या व्यक्ति के सामाजिक स्वस्थान से बांधने की कोशिश करने हैं, वे भ्रान्ति में हैं। गीता के आचार-दर्शन के अनुसार सामाजिक स्वस्थान के कर्तव्यों के परिपालन और नैतिक या आध्यात्मिक विकास के कर्तव्यों में कोई संबंध नहीं कारोंकि दोनों के लेने भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार गीता के अनुसार वर्ण-व्यवस्था का गम्भीर सामाजिक कर्तव्यों के परिपालन में है। लेकिन विशिष्ट सामाजिक कर्तव्यों के पारंपालन से व्यक्ति श्रेष्ठ या हीन नहीं बन जाता है, उसकी श्रेष्ठता और हीनता का मम्बन्ध तो उसके नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास से है।

इस प्रकार जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन वर्ण-व्यवस्था के मम्बन्ध में समान दृष्टिकोण रखते हैं। उनके दृष्टिकोण को मंक्षेप में इस प्रकार इत्या जा सकता है—

१. वर्ण का आधार जन्म नहीं वरन् गुण (स्वभाव) और कर्म है।
२. वर्ण अपरिवर्तनीय नहीं है। व्यक्ति अपने स्वभाव, आचरण और कर्म में परिवर्तन कर वर्ण परिवर्तित कर मकता है।
३. वर्ण का मम्बन्ध सामाजिक कर्तव्यों से है, लेकिन कोई भी सामाजिक कर्तव्य या व्यवसाय अपने आपमें न श्रेष्ठ है, न हीन है। व्यक्ति की श्रेष्ठता और हीनता उसके सामाजिक कर्तव्य पर नहीं, वरन् उसकी नैतिक निष्ठा पर निर्भर है।
४. नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का अविकार मध्ये वर्ण के लोगों को प्राप्त है।

आश्रम-धर्म

'आश्रम' शब्द धर्म से बना है। धर्म का अर्थ है प्रयास या प्रयत्न। जीवन के विभिन्न माध्यों की उपलब्धि के लिए प्रत्येक आश्रम में एक विशेष प्रयत्न होता है। जिस प्रकार जीवन के चार माध्य या मूल्य—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गये हैं, उसी प्रकार जीवन के इन चार माध्यों की उपलब्धि के लिए इन चार आश्रमों का विधान है। गृह्याचार्यवाचिक विद्वार्जन के लिए है और इस स्वरूप में वह चारों ही आश्रमों की एक पूर्व नियार्थी स्वरूप है। गृह्याचार्यवाचिक में अर्थ और काम पुण्यार्थों की मिद्दि के लिए विशेष प्रयत्न किया जाता है जबकि धर्म पुण्यार्थ की माध्यना वानप्रस्थाचार्यमें और मोक्ष पुण्यार्थ की माध्यना संन्यास आश्रम में की जाती है। यह स्मरणोऽय है कि वर्ण का मिद्दान्त गामाजिक जीवन के लिए है, किन्तु आश्रम का मिद्दान्त वैयक्तिक है। आश्रम मिद्दान्त यह बताता है कि व्यक्ति का आच्यानिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने को किस प्रकार ले चलना है तथा अन्तिम लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उसे कैमो तंयारी करनी है। डा० कार्पे के अनुसार आश्रम-मिद्दान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। भले ही इसे भलीभांति क्रियान्वित नहीं किया जा सका, परन्तु इसके लक्ष्य या उद्देश्य बड़े ही महान् और विशिष्ट थे।^१ आश्रम-मन्या का विकास बहुत हुआ, यह कहना कठिन है। लगभग सभी भारतीय आचार-इर्दों के ग्रन्थों में आश्रम-मिद्दान्त मध्वन्धी विवेचन उपलब्ध हो जाता है। स्थानोंग्रन्थ उपर्याप्ति के काल तक हमें तीन आश्रमों का विवेचन उपलब्ध होता है। उस युग तक मन्याम आश्रम की विद्या चर्चा मुनाई देनी है। संन्यास और वानप्रस्थ सामान्यतया एक ही माने गये थे, लेकिन परवर्ती माहित्य में चारों ही आश्रमों का विधान और उसके विधि-नियंत्रण के नियम विस्तार से उपलब्ध हैं।

वैदिक परम्परा में चारों आश्रमों के मध्वन्ध में तीन विकल्पों की चर्चा उपलब्ध होती है:—१. ममुच्चय, २. विकल्प एवं ३. बाध। मनु ने इन चारों आश्रमों में ममुच्चय का मिद्दान्त स्वीकार किया है। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को क्रमगः चारों ही आश्रमों का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे मत के अनुसार आश्रमों की इस अवस्था में विकल्प हो सकता है, अर्थात् मनुष्य इच्छानुसार इनमें से किर्मा एक आश्रम को ग्रहण कर सकता है। बाध के मिद्दान्त के अनुसार गृहस्थाचार्यम ही एक मात्र वास्तविक आश्रम है और अन्य आश्रम अपेक्षाकृत उसमें कम मूल्य बाले हैं। आश्रम-व्यवस्था के मन्दर्भ में विकल्प सिद्धान्त यह मानता है कि गृह्याचार्य आश्रम के पदचार् गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास में से किमी भी आश्रम को ग्रहण किया जा सकता है। जावालोपनिषद् एवं आचार्य शंकर ने इस मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार जब भी वैराग्य उत्पन्न

१ विस्तृत विवेचन के लिए देखिए—धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २६४-२६७

हो जाय तभी प्रदर्शया ग्रहण कर लेना चाहिए^१। बाध सिद्धान्त को मानने वाले ग्रीतम एवं बोधायन हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार गृहस्थाश्रम ही सर्वोत्कृष्ट है। इस मत के कुछ विचारकों ने वानप्रस्थ एवं संन्यास को कलियुग में वज्र्य मान लिया है।^२

वैदिक परम्परा में आश्रम-सिद्धान्त जीवन को चार भागों में विभाजित कर उनमें से प्रत्येक भाग में एक-एक आश्रम के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निर्देश देता है। प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य, दूसरे में गृहस्थ, तीसरे में वानप्रस्थ और चौथे में संन्यास-आश्रम ग्रहण करना चाहिए।

जैन-परम्परा और आश्रम-सिद्धान्त—थ्रमण-परम्पराओं में आगुंते आगाम पर आश्रमों के विभाजन का सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होता। यदि हम वैदिक-विचारशास्त्र की दृष्टि में तुलनात्मक विचार करें तो यह पाते हैं कि थ्रमण-परम्पराओं आश्रम-सिद्धान्त के मन्दर्भ में विकल्प के नियम को ही महत्व देती है। उनके अनुगाम संन्यास-आश्रम ही सर्वोत्कृष्ट हैं और व्यक्ति को जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाये तभी इसे ग्रहण कर लेना चाहिये। उनका मत जावालोपनिषद् और शंकर के अधिक निकट है। थ्रमण-परम्पराओं में ब्रह्मचर्याश्रम का भी विशेष विवेचन उपलब्ध नहीं होता। चूंकि थ्रमण-परम्पराओं ने आध्यात्मिक जीवन पर ही अधिक जोर दिया अतः उनमें ब्रह्मचर्याश्रम के लोकिक शिक्षाकाल और गृहस्थाश्रम के लोकिक विधानों के मन्दर्भ में कोई विशेष दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं होता। लोकिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गामान्यतया व्यावसायिक ब्राह्मण शिक्षकों के पास ही विद्यार्थी जाते थे, क्योंकि थ्रमण-वर्ग सामान्यतया आध्यात्मिक शिक्षा ही प्रदान करता था। गृहस्थाश्रम के मन्दर्भ में आध्यात्मिक विकास एवं मामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से यद्यपि थ्रमण-परम्पराओं में नियम उपलब्ध है, लेकिन विवाह एवं पारिवारिक जीवन के मन्दर्भ में मामान्यतया नियमों का अभाव ही है।

यद्यपि परबर्ती जैनाचार्यों ने हिन्दू धर्म की इग आश्रम व्यवस्था को धोरे-धोरे स्वीकार कर लिया और उसे जैन-परम्परा के अनुस्यावनाने का प्रयाग किया। आचार्य जिनमेन ने आदिपुरुण में यह स्वीकार किया है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु ये चारों आश्रम जैनधर्म के अनुसार उत्तरोत्तर शुद्धि के परिचायक हैं।^३ जैन परम्परा में ये चारों आश्रम स्वीकृत रहे हैं। ब्रह्मचर्याश्रम को लोकिक जीवन की शिक्षाकाल के रूप में तथा गृहस्थाश्रम को गृहस्थ-धर्म के रूप में एवं वानप्रस्थ आश्रम को ब्रह्मचर्य प्रतिमा से लेकर उद्दिष्टविरत या थ्रमणभूत प्रतिमा को माचना के रूप में अथवा मामायिक-चारित्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। संन्यास-आश्रम तो थ्रमण जीवन के रूप में स्वीकृत ही है। इस प्रकार चारों ही आश्रम जैन-परम्परा में भी

१. जावालोपनिषद् ३।१

२. दक्षिण—धर्मशास्त्र का इतिहास, ५० २६७

३. आदिपुरुण ३।१५२

स्वीकृत है। बौद्ध-परम्परा और जैन-परम्परा दोनों में आश्रम-सिद्धान्त के सन्दर्भ में समान दृष्टिकोण ही स्वीकृत रहा है।

बौद्ध-परम्परा और आश्रम-सिद्धान्त—बौद्ध-परम्परा भी जैन-परम्परा के दृष्टिकोण के समान ही आश्रम-सिद्धान्त के सन्दर्भ में विकल्प के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। उसके अनुसार संन्यास-आश्रम (श्रमण-जीवन) ही सर्वोच्च है और व्यक्ति जब भी वैराग्य भावना से युक्त हो जाये, उसे प्रदर्शया प्राहण कर लेनी चाहिए। बौद्ध-परम्परा में भी ऋष्टाचर्याश्रम शिक्षण-काल के रूप में, गृहस्थाश्रम गृहस्थ-धर्म के रूप में, वानप्रस्थ आश्रम श्रामणेर के रूप में और संन्यास आश्रम श्रमण-जीवन के रूप में स्वीकृत हैं। जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं का आश्रम-विचार निम्न तालिका से स्पष्ट है:—

वैदिक-परम्परा	जैन-परम्परा	बौद्ध-परम्परा
१. ऋष्टाचर्याश्रम	शिक्षण-काल	शिक्षण-काल
२. गृहस्थाश्रम	गृहस्थ-धर्म	गृहस्थ-धर्म
३. वानप्रस्थाश्रम	प्रतिमायुक्त गृहस्थ जीवन	श्रामणेर दीक्षा
	या	
	सामायिकचारित्र	
४. संन्यासाश्रम	छेदोपस्थापनीयचारित्र	उपमम्पदा

सामान्यतः आश्रम-सिद्धान्त का निर्देश यही है कि मनुष्य क्रमशः नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति करता हुआ तथा वासनामय जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ भोक्त के सर्वोच्च साध्य को प्राप्त कर सके।

गीता में स्वधर्म

गीता जब यह कहती है कि स्वधर्म का पालन करने हुए मरना भी श्रेयहकर है, क्योंकि परधर्म भयावह है,^१ तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि इस स्वधर्म और परधर्म का अर्थ क्या है? यदि नैतिकता की दृष्टि से स्वधर्म में होना ही कर्तव्य है तो हमें यह जान लेना होगा कि यह स्वधर्म क्या है।

यदि गीता के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता के अनुमार स्वधर्म का अर्थ व्यक्ति के वर्णश्रिम के कर्तव्यों के परिपालन से है। गीता के दूसरे अध्याय में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वधर्म व्यक्ति का वर्ण-धर्म है। लोकमान्य तिलक स्वधर्म का अर्थ वर्णश्रिम धर्म ही करने हैं। वे लिखते हैं कि "स्वधर्म वह व्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वर्ण-व्यवस्था के अनुमार प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के आधार पर नियत कर दिया गया है, स्वधर्म का अर्थ मोक्षधर्म नहीं है।"^२ गीता के अठारहवें अध्याय में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है कि प्रत्येक वर्ण के स्वभाविक कर्तव्य क्या है।^३ गीता यह मानती है कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसकी प्रकृति, गुण या स्वभाव के आधार पर होता है^४ और उस स्वभाव के अनुगार उसके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया गया है, जिसका पारंपालन करना उसका नैतिक कर्तव्य है। इस प्रकार गीता व्यक्ति के स्वभाव या गुण के आधार पर कर्तव्यों का निर्देश करती है। उन कर्तव्यों का परिपालन करना ही व्यक्ति का स्वधर्म है। गीता का यह निर्दिष्ट अभिमत है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म या अपने स्वभाव के आधार पर निःसृत स्वकर्तव्य का परिपालन करते हुए मिथि या मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गीता कहती है कि व्यक्ति अपने स्वभाविक कर्तव्यों में लगकर उन स्वकर्मों के द्वारा ही उस परमतत्व की उपासना करता हुआ मिथि प्राप्त करता है।^५ इस प्रकार गीता व्यक्ति के स्वस्थान के आधार पर कर्तव्य करने का निर्देश करती है। समाज में व्यक्ति के स्वस्थान का निर्धारण उसके अपने स्वभाव (गुण, कर्म) के आधार पर ही होता है। वैयक्तिक स्वभावों का वर्गीकरण और तदनुमार कर्तव्यों का आगेपाण गीता में किस प्रकार किया गया है इसकी व्यवस्था वर्ण-धर्म के प्रसंग में की गई है।

१. गीता, ३।३५

२. गीता रहस्य, पृ० ६७३

३. गीता १८।४१-४८

४. वही, ४।१३

५. वही, १८।४५

जैनधर्म में स्वस्थान

जैन-दर्शन में भी स्वस्थान के अनुमार कर्तव्य करने का निर्देश है। प्रतिक्रमणमूल्र में प्रतिक्रमण की व्याख्या करने हुए बनलाया गया है कि यदि साधक प्रमादवश स्वस्थान के कर्तव्यों में च्युत होकर परस्थान के कर्तव्यों को अपना लेता है तो पुनः आलोचनापूर्वक परस्थान के आचरण को छोड़कर स्वस्थान के कर्तव्यों पर स्थित हो जाना ही प्रतिक्रमण (पुनः स्वस्थान या स्वधर्म की ओर लौट आना) है।^१ इम प्रकार जैन नैतिकता का स्पष्ट निर्देश है कि साधक को स्वस्थान के कर्तव्यों का ही आचरण करना चाहिए। बृहत्कल्प भाष्यपाठिका में क।। गया है कि स्वस्थान में स्वस्थान के कर्तव्य का आचरण ही श्रेयकर और नवदात है। इसके विपरीन स्वस्थान में परस्थान के कर्तव्य का आचरण अश्रेयस्कर एवं निष्कल्प है।^२ जैन आचार-दर्शन यही कहता है कि साधक को अपने बलाबल का निश्चय कर स्वस्थान चुनना चाहिए और स्वस्थान के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैन साधना का आदर्श यही है कि साधक प्रथम अपने देश, काल, स्वभाव और शक्ति के आधार पर स्वस्थान का निश्चय करे अर्थात् गृहस्थ धर्म या साधु धर्म या साधना के अन्य स्तरों में वह किसका परिपालन कर सकता है। स्वस्थान का निश्चय उसके बाद ही उग स्थान के निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुमार नैतिक आचरण करे। दशवेकालिक गृह में कहा है कि साधक अपने बल, पगाकम, श्रद्धा एवं आरोग्य को अच्छी प्रकार दब्खभाल कर तथा देश और काल का सम्प्रकृ परिज्ञान कर तदनुरूप करता एवं में अपने को नियोजित करे।^३ बृहत्कल्पभाष्य पीठिका के उपरोक्त इनोक के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए उगाध्याय अमरमृनिजी कहते हैं, प्रत्येक जीवन-ओत्र में स्वस्थान का बड़ा महत्व है, स्वस्थान में जो गुरुत्व है वह परस्थान में कहाँ। जल में मगर जितना बलशाली है, क्या उतना स्थल में भी है? नहीं।^४ यद्यपि स्वस्थान के कर्तव्य के परिपालन का गिर्दान्त जैन और गीता के आचार-दर्शन में समान रूप ने स्वीकार हुआ है, लेकिन दोनों में थोड़ा अन्तर भी है—गीता और जैन-दर्शन इन बात में तो एकमत है कि व्यक्ति के स्वस्थान का निश्चय उसकी प्रकृति अर्थात् गुण और क्षमता के आधार पर करना चाहिए, लेकिन गीता इसके आधार पर व्यक्ति के सामाजिक स्थान का निर्धारण कर उस सामाजिक स्थान के कर्तव्यों के परिपालन का निर्देश करती है, जबकि जैन-धर्म यह बताता है व्यक्ति को साधना के उच्चतम में निम्नतर विभिन्न स्तरों में किस स्थान पर रहकर उस स्थान के लिए निश्चित आचरण के नियमों का परिपालन करना चाहिए। स्वस्थान और परस्थान का विचार यह कहता है कि साधना के विभिन्न स्तरों में से किसी स्थान पर रद्दकर उस स्थान के निश्चित आचरण के नियमों का परिपालन करना चाहिए।

१. उद्धृत जैनधर्म का प्राण, पृ० १४२ २. बृहदकल्पभाष्य पीठिका ३२३

३. दशवेकालिक ८।३५

४. श्रीब्रह्मर भारती मार्च १९६५, पृ० ३०

तुलना—जैन विचारण, में स्वधर्म और परस्थान का विचार साधना के स्तरों की दृष्टि से किया जाता है, जबकि गीता में रवस्थान और परस्थान या स्वधर्म और परधर्म का विचार सामाजिक कर्तव्यों की दृष्टि से किया गया है। जैन-माधवना की दृष्टि प्रमुख रूप से वैयक्तिक है, जबकि गीता की दृष्टि प्रमुख रूप में नामाभिन्, गतिहासीय दोनों विचारधाराएँ दूसरे पक्षों की नितान्त अवहेलना भी नहीं करती। इस मध्यवन्धन में जैन-विचारणा यह कहती है कि मामान्य गृहस्थ गाधक, विगिष्ठ गृहस्थ गाधक-मामान्य श्रमण अथवा जिनकल्पी श्रमण के अथवा साधना-काल की मामान्य दशा के अथवा विशेष परिस्थितियों के उत्तम होने की दशा के आचरण के आदर्श क्या है? या आचरण के नियम क्या है और गीता समाज के ब्राह्मण, धर्मिय धर्मिय और गृह इन चारों वर्णों के कर्तव्य का निर्देश करती है। गीता आध्रम-अवस्था को स्वीकार तो करती है, फिर भी प्रत्येक आध्रम के विशेष कर्तव्य क्या है, इगारा गमनित विवेचन गीता में उपलब्ध नहीं होता। जैन परम्परा में आध्रम धर्म के कर्तव्यों का ही विशेष विवेचन उपलब्ध होता है। उसमें वर्ण-अवस्था को गुण, कर्म के आधार पर स्वीकार किया तो गया है, फिर भी ब्राह्मण के विशेष कर्तव्यों के निर्देश के अतिरिक्त अन्य वर्णों के कर्तव्यों का कोई विवेचन विस्तार में उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः गीता की दृष्टि प्रमुखतः प्रवृत्ति प्रधान होने में उसमें वर्ण-अवस्था पर और दिया गया है जबकि जैन एवं बौद्ध दृष्टि प्रमुखतः निवृत्तिपरक होने से उनमें निवृत्यात्मक ढंग पर आध्रम धर्मों की विवेचना ही हृत है। जन्मना वर्ण-अवस्था का तो जैनों और बौद्धों ने विशेष किया ही था, अतः अपनी निवृत्तिपरक दृष्टि के अनुकूल मात्र ब्राह्मण-वर्ण के कर्तव्यों का निर्देश करने के संतोष माना।

यद्यपि गीता और जैन आचार-दर्शन दोनों यही कहते हैं कि गाधक को अपनी अवस्था या स्वभाव को व्यान में रखने हुए, उसी कर्तव्य-पथ का चयन करना चाहिए, जिसका परिपालन करने की क्षमता उसमें है। स्व-क्षमता या स्थिति के आधार पर माधवना के निम्न म्लर का चयन भी अधिक लाभकारी है अंगाकृत उग्र उच्च स्तरीय चयन के, जो स्व-स्वभाव, क्षमता और स्थिति का बिना विचार किये किया जाना है। समग्र जैन-आगम-गाहिन्य में महावीर के जीवन का एक भी ऐसा प्रसंग देखने को नहीं मिलता जब उन्होंने माधवक की शक्ति एवं स्वेच्छा के विशेषत उसे माधवना के उच्चतम स्तरों में प्रविष्ट होने के लिए कहा हो। महावीर प्रब्लेम का गाधक से चाहे वह माधवना के उच्चस्तरों (श्रमण धर्म की माधवना) में प्रविष्ट होने का प्रस्ताव लेकर उनके मध्यम उपस्थित हुआ हो या माधवना के निम्न म्लर (गृहस्थ धर्म की माधवना) में प्रविष्ट होने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हो, यही कहने हैं—हे देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसा मुख हो दैमा करो, परन्तु प्रमाद मत करो । वे माधवना में इस बात पर जोर

नहीं देते हैं कि तुम साधना में विकास के किस बिन्दु पर स्थित हो रहे हो, साधना के राज मार्ग पर किस स्थान पर खड़े हो, वरन् इस बात पर जोर देते हैं कि साधना के क्षेत्र में जिस स्थान पर तुम खड़े हो उस स्थान के कर्तव्यों के परिपालन में कितने सतर्क, निष्ठावान् या जागरूक हो। जैन-विचारधारा यह मानती है कि नैतिकता के क्षेत्र में यह बात प्राथमिक महत्व की नहीं है कि साधक कितनी कठोर साधना कर रहा है, वरन् प्राथमिक महत्व इस बात का है कि वह जो कुछ कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई और निष्ठा है। यदि एक साधु जो साधना को उच्चतम भूमिका में स्थित होने द्वारा भी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क नहीं है, निष्ठावान् नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वह उस गृहस्थ साधक की अपेक्षा, जो साधना की निम्न भूमिका में स्थित होते हुए भी अपने स्थान के कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान् है, जागरूक है और ईमानदार है, नीचा ही है। नैतिक श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि नैतिक-सोपान में कौन कहीं पर खड़ा है, वरन् इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्वस्थान के कर्तव्यों के प्रति कितना निष्ठावान् है। आचारांगमूल्र में स्पष्ट कहा है कि साधक जिस भावना या श्रद्धा से साधना पथ पर अभिनिष्करण करे उसका प्रामाणिकतापूर्वक पालन करे।^१

गीता इसी बात को अत्यन्त संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि स्व-क्षमता एवं स्व-स्वभाव के प्रतिकूल ऐसे मुआचरित* प्रतीत होनेवाले उस परधर्म से, स्व-स्वभाव के अनुकूल निम्नस्तरीय होते हुए भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। परधर्म अर्थात् अपने स्वस्वभाव एवं क्षमताओं के प्रतिकूल आचरण सदैव ही भयप्रद होता है और इसलिए स्वधर्म का परिपालन करते हुए मृत्यु का वरण कर लेना भी कल्याणकारी है।^२

स्वधर्म का आध्यात्मिक अर्थ—गीताकार निष्कर्ष रूप में यह कहता है कि हे पार्थ, तू सब धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा^३

१. आचाराण, १।१।१।३।२०

२. गीता, ३।३५

३. बही, १।१।६६

श्री कृष्णकी—प्रत्युत द्व्योक्त में 'परधर्मात्स्वनुष्ठितात्' का सामान्य अर्थ सुसमाचरित परधर्म से लगाया जाता है, लेकिन परधर्म वस्तुतः सुभनुष्ठित या सुसमाचरित होता ही नहीं है, क्योंकि जो स्वप्रकृति से निकलता है वही सुआचरित हो सकता है। यही सुआचरित कहने का तात्पर्य यही है कि जो बाहर से देखने पर अच्छी तरह आचरित होता दिखाई देता है, यथापि मूलतः वैसा नहीं है। हृदय में बासनाओं के प्रबल आवेग के होने पर भी ढोनी साधु साधु-जीवन की बाह्य क्रियाओं का ठीक रूप से आचरण करता है, कभी-कभी तो वह अच्छे साधु की अपेक्षा भी दिखावे के रूप में उनका अधिक अच्छे ढंग से पालन करता है, लेकिन उसका वह आचरण मात्र बाह्य दिखावा होता है उसमें सार नहीं होता। उसी प्रकार सुसमाचरित पर-धर्म में सुआचरण मात्र दिखावा या ढोंग होता है। सुआचरित या सुभनुष्ठित का यही मात्र यही अर्थ है।

तो हमारे सामने एक समस्या पुनः उपस्थित होती है कि सब धर्मों के परिचयान की धारणा का स्वधर्म के परिपालन की धारणा से कैसे मेल ढाला जाय? यदि विचार पूर्वक देखें तो यहीं गीताकार की दृष्टि में जिन समस्त धर्मों का परिचयान स्पष्ट है, वे विधि-नियेष रूप सामाजिक कर्तव्य तथा बाह्याचरण रूप धर्मधर्म के नियम हैं। बस्तुतः कर्तव्य के क्षेत्र में कभी-कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो जाता है कि यहीं धर्म-धर्म का निर्णय या स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करने में मनुष्य अपने को अवधर्म पाता है। प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि व्यक्ति अपने स्वधर्म या परधर्म का निश्चय नहीं कर पाता तो वह क्या करे? गीताकार स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसी अनिश्चय की अवस्था में धर्म-धर्म के विचार से ऊपर उठकर अपने-आपको भगवान् के सम्मुख जग और निश्छल रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए और उसकी इच्छा का यज्ञ बनकर या मात्र निमित्त बनकर आचरण करना चाहिए। यहीं गीता स्पष्ट ही आत्म-समर्पण पर जोर देती है। लेकिन जैन-दृष्टि जो किसी ऐसे कृपा करने वाले संसार के नियमों का इस्वर पर विश्वास नहीं करती, इम कर्तव्याकर्तव्य या स्वधर्म और परधर्म के अनिश्चय की अवस्था में व्यक्ति को यहीं सुझाव देती है कि उस राग-द्वेष के भावों से दूर होकर उपस्थित कर्तव्य का आचरण करना चाहिए। बस्तुतः इस लोक के माध्यम से गीताकार सच्चे स्वधर्म के ग्रहण की बात कहता है, परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण परधर्म का त्याग और स्वधर्म का ग्रहण ही है, क्योंकि हमारा बास्ताविक स्वरूप राग द्वेष में रहित अवस्था है और उसे ग्रहण करना सच्चे आध्यात्मिक स्वधर्म का ग्रहण है।

बस्तुतः स्वधर्म और परधर्म का यह व्यावहारिक कर्तव्य-पथ नैतिक साधना की इतिश्री नहीं है, व्यक्ति को इससे ऊपर उठना होता है। विधि-नियेष का कर्तव्य मार्ग नैतिक साधना का मात्र बाह्य शरीर है, उसकी आत्मा नहीं। विधि-नियेष के इस व्यवहार-मार्ग में कर्तव्यों का संघर्ष सम्भाव्य है जो व्यक्ति को कर्तव्य-विमुद्दता में डाल देता है। अतः गीताकार ने सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात् यहीं शिक्षा दी कि मनुष्य अहं के रिक्तिकरण के द्वारा अपने को भगवान् के सम्मुख समर्पित कर दे और इस प्रकार सभी धर्माधर्मों के व्यवहार-मार्ग से ऊपर उठकर उस क्षेत्र में अवस्थित हो जाये, यहीं कर्तव्यों के मध्य संघर्ष की समस्या ही नहीं रहे। जैन-विचारकों ने भी कर्तव्यों के मंधर्य की इस समस्या में एवं कर्तव्य के निश्चय कर पाने में उत्पन्न कठिनाई से बचने के लिए स्वधर्म और परधर्म की एक आध्यात्मिक व्यास्था प्रस्तुत की, जिसमें व्यक्ति का कर्तव्य है स्वरूप में अवस्थित होना। उनके अनुसार प्रत्येक तत्त्व के अपने-अपने स्वाभाविक गुण-धर्म हैं। स्वाभाविक गुण-धर्म से तात्पर्य उन गुण-धर्मों 'त हैं जो बिना किसी दूसरे तत्त्व की ज्योक्षा के ही उस तत्त्व में रहते हैं अथात् परतत्त्व से निरपेक्ष रूप में गृहनेवाले स्वाभाविक गुण-धर्म स्वधर्म हैं। इसके विपरीत वे गुण-धर्म, जो दूसरे तत्त्व की अपेक्षा

रहते हैं या उसके कारण उत्पन्न होते हैं, वैभाविक गुण-धर्म हैं, इसलिए परधर्म है। एकीभाव से अपने गुण-पर्यायों में परिणाम करना ही स्वसमय है, स्वधर्म है। जैन-दर्शन के अनुमार वस्तु का निज स्वभाव ही उसका स्वधर्म है, वैभाविक गुण-धर्म स्वधर्म नहीं है; क्योंकि वैभाविक गुणधर्म परापेक्षी हैं, पर के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः निरपेक्ष नहीं हैं। आसक्ति या राग चैतन्य का स्वधर्म नहीं है। क्योंकि आसक्ति या राग निज से भिन्न परतत्त्व की भी अपेक्षा करता है। बिना किसी द्रैत के आसक्ति सम्भव ही नहीं। जीव या आत्मा के लिए अज्ञान परधर्म है, क्योंकि परापेक्षी है। जैनाचार दर्शन के अनुमार विशुद्ध चैतन्य तत्त्व के लिए राग, द्वेष, मोह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि परधर्म हैं, जबकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि स्वधर्म हैं। जैनधर्म के अनुमार गीता के 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' का सच्चा अर्थ यह है कि ज्ञान-दर्शन रूप आध्यात्मिक स्वगुणों में स्थित रहकर मरण भी वरेण्य है। स्वाभाविक स्वगुणों का परित्याग एवं राग-द्वेष मोहादि से युक्त वैभाविक दणा (परधर्म) का ग्रहण आत्मा के लिए सदैव भय-प्रद है, क्योंकि वह उसके पतन का या बंधन का मार्ग है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वधर्म और परधर्म की विवेचना अत्यन्त मार्मिक रूप में प्रस्तुत करने हुए कहते हैं—‘जो जीव स्वकीय गुण पर्याय रूप सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र में रमण कर रहा है, उसे ही परमार्थ-दृष्टि में स्व-समय या स्वधर्म में स्थित जानो और जो जीव पुद्गल या कर्म-प्रदेशों में स्थित है अर्थात् पर-पदार्थों से प्रभावित होकर उन पर राग-द्वेष आदि भाव करके, उन पर तत्त्वों के आश्रय से स्व-स्वरूप को विकासी बना रहा है, उसे पर-समय या परधर्म में स्थिति जानो। राग, द्वेष और मोह का परिणामन पर के कारण ही होता है, अतः वह पर-स्वभाव या पर-धर्म ही है। आचार्य आगे कहते हैं कि स्वस्वरूप या स्वधर्म से च्युत होकर पर-धर्म, पर-स्वभाव या पर-समय में स्थित होना बन्धन है और यह दूसरे के साथ बन्धन में होने की अवस्था विसंवादिनी अथवा निन्दा की पात्र है। आत्मा तो स्वभाव या स्वधर्म में स्थित होकर अपने एकत्व की अवस्था में ही शोभा पाता है।’^१

गीता का दृष्टिकोण—यद्यपि गीता के श्लोकों में स्वधर्म और परधर्म के आध्यात्मिक अर्थ की इस विवेचना का अभाव है, लेकिन आचार्य शंकर ने गीता भाष्य में आचार्य कुन्दकुन्द से मिलती हुई स्वधर्म और परधर्म को व्याख्या प्रस्तुत की है। शंकर कहते हैं कि जब मनुष्य की प्रकृति राग-द्वेष का अनुसरण कर उसे अपने काम में तियोजित करती है, तब स्वधर्म का परित्याग और परधर्म का अनुष्ठान होता है अर्थात् आचार्य शंकर के अनुमार भी राग-द्वेष के वर्णाभूत होना ही परधर्म है और राग-द्वेष से विमुक्त होना ही स्वधर्म है।^२

ब्रेडले का स्वस्थान और उसके कर्तव्य का निदान तथा स्वर्ग—भारतीय परम्परा के स्वर्ग के सिद्धान्त के ममान ही पाइचान्य परम्परा में ब्रेडले ने 'स्वस्थान और उसके कर्तव्य' का सिद्धान्त स्थापित किया। ब्रेडले का कहना है कि हम उस ममय अपने को प्राप्त करने हैं जब हम अपने स्थान और कर्तव्यों को एक समाजरूपी शरीर के अंग के रूप में प्राप्तकर लेने हैं।^१ ब्रेडले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिकल स्टडीज में इस ममन्थ में पर्याप्त प्रकाश ढाला है।^२ यहाँ तो हम केवल उसके निदान का सारांश ही प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रेडले के उपर्युक्त कथन का अर्थ यह है कि हमें अपनी योग्यताओं और कामताओं को परख कर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। बस्तुतः हमारा कर्तव्य वही हो सकता है जो हमारी प्रकृति हो। अपनी प्रकृति के अनुरूप सामाजिक जीवन में अपने स्थान का निर्धारण एवं उसके कर्तव्यों का चयन और उनका पालन ही ब्रेडले के दृष्टिकोण का आशय है, यद्यपि यह एवान में गलवा चाहिये कि स्वस्थान के अनुरूप कर्तव्य-पालन नैतिकता की अन्तिम परिणति नहीं है। हमें उससे भी ऊपर उठना होगा।

१. एथिकल स्टडीज, पृ० १६३

२. एथिकल स्टडीज, अध्याय ५

४ सामाजिक नैतिकता के केन्द्रीय तत्व : अहिंसा, अनाग्रह और अपरिग्रह

वैयक्तिक एवं गामाजिक ममता के विचलन के दो कारण हैं—एक भोग और दूसरा क्षोभ। गोंद (आमचित) विचलन का एक आन्तरिक कारण है जो राग, द्रेप, क्रोध, मान, माया, लोभ (नृणा) आदि के रूप में प्रकट होता है। हिंसा, धोयण, तिरस्कार या अन्याय—ये लोभ के कारण हैं जो अन्तर मानस को पीड़ित करते हैं। यथापि मोह और लोभ ऐसे तत्व नहीं हैं जो एक-दूसरे में अलग और अप्रभावित हों, तथापि मोह के कारण आन्तरिक और उसका प्रकटन बाह्य है, जबकि लोभ के कारण बाह्य है और उसका प्रकटन आन्तरिक है। मोह वैयक्तिक बुराई है, जो ममाज-जीवन को दूषित करती है, जबकि 'लोभ' गामाजिक बुराई है, जो वैयक्तिक जीवन को दूषित करती है। मोह का केन्द्रीय तत्व आमचित (राग या नृणा) है, जबकि लोभ का केन्द्रीय तत्व हिंसा है।

इस प्रकार जैन-आचार में मम्पक् चारित्र की दृष्टि से अहिंसा और अनासक्ति ये दो केन्द्रीय सिद्धान्त हैं। एक बाह्य जगत् या मामाजिक जीवन में ममत्व का भौत्यापन करता है तो दूसरा चंचलिक या आन्तरिक ममत्व को बनाये रखता है। वैचारिक ध्येय में अहिंसा और अनासक्ति मिलकर अनाग्रह या अनेकान्तवाद वो जन्म देते हैं। आग्रह वैचारिक आमचित है और एकान्त वैचारिक हिंसा। अनासक्ति का सिद्धान्त ही अहिंसा से ममन्वित होंगा मामाजिक जीवन में अपरिग्रह का आदेश प्रस्तुत करता है। संग्रह वैयक्तिक जीवन के मन्दर्भ में आमकित और मामाजिक जीवन के मन्दर्भ में हिंसा है। इस प्रकार जैन-दर्शन मामाजिक नैतिकता के तीन केन्द्रीय सिद्धान्त प्रस्तुत करता है:-
 १. अहिंसा, २. अनाग्रह (वैचारिक सहिष्णुता) और ३. अपरिग्रह (अमंग्रह)।

अब एक दूसरी दृष्टि से विचार करें। मनुष्य के पास मन, वाणी और शरीर ऐसे तीन माध्यन हैं, जिनके माध्यम से वह सदाचरण या दुराचरण में प्रवृत्त होता है। शरीर का दुराचरण हिंसा और सदाचरण अहिंसा कहा जाता है। वाणी का दुराचरण आग्रह (वैचारिक असहिष्णुता) और सदाचरण अनाग्रह (वैचारिक सहिष्णुता) हैं। जबकि मन का दुराचरण आसक्ति (ममत्व) और सदाचरण अनासक्ति (अपरिग्रह) है। वैसे यदि अहिंसा को ही केन्द्रीय तत्व माना जाय तो अनेकान्त को वैचारिक अहिंसा और अनासक्ति को मानसिक अहिंसा (स्वदया) कहा जा सकता है। साथ ही अनासक्ति से

प्रतिरुद्धि होने वाला अपरिग्रह का सिद्धान्त सामाजिक एवं आधिक अहिंसा कहा जा सकता है।

यदि माधवा के तीन अंग—सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और गम्यकृतारित्र के व्यावहारिक पदों की दृष्टि में विचार किया जाय तो अनामकित सम्यग्दर्शन का, अनेकान्त (अनाश्रय) सम्यज्ञान का और अहिंसा सम्यक् चारित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शन का सम्बन्ध दृष्टि में है, जान का सम्बन्ध विचार से है और चारित्र का कर्म से है। अतः दृष्टि में अनामकित, विचार में अनाश्रय और आचरण में अहिंसा। यही जैन आचार दर्शन के रब्नत्रय का व्यावहारिक स्वरूप है जिन्हें हम सामाजिक के नन्दर्भ में क्रमशः अपरिग्रह, अनेकान्त (अनाश्रय) और अहिंसा वे नाम से जानते हैं। अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह जब सामाजिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं, तब वे सम्यक् आचरण के ही अग कहे जाने हैं। दूसरे, जब आचरण में हमारा तात्पर्य कार्यिक, वाचिक और माननिक तीनों प्रकार के कर्मों से हो, तो अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह का ममावेद नम्यक् आचरण में ही जाना है। नम्यक् आचरण एक प्रकार में जीवन शुद्धि का प्रयास है, अतः माननिक कर्मों को शुद्धि के लिए अनामकित (अपरिग्रह), वाचिक कर्मों को शुद्धि के लिए अनेकान्त (अनाश्रय) और कार्यिक कर्मों को शुद्धि के लिए अहिंसा के पालन का निर्देश किया गया है। इम प्रकार जैन जीवन-दर्शन का मार इन्हीं तीन मिदानों में निहित है। जैनधर्म को परिभाषा करने वाला यह इलोक सर्वाधिक प्रचलित ही है—

स्थादादो वर्नतेऽस्मिन् पक्षपातो न विद्यते ।

नास्त्यन्यं पीडनं किञ्चित् जैनधर्मः स उच्यते ॥

मच्चा जैन वही है जो पक्षपात (ममत्व) में रहत है, अनाश्रहा और अहिंसक है। यही हमें इम सम्बन्ध में भी स्पष्ट रूप में जान देना चाहिए कि जिम प्रकार आत्मा या चेतना के तीन पक्ष जान, दर्शन और चारित्र आध्यात्मिक पूर्णता की दिशा में एक दूसरे में अलग-अलग नहीं रहते हैं, उसी प्रकार अहिंसा, अनाश्रय (अनेकान्त) और अपरिग्रह भी सामाजिक ममता की स्थापना के प्रयास के रूप में एक दूसरे से अलग नहीं रहते। जैन-जैन वे पूर्णता की ओर बढ़ने हैं, वैसे-वैसे एक दूसरे के माय ममन्वित होते जाने हैं।

अहिंसा

जैनधर्म में अहिंसा का स्थान

अहिंसा जैन आचार-दर्शन का प्राण है। अहिंसा वह धूरी है जिस पर समग्र जैन आचार-विधि धूमती है। जैनागमों में अहिंसा को भगवतों कहा गया है। प्रवनव्याकरण-मूत्र में कहा गया है कि भयभीतों को जैसे शरण, पक्षियों को जैसे गगन, तृष्णियों को जैसे

जल, भूखों को जैसे मोजन, समुद्र के मध्य जैसे जहाज, रोगियों को जैसे औषध और बन में जैसे सार्ववाह का साथ आधारभूत है, वैसे ही अहिंसा प्राणियों के लिए आधारभूत है। अहिंसा चर एवं अचर सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली है।^१ वह शाश्वत धर्म है, जिसका उपदेश तीर्थंकर करते हैं। आचारांगसूत्र में कहा गया है—भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी अहंत् यह उपदेश करते हैं कि किसी भी प्राण, पूत, जीव और सत्त्व को किसी प्रकार का परिताप, उठेग या दुःख नहीं देना चाहिए, न किसी का हनन करना चाहिए। यही शुद्ध, निष्प और शाश्वत धर्म है। समस्त लोक की पीड़ा को जानकर अहंतों ने इसका प्रतिपादन किया है।^२ सूत्रकृतांगसूत्र के अनुसार ज्ञानी होने का सार यह है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। अहिंसा ही समय धर्म का सार है, इसे सदैव स्मरण रखना चाहिए।^३ दशबैकालिकसूत्र में कहा गया है कि सभी प्राणियों के हित साधन में अहिंसा के सर्वश्रेष्ठ होने से महाबीर ने इसको प्रथम स्थान दिया है।^४ अहिंसा के समान दूसरा धर्म नहीं है।^५

आचार्य अमृतचन्द्रसूरि के अनुसार तो जैन आचार-विधि का सम्पूर्ण क्षेत्र अहिंसा से व्याप्त है, उसके बाहर उसमें कुछ ही ही नहीं। सभी नीतिक नियम और मर्यादाएँ इसके अन्तर्गत हैं; आचार-नियमों के दूसरे रूप जैसे असत्य भावण नहीं करना, चोरी नहीं करना आदि तो जनसाधारण को मुलभ रूपसे समझाने के लिये भिन्न-भिन्न नामों से कहे जाते हैं, चतुर्तः वे सभी अहिंसा के ही विभिन्न पक्ष हैं।^६ जैन-दर्शन में अहिंसा वह आधार वाक्य है जिसमें आधार के सभी नियम निर्गमित होते हैं। भगवती आराधना में कहा गया है—अहिंसा सब आश्रमों का हृदय है, सब शास्त्रों का गर्भ (उत्पत्ति स्थान) है।^७

बौद्धधर्म में अहिंसा का स्थान—बौद्ध-दर्शन के दश शीलों में अहिंसा का स्थान प्रथम है। चतुःशतक में कहा है कि तथागत ने संक्षेप में केवल 'अहिंसा' इन अक्षरों में धर्म का वर्णन किया है।^८ बुद्ध ने हिंसा को अनार्थ कर्म कहा है। वे कहते हैं, जो प्राणियों की हिंसा करता है, वह आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करने वाला ही आर्य कहा जाता है।^९

बुद्ध हिंसा एवं युद्ध के नीतिशास्त्र के घोर विरोधी हैं। धम्मपद में कहा गया है—विजय से वैर उत्पन्न होता है। पराजित दुःखी होता है। जो जय-पराजय को छोड़

१. प्रश्नब्याकरणसूत्र, २।१।२।१।२२

२. आचारांग, १।४।१।१२७

३. सूत्रकृतांग, १।४।१।०

४. दशबैकालिक, ६।९

५. भक्तपरिज्ञा, ९।१

६. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, ४।२

७. भगवती-आराधना, ७।९।०

८. चतुःशतक, २।९।८

९. धम्मपद, २।७।०

चुका है, उसे ही मुख है, उसे ही शान्ति है ।^१

अंगुनरनिकाय में यह बात और अधिक स्पष्ट कर दी गयी है। हिसक व्यक्ति जगत् में नारकीय जीवन का और अहिंसक व्यक्ति स्वर्गीय जीवन का सृजन करता है। वे कहते हैं—“भिक्षुओं, तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर नरक में डाल दिया गया हो। कौन से तीन? स्वयं प्राणी हिंसा करता है, दूसरे प्राणों का हिंसा की ओर घसीटता है और प्राणी-हिंसा का समर्थन करता है। भिक्षुओं, तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरक में डाल दिया गया हो ।”

“भिक्षुओं, तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है, जैसे लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया हो। कौन से तीन?”^२

“स्वयं प्राणी हिंसा से विरत रहता है, दूसरे को प्राणी-हिंसा की ओर नहीं घसीटता और प्राणी-हिंसा का समर्थन नहीं करता ।”^३ बौद्धधर्म के महायान सम्प्रदाय में कलणा और मैत्री की भावना का जो चरम उत्कर्ष देखा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में यही अहिंसा का मिदान्त रहा है ।

हिन्दूधर्म में अहिंसा का स्थान—गीता में अहिंसा का महत्व स्वीकृत करते हुए उसे भगवान् का ही भाव कहा गया है। उसे दैवी सम्पदा एवं सात्त्विक तप भी कहा है ।^४ महाभारत में तो जैन विचारणा के समान ही अहिंसा में सभी धर्मों को अन्तर्भूत मान लिया गया है ।^५ यही नहीं, उसमें धर्म के उपदेश का उद्देश्य भी प्राणियों को हिंसा से विरत करना है। अहिंसा ही धर्म का सार है। महाभारतकार का कथन है कि—‘प्राणियों की हिंसा न हो, इसलिए धर्म का उपदेश दिया गया है, अतः जो अहिंसा से युक्त है, वही धर्म है ।’^६

लेकिन यह प्रश्न हो सकता है कि गीता में बार-बार अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा गया, उसका युद्ध में उपरत होने का कार्य निन्दनीय तथा कायरतापूर्ण माना गया है, फिर गीता को अहिंसा की समर्थक कैसे माना जाए? इस सम्बन्ध में गीता के व्याख्याकारों की दृष्टिकोणों को समझ लेना आवश्यक है। आद्य टीकाकार आचार्य शंकर ‘युद्धस्व (युद्ध कर)’ शब्द की टीका में लिखते हैं—यहीं (उपर्युक्त कथन से) युद्ध की कर्तव्यता का विवाद नहीं है ।^७ इतना ही नहीं, आचार्य ‘आत्मोपम्येन सर्वत्र’ के आशार पर गीता में अहिंसा के मिदान्त की पुष्टि करते हैं—‘जैसे मुझे मुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को मुख अनुकूल है और जैसे दुःख मुझे अप्रिय या प्रतिकूल

१. धर्मपद, २०१

२. अंगुलरनिकाय, ३। १५. ३

३. गीता १०। ५-७, १६। २, १७। १४

४. महाभारत, शान्ति पर्व, २। ४५। १९

५. वही, १०। १२

६. गीता (शंकर आचार्य), २। १८

है, वैमे ही सब प्राणियों को अप्रिय, प्रतिकूल है, इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही मुख और दुःखको तुल्य भाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, वही अर्हिसक है। इस प्रकार का अर्हिसक पूर्ण पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है।^१

महात्मा गांधी भी गीता को अर्हिसा का प्रतिपादक ग्रन्थ मानते हैं। उनका कथन है—‘गीता की मुख्य धिना हिना नहीं, अर्हिगा है। हिमा बिना क्रोध, आमक्ति एवं धृणा के नहीं होती और गीता द्वये मत्व, रजम् और तपस् गुणों के रूप में धृणा, क्रोध आदि अवस्थाओं से ऊपर उठने को कहती है। (फिर वह हिमा की समर्थक कैमे हो मकती है)।^२ डा० राधाकृष्णन् भी गीता को अर्हिसा का प्रतिपादक ग्रन्थ मानते हैं। वे लिखते हैं—‘कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का पगमर्श देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह युद्ध की वैघटा का समर्थन कर रहा है। युद्ध तो एक ऐसा अवमग आ पड़ा है; जिसका उपयोग गृह उम भावना की ओर संकेत करने के लिए करता है, जिस भावना के माथ सब कार्य, जिनमें युद्ध भी मम्मिलित है, किये जाने चाहिए। यह हिमा या अर्हिसा का प्रश्न नहीं है, अपिनु अपने उन मित्रों के विरुद्ध हिमा के प्रयोग का प्रश्न है, जो अब शत्रु बन गये हैं। युद्ध के प्रति उमकी हिचक आध्यात्मिक विकास या मत्व-गुण की प्रश्नान्तरा का परिणाम नहीं है, अपिनु अज्ञान और बासना की उपज है। अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है कि वह दुर्बलता और अज्ञान के बदीभूत हो गया है। गीता हमारे सम्मुख जो आदर्श उपरिष्ठ करती है, वह अर्हिसा का है, और यह बात सातवें अध्याय में मन, बचन और कर्म की पूर्ण दशा के ओर बारहवें अध्याय में भक्त की मनोदशा के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को आवेद्य या दुर्भविना के बिना, राग या द्रेष के बिना युद्ध करने को कहता है और यदि हम अपने मन को ऐसी स्थिति में ले जा सकें, तो हिमा असम्भव हो जाती है।^३

इस प्रकार स्पष्ट है गीता हिमा की समर्थक नहीं है। मात्र अन्याय के प्रतिकार के लिए अद्वेषबुद्धिपूर्वक विवशता में हिमा करने का जो समर्थन गीता में दिवार्दि पड़ता है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि गीता हिमा की समर्थक है। अपवाद के रूप में हिमा का समर्थन नियम नहीं बन जाता। ऐसा समर्थन तो हमें जैन और बौद्ध आगमों में भी उपलब्ध हो जाता है।

अर्हिसा का आचार—अर्हिसा की भावना के मूलाधार के सम्बन्ध में विचारकों में कुछ भ्रान्त धारणाओं को प्रश्न भिला है, अतः उस पर सम्यक्क्लयेण विचार कर लेना आवश्यक है। मेकेन्जी ने अपने ग्रन्थ हिन्दूएथिक्स^४ में इस भ्रान्त विचारणा को प्रस्तुत

१. गीता, ६।३२

२. दि भगवद्गीता एण्ड चॉर्जिं वर्ल्ड, पृ० १२२

३. भगवद्गीता (रा०), पृ० ७४-७९

४. हिन्दू एथिक्स, मेकेन्जी

किया है कि हिंसा की अवधारणा का विकास भय के आधार पर हुआ है। वे लिखते हैं—‘असम्य मनुष्य जीव के विभिन्न रूपों को भय की दृष्टि से देखते थे और भय की यह धारणा ही अर्हिसा का मूल है।’ लेकिन कोई भी प्रबुद्ध विचारक मंकेन्जी की इस धारणा से सहमत नहीं होगा।

आचारांग में अर्हिसा के सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसमें अर्हिसा को आर्हत प्रवचन का सार और शुद्ध एवं शाश्वत धर्म बताया गया है। सर्वप्रथम हमें यह विचार करना है कि अर्हिसा को ही धर्म क्यों माना जाय? सूत्रकार इमका बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रस्तुत करता है; वह कहता है कि सभी प्राणियों में जिजीविषा प्रभान है, पुनः सभी को सुख अनुकूल और दुःख प्रतिकूल है।^१ अर्हिसा का अश्रिष्टान यत्री मनोवैज्ञानिक मत्य है। अस्तित्व और सुख की चाह प्राणीय स्वभाव है, जैन विचारकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर अर्हिसा को स्थापित किया है। अर्हिसा का आधार ‘भय’ मानना गलत है क्योंकि भय के सिद्धान्त को यदि अर्हिसा का आधार बनाया जायेगा तो व्यक्ति कंवल गबल की हिंसा से विरत होगा, निर्बल की हिंसा से नहीं। जिम्मे भय होगा उसी के प्रति अर्हिसक बुद्धि बनेगी। जबकि जैनधर्म तो सभी प्राणियों के प्रति यहाँ तक कि बन्धनाति, जल और पृथ्वीकायिक जीवों के प्रति भी अर्हिसक होने की बात कहता है, अतः अर्हिसा को भय के आधार पर नहीं अपिनु जिजीविषा और सुखाकांक्षा के मनोवैज्ञानिक मत्यों के आधार पर अधिष्ठित किया जा सकता है। पुनः जैनधर्म ने इन मनोवैज्ञानिक मत्यों के साथ ही अर्हिसा को तुन्यता दोष का बोंदिक आधार भी दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि जो अपनी पीड़ा को जान पाना है वही तुन्यता दोष के आधार पर दूमर्गों की पीड़ा को भी समझ सकता है।^२ प्राणीय पीड़ा की तुन्यता के बोध के आधार पर होने वाला आत्मसंवेदन ही अर्हिसा की नींव है।

वस्तुतः: अर्हिसा का मूलधार जीवन के प्रति मम्मान, ममत्यभावना, एवं अद्वैत-भावना है। ममत्यभाव में महानुभूति तथा अद्वैतभाव में आन्मीयता उत्पन्न होती है और इन्हीं में अर्हिसा का विकास होता है। अर्हिसा जीवन के प्रति भय में नहीं, जीवन के प्रति मम्मान में विकसित होता है। दण्डवैकालिकमूल्र में कहा गया है कि सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता अतः निर्गम्य प्राणवध (हिंसा) का निषेध करने हैं।^३ **वस्तुतः:** प्राणियों के जीवित रहने का नेतिक अधिकार ही अर्हिसा के कर्तव्य को जन्म देता है। जीवन के अधिकार का मम्मान ही अर्हिसा है। उत्तराध्ययनमूल्र में ममत्व के आधार पर अर्हिसा के मिदान्त की स्थापना करने हुए कहा गया

१. अज्ञात्य जाणइ से बहिया जाणई एवं तुन्लमन्नमि, १।१।७

२. सब्बे पाणा पिबाउया सुहसाया दुःखपदिकला, १।२।३ ३. दशवैकालिक ६।१।१

है कि भय और वैर से मुक्त साधक, जीवन के प्रति प्रेम रखने वाले सभी प्राणियों को सर्वत्र अपनी आत्मा के समान जान कर उनकी कभी भी हिंसा न करे।^१ यह मेकेन्जी की इम शारणा का, कि अहिंसा भय पर अतिथित है, सचोट उत्तर है। आचारांगसूत्र में तो आत्मीयता की भावना के आधार पर ही आंहमा-सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना की गयी है। उसमें लिखा है—जो लोक (अन्य जीव समूह) का अपलाप करता है वह स्वयं अपनी आन्मा का भी अपन्नाप करता है।^२ आगे पूर्णात्मीयता की भावना को परिपूष्ट करते हुए महावीर कहते हैं—जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है। जिसे तू शासित करना चाहता है वह तू ही है। जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है।^३ भक्तपरिज्ञा में भी लिखा है—किसी भी अन्य प्राणी को हत्या वस्तुतः अपनी ही हत्या है और अन्य जीवों की दया अनन्य ही दया है।^४ इस प्रकार जैनधर्म में अहिंसा का आधार आत्मबत् दृष्टि ही है।

बोद्धधर्म में अहिंसा का आधार—भगवान् बुद्ध ने भी अहिंसा के रूप में इसी 'आत्मबत् मर्वभूतेषु' की भावना को ग्रहण किया है। सुत्तनिपात में बुद्ध कहते हैं—'जैगा मैं हूँ वैसे ही ये मव प्राणी हैं, और जैसे ये सब प्राणी हैं वैसा ही मैं हूँ—इस प्रकार अपने समान मव प्राणियों को ममझकर न स्वयं किसी का वध करे और न दूसरों से कराए।'^५

गीता में अहिंसा के आधार—गीताकार भी अहिंसा के सिद्धांत के आधार के रूप में 'आत्मबत् मर्वभूतेषु' की उदात्त भावना को लेकर चलता है। यदि हम गीता को अद्वैतवाद की मर्मरक मानें तो अहिंसा के आधार की दृष्टि से जैन दर्शन और अद्वैतवाद में यह अन्तर है कि जहाँ जैन परम्परा में सभी आत्माओं को तात्त्विक समानता के आधार पर अहिंसा की प्रतिष्ठा की गई है, वहाँ अद्वैतवाद में तात्त्विक अभेद के आधार पर अहिंसा की स्थापना की गई है। बाद कोई भी हो, पर अहिंसा की दृष्टि से महत्व की बात एक ही है कि अन्य जीवों के साथ समानता, जीवन के अधिकार का सम्मान और अभेद की वास्तविक संबंदना या आत्मीयता की अनुभूति ही अहिंसा की भावना का उद्दगम है। जब मनुष्य में इस सबेदन-शीलता का सच्चे रूप में उदय हो जाता है, तब हिंसा का विचार एक असंभावना बन जाता है। हिंसा का संकल्प सदैव 'पर' के प्रति होता है, 'स्व' या आत्मीय के प्रति कभी नहीं। अतः आत्मबत् दृष्टि का विकास ही अहिंसा का आधार है।

१. उत्तराध्ययन, ६।७

२. आचारांग, १।३।३

३. वही, १।५।५

४. भक्तपरिज्ञा-९।३

५. सुत्तनिपात, ३।३।७।२७

६. दर्शन और चिन्तन, संख्या २, पृ० १२५

जीवागमों में अहिंसा की व्यापकता

जैन-विचारणा में अहिंसा का क्षेत्र कितना व्यापक है, इसका बोध हमें प्रश्नब्याक-रणसूत्र से हो सकता है। उसमें अहिंसा के साठ पर्यायवाची नाम वर्णित है—१. निर्बाणि, २. निवृत्ति, ३. समाधि, ४. क्षान्ति, ५. कीर्ति, ६. कान्ति, ७. प्रेम, ८. दैराग्य, ९. श्रुतांग, १०. तृप्ति, ११. दया, १२. विमुक्ति, १३. क्षान्ति, १४. सम्यक् आराधना, १५. महती, १६. बोधि, १७. बुद्धि, १८. धृति, १९. समृद्धि, २०. ऋद्धि, २१. वृद्धि, २२. स्थिति (धारक), २३. पुष्टि (पोषक), २४. नन्द (आनन्द), २५. भद्रा, २६. विशुद्धि, २७. लविष, २८. विशेष दृष्टि, २९. वत्याण, ३०. मंगल, ३१. प्रमोद, ३२. विमूर्ति, ३३. रक्षा, ३४. सिद्धावास, ३५. अनास्त्र, ३६. कैवल्यस्थान, ३७. शिव, ३८. समिति, ३९. शील, ४०. संयम, ४१. शील परिग्रह, ४२. संवर, ४३. गुप्ति, ४४. व्यवसाय, ४५. उत्सव, ४६. यज्ञ, ४७. आयतन, ४८. यतन, ४९. अप्रमाद, ५०. आद्वासन, ५१. विश्वास, ५२. अभय, ५३. सर्व अमाधात (किसी को न मारना), ५४. चोक्ष (स्वच्छ), ५५. पवित्र, ५६. शुचि, ५७. पूता या पूजा, ५८. विमल, ५९. प्रभात और ६०. निर्मलतर।

इस प्रकार जैन आचार-दर्शन में अहिंसा शब्द एक व्यापक दृष्टि को लेकर उपस्थित होता है। उसके अनुसार सभी सद्गुण अहिंसा में निहित हैं और अहिंसा ही एकमात्र सद्गुण है। अहिंसा सद्गुण-समूह की मूलक है।

अहिंसा क्या है?

हिंसा का प्रतिपक्ष अहिंसा है।^२ यह अहिंसा की एक निषेधात्मक परिभाषा है। लेकिन हिंसा का त्याग मात्र अहिंसा नहीं है। निषेधात्मक अहिंसा जीवन के समग्र पक्षों को स्पर्श नहीं करती। वह आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं कही जा सकती। निषेधात्मक अहिंसा मात्र बाहु हिंसा नहीं करना है, यह अहिंसा का शरीर हो सकता है, अहिंसा को आत्मा नहीं। किसी को नहीं मारना यह अहिंसा के सम्बन्ध में मात्र स्थूल दृष्टि है। लेकिन यह मानना भ्रान्तिपूर्ण होगा कि जैन धर्म अहिंसा की इस स्थूल एवं बहिर्मुखी दृष्टि तब सीमित रही है। जैन-दर्शन का केन्द्रीय सिद्धान्त अहिंसा शान्तिक दृष्टि से चाहे नकारात्मक है, लेकिन उसकी अनुभूति नकारात्मक नहीं है। उसकी अनुभूति सदैव ही विधायक रही है। सर्वत्र आत्मभाव मूलक करणा और मैत्री की विधायक अनुभूतियों से अहिंसा की धारा प्रवाहित होई है। अहिंसा किया नहीं, सत्ता है, वह आत्मा की एक अवस्था है। आत्मा की प्रमत्त अवस्था ही हिंसा है और अप्रमत्त अवस्था ही अहिंसा है। आचार्य भद्रबाहु ओघनिर्युक्ति में लिखते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से

आत्मा ही हिंसा है और आत्मा अहिंसा है। प्रमत्त आत्मा हिंसक है और अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है।^१ आत्मा की प्रमत्त दशा हिंसा को अवस्था है और अप्रमत्त दशा अहिंसा की अवस्था है।

द्रव्य एवं भाव अहिंसा—अहिंसा को सम्पूर्ण रूप से समझने के लिए पहले यह जान लेना आवश्यक है कि जैन-विचारणा के अनुसार हिंसा क्या है? जैन-विचारणा हिंसा का दो पक्षों से विचार करती है। एक हिंसा का बाह्य पक्ष है, जिसे जैन पारिभाषिक शब्दावली में द्रव्य हिंसा कहा गया है। द्रव्य हिंसा स्थूल एवं बाह्य घटना है। यह एक क्रिया है जिसे प्राणातिपात, प्राणवध, प्राणहत्या आदि नामों से जाना जाता है। जैन-विचारणा आत्मा को मापेश्वर रूप में नित्य मानती है। अतः हिंसा के द्वारा जिसका हनन होता है वह आत्मा नहीं, वरन् प्राण है—प्राण जैविक शक्ति है। जैन-विचारणा में प्राण दस माने गये हैं। पांच इन्द्रियों की शक्ति, मन, वाणी और शरीर का त्रिविध बल, इवसन-क्रिया एवं आयुष्य ये दस प्राण हैं। इन प्राण-शक्तियों का वियोजीकरण ही द्रव्य-दृष्टि से हिंसा है।^२ यह हिंगा की यह परिभाषा उसके बाह्य पक्ष पर बल देनी है। द्रव्य-हिंसा का तात्पर्य प्राण-शक्तियों का कुण्ठन, हनन तथा विलगाव करना है।

भाव-हिंसा हिंसा का विचार है, यह मानविक अवस्था है, जो प्रमादजन्य है। आचार्य अमृतचन्द्र हिंसा के भावात्मक पक्ष पर बल देने हुए हिंसा-अहिंसा की परिभाषा करते हैं। उनका कथन है कि रागादि कपायों का अभाव अहिंसा है और उनका उत्पन्न होना ही हिंसा है। यही जैन-आगमों की विचार दृष्टि का मार है।^३ हिंसा की पूर्ण परिभाषा तन्वार्थमूत्र में मिलती है। तन्वार्थमूत्र के अनुसार गग, द्वेष आदि प्रमादों से युक्त होकर किया जाने वाला प्राण-वध हिंसा है।^४

हिंसा के प्रकार

जैन विचारकों ने द्रव्य और भाव इन दो व्यंगों के आधार पर हिंसा के चार विभाग किये हैं—१. मात्र शारीरिक हिंसा, २. मात्र वैचारिक हिंसा, ३. शारीरिक एवं वैचारिक हिंसा, और ४. शान्तिक हिंसा। मात्र शारीरिक हिंसा या द्रव्य हिंसा वह है जिसमें हिंसक क्रिया तो सम्पन्न हुई हो, लेकिन हिंसक विचार का अभाव हो। उदाहरणम्बन्ध, सावधानीपूर्वक चलते हुए भी दृष्टिदोष या जन्तु की सूक्ष्मता के कारण उसके नहीं दिखाई देने पर हिंसा हो जाना। मात्र वैचारिक हिंसा या भाव हिंसा वह है जिसमें हिंसा की क्रिया तो अनुपस्थित हो, लेकिन हिंसा का संकल्प उपस्थित हो। इसमें कर्ता हिंसा के संकल्प से युक्त होता है, लेकिन बाह्य परिस्थितिवश उसे क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो पाता है, जैसे कैदी का न्यायालीश की हत्या करने का विचार (जैन

परम्परा में इस सम्बन्ध में तंदुलमच्छ एवं कालसौकरिक कसाई के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं) वैचारिक एवं शारीरिक हिंसा—जिसमें हिंसा का विचार और हिंसा की क्रिया दोनों ही उपस्थित हो, जैसे संकल्पपूर्वक की गई हत्या। शामिक हिंसा—जिसमें न तो हिंसा का विचार हो, न हिंसा की क्रिया। मात्र हिंसक शब्दों का उच्चारण हो, जैसे सुधार को भावना से माता पिता का बालकों पर या गुरु का शिष्य पर कृत्रिम रूप से कुपित होना।^१ नैतिकता की या बन्धन की तीव्रता की दृष्टि से हिंसा के इन चार रूपों में क्रमशः शान्तिक हिंसा की अपेक्षा संकल्प रहित शारीरिक हिंसा, संकल्प रहित शारीरिक हिंसा की अपेक्षा मात्र वैचारिक हिंसा और मात्र वैचारिक हिंसा की अपेक्षा संकल्पयुक्त शारीरिक हिंसा अधिक निकृष्ट मानी गयी है।

हिंसा की विभिन्न स्थितियाँ—वस्तुतः हिंसककर्म की तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं—१. हिंसा की गयी हो, २. हिंसा करनी पड़ी हो और ३. हिंसा हो गयी हो। पहली स्थिति में यदि हिंसा चेतन रूप से की गई है तो वह संकल्पयुक्त है, यदि अचेतन रूप से की गई है तो वह प्रमादयुक्त है। हिंसक क्रिया, चाहे संकल्प में उत्तरान हुई हो या प्रमाद के कारण हुई हो, कर्ता दोषी माना जाता है। दूसरी स्थिति में हिंसा चेतन रूप से किन्तु विवशतावश करनी पड़ती है, यह बाध्यता शारीरिक हो सकती है अथवा बाह्य परिस्थितिगत, यहाँ भी कर्ता दोषी है। वह कर्म का बन्धन भी करता है, लेकिन पश्चानाप या ग्लानि के द्वारा वह उससे शुद्ध हो जाता है। बाध्यता का अवस्था में की गई हिंसा के लिए कर्ता को दोषी मानने का आधार यह है कि समय बाध्यताएँ स्वयं के द्वारा आगेरित हैं। बाध्यता या बन्धन के लिए कर्ता स्वयं उत्तरदायी है। बाध्यताओं की स्वीकृति कायगता वा प्रतीक है। बन्धन में होना और बन्धन को मानना दोनों ही कर्ता की विकृतियाँ हैं—कर्ता स्वयं दोषी है ही। नैतिक जीवन का साध्य तो इनसे ऊपर उठने म ही है। तीसरी स्थिति में हिंसा न तो प्रमाद के कारण होती है और न विवशतावश ही, बरन् मम्पूर्ण मावधानी के बावजूद भी हो जाती है। जैन-विचारणा के अनुसार हिंसा की यह तीसरी स्थिति कर्ता की दृष्टि से निर्दोष मानी जा सकती है क्योंकि इसमें हिंसा का संकल्प पूरी तरह अनुपम्यित रहता है; मात्र यही नहीं, हिंसा में बचने की पूरी मावधानी भी रखी जाती है। हिंसा के मंकल्प के अभाव में एवं मम्पूर्ण मावधानी के बावजूद भी यदि हिंसा हो जाती है तो वह हिंसा के मीमांसन में नहीं आती है। हमें यह भी ममझ लेना होगा कि किसी अन्य संकल्प की पूर्ति के लिए की जानेवाली क्रिया के दौरान यदि मावधानी के बावजूद कोई हिंसा की घटना घटित हो जाती है, जैसे—गृहस्थ उपासक द्वारा भूमि जोनने हुए, किसी त्रम-प्राणी की हिंसा हो जाना अथवा किसी मुनि के द्वारा पदयात्रा करने हुए त्रसप्राणी की हिंसा हो जाना, तो

कर्ता को उस हिंसा के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके मन में उस हिंसा का कोई संकल्प ही नहीं है। अतः ऐसी हिंसा हिंसा नहीं है। हिंसा की उन स्थितियों में, जिनमें हिंसा की ज्ञाती हो या हिंसा करने पड़ती हो, हिंसा का संकल्प या इगादा अवश्य हांता है, यह बात अलग है कि एक अवस्था में हम बिना किसी परिस्थितिगत दबाव के स्वतंत्ररूप में हिंसा का संकल्प करते हैं और दूसरे में हमें विवशता में संकल्प करना होता है। फिर भी पहली अधिक निकृष्ट कोटि की है क्योंकि आक्रमणात्मक है।

हिंसा के विभिन्न रूप—हिंसक कर्म की उपर्युक्त तीन अवस्थाओं में यदि हिंसा हो जाने की तीमरी अवस्था को छोड़ दिया जाय तो हमारे समझ हिंसा के दो रूप बचते हैं—? हिंसा को गयी हो और २. हिंसा करनी पड़ी हो। वे दशाएं जिनमें हिंसा करनी पड़ती हैं, दो प्रकार की हैं—१. रक्षणात्मक और २. आजोविकात्मक, इसमें दो बातें निम्नलिखित हैं—जीवन जीने के साधनों का अर्जन और उनका उपभोग।

जैन दर्शन में इसी आधार पर हिंसा के चार रूप माने गये हैं—

१. संकल्पिता (संकल्पी हिंसा)—संकल्प या विचारपूर्वक हिंसा करना। यह आक्रमणात्मक हिंसा है।

२. विरोधिता—स्वयं और दूसरे लोगों के जीवन एवं स्वतंत्रों (अधिकारों) के रक्षण के लिए विवशतावश हिंसा करना। यह सुरक्षात्मक हिंसा है।

३. उद्योगिता—आजीविका उपार्जन अर्थात् उद्योग एवं व्यवसाय के निमित्त होने-वाली हिंसा। यह उपार्जनात्मक हिंसा है।

४ आरम्भिता—जीवन-निर्वाह के निमित्त होने वाली हिंसा—जैसे भोजन का पकाना। यह निर्वाहात्मक हिंसा है।

हिंसा के कारण

जैन आचार्यों ने हिंसा के चार कारण माने हैं। १. राग, २. द्वेष, ३. कथाय अर्थात् क्रोध, अहंकार, कपट एवं लोभबृत्ति और ४. प्रमाद।

हिंसा के साधन

जहाँ तक हिंसा के मूल साधनों का प्रश्न है, वे तीन हैं—मन, वचन और शरीर। सभी प्रकार की हिंसा इन्हों तीन साधनों द्वारा होती या की जाती है।

हिंसा और अहिंसा मनोवृद्धा पर निर्भर

जैन विचारधारा के अनुसार न केवल पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि एवं वनस्पति-जगत् ही जीवनयुक्त है, वरन् समग्र लोक सूक्ष्म जीवों से व्याप्त है। अतः प्रश्न होता है

कि क्या ऐसी स्थिति में कोई पूर्ण अहिंसक हो सकता है ? महाभारत में भी जगत् को सूक्ष्म जीवों से व्याप्त मानकर यही प्रश्न उठाया है । जल में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्षों के फलों में भी अनेक जीव (प्राण) होते हैं । ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इनमें से किसी को कभी नहीं मारता हो, फिर कितने ही ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं, जो इन्द्रियों से नहीं, मात्र अनुमान से ही जाने जाते हैं—मनुष्य की पलकों के गिरने मात्र से ही जिनके कंधे टूट जाते हैं, अर्थात् मर जाते हैं । तात्पर्य यह है कि जीवों की हिंगा से नहीं बचा जा सकता है ।^१

आचार्य भद्रबाहु इस सन्दर्भ में जैन दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—विकालदर्शी जिनेश्वर भगवान् का कथन है कि अनेकानेक जीव-समूहों से परिव्याप्त विश्व में माधवक का अहिंसकत्व अन्तर में अध्यात्म विशुद्धि की दृष्टि से ही है, बाह्य हिंसा या अहिंसा की दृष्टि से नहीं है^२ । जैन-विचारधारा के अनुसार भी बाह्य हिंसा से पूर्णतया वच पाना सम्भव नहीं ।

हिंसा और अहिंसा का प्रत्यय बाह्य घटनाओं पर उतना निर्भर नहीं है जितना वह साधक की भलोदशा पर आधारित है । हिंसा और अहिंसा के विवेक का आधार प्रमुख रूप से आन्तरिक है । हिंसा में संकल्प की प्रमुखता है । भगवती सूत्र में एक संवाद के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है । गणधर गौतम महावीर से प्रश्न करते हैं—हे भगवन्, किसी श्रमणोपासक ने किसी त्रस प्राणी का वध न करने की प्रतिज्ञा ली हो, लेकिन पृथ्वीकाय की हिंसा की प्रतिज्ञा नहीं ग्रहण की हो, यदि भूमि खोदते हुए उससे किसी प्राणी का वध हो जाय तो क्या उसकी प्रतिज्ञा भंग हुई ? महावीर कहते हैं कि यह मानना उचित नहीं—उसकी प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई^३ । इस प्रकार संकल्प की उपस्थिति अथवा साधक को मानसिक स्थिति ही हिंसा-अहिंसा के विचार में प्रमुख तत्त्व है । गरवर्ती जैन साहित्य में यही धारणा पुष्ट होती रही है । आचार्य भद्रबाहु का कथन है कि सावधानी पूर्वक चलने वाले साधु के पैर के नीचे भी कभी-कभी कीट, पतंग आदि कुद्र प्राणी आ जाते हैं और दब कर मर भी जाते हैं, लेकिन उक्त हिंसा के निमित्त से उसे सूक्ष्म कर्म बंध भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यह अन्तर में सर्वतोभावेन उस हिंसा व्यापार से निलिप्त होने के कारण निष्पाप है^४ । जो विवेक सम्पन्न अप्रमत्त साधक आन्तरिक विशुद्धि से युक्त है और आगमविधि के अनुमार आचरण करता है, उसके द्वारा ही जाने वाली हिंसा भी कर्म-निर्जना का कारण है^५ । लेकिन जो व्यक्ति प्रमत्त है ।

१. महाभारत, शान्ति पर्व १५।२५-२६

२. ओघनिर्युक्ति, ७४७

३. भगवतीसूत्र, ७।१।६-७

४. ओघनिर्युक्ति, ७४८-८९

उसकी किमी भी चेष्टा से जो भी प्राणी मर जाते हैं, वह निश्चित रूप से उन सबका हिसक होता है। इतना ही नहीं, वरन् जो प्राणी नहीं मरे गये हैं, प्रमत्त मनुष्य उनका भी हिसक है, क्योंकि वह अन्तर में सर्वतोभावेन पापात्मा है। इस प्रकार आचार्य का निष्कर्ष यही है कि केवल दृश्यमान् पापरूप हिमा में ही कोई हिसक नहीं हो जाता^१।

आचार्य कुन्दकुन्द प्रवचनमार्ग में कहने हैं कि बाहर में प्राणी मरे या जिए असंवत्ताचार्ग (प्रमत्त) का हिमा का दोप निश्चित रूप में लगता है। परन्तु जो अहिंसा की माध्यम के लिए प्रयत्नशील है, मरितवान या संयताचारी है, उसको बाहर से होने वाली हिमा के कारण कर्म बन्धन नहीं होता^२। आचार्य अमृतचन्द्र मूरि लिखते हैं कि रागादि कथाओं में ऊपर ऊठकर नियमपूर्वक आचरण करने हए भी यदि प्राणघात हो जाये तो वह हिमा नहीं है^३। निशीषचूणि में भी कहा गया है कि प्राणातिपात (हिमा) होने पर भी अप्रमत्त गाथक अहिंसक है और प्राणातिपात न होने पर भी प्रमत्त व्यक्ति हिसक है^४। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन आचार्यों की दृष्टि में हिमा अहिंसा का प्रश्न मुख्य रूप से आन्तरिक रहा है। इन दृष्टिकोण के पीछे प्रमुख विचार यह है कि एक ओर व्यावहारिक रूप में पूर्ण अहिमा का पालन और दूसरी ओर आध्यात्मिक साधना के लिए जीवन को बनाये रखने का प्रयास, यह दो ऐसी स्थितियाँ हैं जिनको साथ-साथ चलाना सम्भव नहीं होता है। अतः जैन-विचारकों को अन्त में यहाँ स्वीकार करना पड़ा कि हिमा-अहिंसा का सम्बन्ध बाहरी धटनाओं की अपेक्षा आन्तरिक वृत्तियों से है^५।

इस दृष्टिकोण का समर्थन हमें गीता और धर्मपद में भी मिलता है। गीता कहती है, जो अहंकार की भावना से मुक्त है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, उह इन सब मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है और वह (अपने इस कर्म के कारण) बन्धन में नहीं पड़ता^६।

धर्मपद में भी कहा है कि (नैष्कर्म्य-स्थिति को प्राप्त) ज्ञाहण माता-पिता को, दो क्षत्रिय राजाओं को एवं प्रजा-सहित राष्ट्र को मारकर भी, निष्पाप होकर जाता है (क्योंकि वह पाप-नुष्य से ऊपर ऊठ जाता है)।^७

यही गीता और धर्मपद में प्रयुक्त 'मार कर' शब्द पर आपत्ति हो सकती है। जैन-परम्परा में सामान्यतया इस प्रकार के प्रयोग नहीं हैं, फिर भी जैनागमों में ऐसे अववाद स्थानों का विवेचन उपलब्ध है जबकि हिमा अनिवार्य हो जाती है। ऐसे अवसरों पर अगर की जाने वाली हिमा से डर कर कोई उसका आचरण नहीं करता (वह हिमा-

१. ओघनियुक्ति ७५२-५३

२. वही, ७५८

३. प्रवचनसार, ३।१७

४. पुरुषार्थसिद्धियुक्ति, ४५

५. निशीषचूणि ९२

६. देखिए—दर्शन और चिन्तन, संप्ल २, पृ० ४१४

७. गीता, १८-१७

८. धर्मपद, २९४

नहीं करता) तो उलटे दोष का भागी बनता है यदि गीता में वर्णित युद्ध के अवसर को एक अपवादात्मक स्थिति के रूप में देखें तो सम्भवतः जैन-विचारणा गीता से अधिक दूर नहीं रह जाती है। दोनों ही ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चित्त-साम्य (कृतयोगित्व) और परिणत शास्त्रज्ञान (गीतार्थ) पर बल देती है।

अहिंसा के बाह्य पक्ष की अवहेलना उचित नहीं—हिंसा-अहिंसा के विचार में जिस भावात्मक आन्तरिक पक्ष पर जैन-आचार्य इतना अधिक बल देते रहे हैं, उसका इन्हन्हें निर्विवाद रूप से सभी को स्वीकार्य है। यही नहीं, इस सन्दर्भ में जैनदर्शन, गीता और बौद्ध-दर्शन में विचार माम्य है, जिस पर हम विचार कर चुके हैं। यह निश्चत है कि हिंसा-अहिंसा की विवक्षा में भावात्मक या आन्तरिक पहलू ही मूल केन्द्र है, लेकिन दूसरे बाह्य पक्ष की अवहेलना भी कथमपि सम्भव नहीं है। यद्यपि व्यक्तिक गाथना की दृष्टि ने आध्यात्मिक पक्ष का ही सर्वाधिक मूल्य है; लेकिन उजहा सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन का प्रश्न है, हिंसा-अहिंसा की विवक्षा में बाह्य पहलू को भी झुठलाया नहीं जा सकता, वयोंकि व्यावहारिक जीवन और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से जिस पर विचार किया जा सकता है, वह तो आचरण का बाह्य पक्ष ही है।

गीता और बौद्ध आचार-दर्शन की अपेक्षा भी जैन-दर्शन ने इस बाह्य पक्ष पर गहनतारूढ़क समुचित विचार किया है। जैन-परम्परा यह मानती है कि किन्हीं अपवाद की अवस्थाओं को छोड़ कर सामान्यतया जो विचार में है, वही व्यवहार में प्रकट होता है। अन्तरंग और बाह्य अथवा विचार और आचार के सम्बन्ध में द्वित दृष्टि उसे स्वीकार्य नहीं है। उमको दृष्टि में अन्तरंग में अहिंसक वृत्ति के होते हुए बाह्य हिंसक आचरण कर पाना, यह एक प्रकार की भ्रान्ति है, छलना है, आत्मप्रवंचना है। सूत्रकृतांगसूत्र में कहा गया है कि यदि हृदय पापमुक्त हो तो (हिंसादि) क्रिया करने पर भी निर्वाण अवश्य मिलता है, यह एक मिथ्या धारणा है। यदि गीता का यह मन्तव्य हो कि अन्तर में अहिंसक वृत्ति के होने हुए भी हिंसात्मक क्रिया की जा सकती है, तो जैन दर्शन का उमसे स्पष्ट विरोध है। जैनधर्म कहता है कि अन्तर में अहिंसक वृत्ति के होते हुए हिंसा की नहीं जा सकती, यद्यपि हिंसा हो सकती है। हिंसा करना सदैव ही मंकलपात्मक होगा और आन्तरिक विशुद्धि के होते हुए हिंसात्मक कर्म का मंकल्प सम्भव ही नहीं।^१

वस्तुतः हिंसा-अहिंसा की विवक्षा में जैन-दृष्टि का सार यह है कि हिंसा चाहे वह बाह्य हो या आन्तरिक, वह आचार का नियम नहीं हो सकती।

दूसरे, हिंसा-अहिंसा की विवक्षा में बाह्य पक्ष की अवहेलना भी मात्र कतिपय अपवादात्मक अवस्थाओं में ही क्षम्य है। हिंसा का हेतु मानसिक प्रवृत्तिर्याँ, क्यायें हैं,

१. देखिए—दर्शन और चिन्तन, खण्ड २, पृ० ४१६

२. सूत्रकृतांग, २।६।३५

यह मानना तो ठीक है, लेकिन यह मानना कि मानसिक वृत्ति या कषायों के अभाव में होने वाली द्रव्यहिंसा हिंसा नहीं है, उचित नहीं। यह ठीक है कि संकल्पजन्य हिंसा अधिक निकृष्ट और निकाशिचत कर्म-बंध करती है, लेकिन संकल्प के अभाव में होने वाली हिंसा, हिंसा नहीं है या उसमें कर्म-आम्रव नहीं होता है, यह जैनकर्म-सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। व्यावहारिक जीवन में हमें इसको हिंसा मानना होगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण को निम्न कारणों से उचित नहीं माना जा सकता—

(१) जैन-दर्शन में आम्रव का कारण तीन योग है—(अ) मनयोग (ब) वचनयोग और (स) काययोग। इनमें से किसी भी योग के कारण कर्मों का आगमन (आम्रव) होता अवश्य है द्रव्यहिंसा में काया की प्रवृत्ति है अतः उसके कारण आम्रव होता है। जहाँ आम्रव है, वहाँ हिंसा है। प्रश्नव्याकरणमूल में आम्रव के पांच द्वार (१. हिंसा, २. असत्य, ३. स्तेय, ४. अद्रवद्यवर्य ५. परिग्रह) माने गये हैं जिसमें प्रथम आम्रवद्वार हिंसा है। ऐसा कृत्य जिसमें प्राण वियोजन होता है, हिंसा है और दूषित है। यह ठीक है कि कषायों के अभाव में उसमें निकाशिचत कर्म-बंध नहीं होता है, लेकिन क्रिया दोष तो लगता है।

(२) जैन-शास्त्रों में वर्णित पञ्चीम क्रियाओं में 'ईर्यापिधिक' क्रिया भी है। जैन-तीर्थंकर राग द्वेष आदि कपायों से मुक्त होते हैं, लेकिन काययोग के कारण उन्हें ईर्यापिधिक क्रिया लगती है और ईर्यापिधिक बैंस भी होता है। यदि द्रव्यहिंसा मानसिक कषायों के अभाव में हिंसा नहीं है तो कायिक व्यापार के कारण उन्हें ईर्यापिधिक क्रिया क्यों लगती? इसका तात्पर्य यह है कि द्रव्यहिंसा हिंसा है।

(३) द्रव्य हिंसा यदि मानसिक प्रवृत्तियों के अभाव में हिंसा ही नहीं है तो फिर यह दो भेद—भाव हिंसा और द्रव्यहिंसा नहीं रह सकते।

(४) वृत्ति और आचरण का अन्तर कोई सामान्य नियम नहीं है। सामान्य रूप से व्यक्ति को जैसी वृत्तियाँ होती हैं, वैसा ही उसका आचरण होता है। अतः यह मानना कि आचरण का बाह्य पक्ष वृत्तियों से अलग होकर कार्य कर सकता है, एक अन्त धारणा है।

पूर्ण अर्हिंसा के आदर्श की दिक्षा में—यद्यपि आन्तरिक और बाह्य रूप से पूर्ण अर्हिंसा के आदर्श की उपलब्धि जैन दर्शन का साध्य है, लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में इस आदर्श की उपलब्धि सहज नहीं है। अर्हिंसा एक आध्यात्मिक आदर्श है और आध्यात्मिक स्तर पर ही इसकी पूर्ण उपलब्धि सम्भव है, लेकिन व्यक्ति का वर्तमान जीवन आध्यात्म और भौतिकता का एक सम्मिश्रण है। जीवन के आध्यात्मिक स्तर पर पूर्ण अर्हिंसा सम्भव है, लेकिन भौतिक स्तर पर पूर्ण अर्हिंसा की क्षम्पना समीचीन नहीं है। अर्हिंसक जीवन की सम्भावनाएँ भौतिक स्तर से ऊपर उठने पर विकसित

होती है—व्यक्ति जैसे-जैसे भौतिकता के स्तर से ऊपर उठता जाता है, वैसे-वैसे अर्हिसक जीवन को पूर्णता की दिशा में बढ़ता जाता है। इसी आधार पर जैन धर्म में अर्हसा की दिशा में बढ़ने के लिए कुछ स्तर निर्धारित हैं।

हिंसा का वह रूप जिसे संकल्पजा हिंसा कहा जाता है, सभी के लिए त्याज्य है। संकल्पजा हिंसा हमारे वैचारिक या मानसिक जगत् पर निर्भर है। मानसिक संकल्प के कर्ता के रूप में व्यक्ति में स्वतन्त्रता की सम्भावनाएँ सर्वाधिक विकसित हैं। अपने मनोजगत् में व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र है। इस स्तर पर पूरी तरह से अर्हिसा का पालन अधिक सहज एवं सम्भव है। बाह्य स्थितियाँ इस स्तर पर हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन शासित नहीं कर सकतीं। व्यक्ति स्वयं अपने विचारों का स्वामी होता है, अतः इस स्तर पर अर्हिसक होना सभी के लिए आवश्यक है। व्यावहारिक दृष्टि से संकल्पजा हिंसा आक्रमणकारी हिमा है। यह न तो जीवन के रक्षण के लिए है और न जीवन-निर्वाह के लिए है, अतः यह सभी के लिए त्याज्य है।

हिंसा का दूसरा रूप विरोधजा है। यह प्रत्याक्रमण या सुरक्षात्मक है। एवं पर के जीवन एवं स्वतंत्रों के रक्षण के लिए यह हिमा करनी पड़ती है। इगमें बाह्य परिस्थितिगत तत्त्वों का प्रभाव प्रमुख होता है। बाह्य स्थितियाँ व्यक्ति को बाध्य करती हैं कि वह अपने एवं अपने साथियों के जीवन एवं स्वतंत्रों के रक्षण के लिए प्रत्याक्रमण के रूप में हिंसा करे। जो भी मनुष्य शरीर एवं अन्य भौतिक संस्थानों पर अपना स्वत्व रखना चाहते हैं अथवा जो अपने और अपने साथियों के अधिकारों में आस्था रखते हैं, वे इस विरोधजा हिमा को छोड़ नहीं सकते। गृहस्थ या थावक हिमा के इस रूप को पूरी तरह छोड़ पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे शरीर एवं अन्य भौतिक वस्तुओं पर अपना स्वत्व रखना चाहते हैं। इसी प्रकार शासक वर्ग एवं राजनीतिक नेता जो मानवीय अधिकारों में एवं राष्ट्रीय हितों में आस्था रखते हैं, इसे पूरी तरह छोड़ने में असमर्थ हैं।

यद्यपि आधुनिक युग में गांधी एक ऐसे विचारक अवद्य हुए हैं जिन्होंने विरोध का अर्हिसक तरीका प्रस्तुत किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की, तथापि अर्हिसक रूप से विरोध करना और उसमें सफलता प्राप्त करना हर किसी के लिए सम्भव नहीं है। अर्हिसक प्रक्रिया से अविकारों का संरक्षण करने में वही सफल हो सकता है जिसे शारीर का मोह न हो, पदार्थों में आसक्ति न हो और विद्रेष भाव न हो। इनना ही नहीं, अर्हिसक तरीके में अधिकारों के संरक्षण की कल्पना एक मध्य एवं मुमंस्कृत मानव समाज में ही सम्भव हो सकती है। यदि विरोधी पक्ष मानवीय स्तर पर हो, तब तो अर्हिसक विरोध सफल हो जाता है, लेकिन यदि विरोधी पक्ष पादाविक स्तर पर हो तो अर्हिसक विरोध की सफलता सन्देहस्पद बन जाती है। मानव में मानवीय गुणों की सम्भावना की आस्था ही अर्हिसक विरोध का केन्द्रीय तत्व है। मानवीय गुणों

में हमारी आस्था जितनी बलशाली होगी और विरोधी में मानवीय गुणों का जितना अधिक प्रकटन होगा, अहिंसक विरोध की सफलता भी उतनी ही अधिक होगी ।

जहाँ तक उद्योगजा और आरम्भजा हिंमा की बात है, एक गृहस्थ उससे नहीं बच सकता, व्योंगि जब तक शरीर का मोह है, तब तक आजीविका का अर्जन और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति दोनों ही आवश्यक है । यद्यपि इस स्तर पर मनुष्य अपने को त्रस प्राणियों की हिंसा में बचा सकता है । जैन धर्म में उद्योग-व्यवसाय एवं भरण-पोषण के लिए भी त्रस जाओं की हिंमा करने का निषेध है ।

लेकिन, जब व्यक्ति शरीर और मम्पति के मोह से ऊपर उठ जाता है तो वह पूर्ण अहिंसा की दिशा में भी आगे बढ़ जाता है । जहाँ तक श्रमण माधक या संन्यासी की बात है, वह अपरिग्रही होता है, उसे अपने शरीर पर भी समत्व नहीं होता, अतः वह सर्वतोभावेन हिंमा में विरत होने का त्रुट लेता है । शरीर धारण मात्र के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर वह संकल्पयुर्वक और विवशनावश दोनों ही परिस्थितियों में त्रस और स्थावर हिंमा गे विरत ही जाता है । मुनि नथमलजी के शब्दों में कोई भी व्यक्ति एक ही डग में चोटी तक नहीं पहुँच सकता । वह धीमे-धीमे आगे बढ़ता है । भगवान् महावीर ने अहिंसा की पहुँच के कुछ स्तर निर्धारित किये थे जो वस्तुस्थिति पर आधारित हैं । उन्होंने हिंमा को तीन भागों में विभक्त किया—(१) संकल्पजा (२) विरोधजा और (३) आरम्भजा । संकल्पजा हिंमा आक्रमणात्मक हिंमा है । वह सबके लिए सर्वथा परिहार्य है । विरोधजा हिंमा प्रत्याक्रमणात्मक हिंमा है । उसे छोड़ने में वह असर्मर्थ होता है, जो भौतिक संस्थानों पर अपना अस्तित्व रखना चाहता है । आरम्भजा हिंसा आजीविकात्मक हिंसा है । उसे छोड़ने में वे सब असर्मर्थ होते हैं जो भौतिक साधनों के अर्जन संरक्षण द्वारा अपना जीवन चलाना चाहते हैं ।^१

प्रथम स्तर पर हम आसक्ति, तृष्णा आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली अनावश्यक आक्रमणात्मक हिंसा से बचें, फिर दूसरे स्तर पर जीवनयापन एवं आजीविकोपार्जन के निमित्त होनेवाली त्रम हिंमा से विरत हों, तीसरे स्तर पर विरोध के अहिंसक तरोंके को अपनाकर प्रत्याक्रमणात्मक हिंमा से विरत हों । इस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक जैसी हिंसा से भी क्रमशः ऊपर उठते हुए चौथे स्तर पर शरीर और परिग्रह की आसक्ति का परित्याग कर सर्वतोभावेन पूर्ण अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ें ।

इस प्रकार पूर्ण अहिंसा का आदर्श पूर्णतया अव्यवहारिक भी नहीं रहता है । मनुष्य जैसे-जैसे सम्पत्ति और शरीर के मोह से ऊपर उठता जाता है, अहिंसा का आदर्श उसके लिए व्यवहार्य बनता जाता है । पूर्ण अनासक्त जीवन में पूर्ण अहिंसा व्यवहार्य बन जाती है ।

यद्यपि शरीरधारी रहते हुए पूर्ण अहिंसा एक आदर्श ही रहेगी, वह यथार्थ नहीं बन पावेगी। जब शरीर के संरक्षण का मोह समाप्त होगा तभी वह आदर्श यथार्थ की भूमि पर अवतरित होगा। फिर भी एक बात ध्यान में रखनी होगी, वह यह कि जब तक शरीर है और शरीर के संरक्षण की वृत्ति है, चाहे वह साधना के लिए ही क्यों न हो, यह कथमपि सम्भव नहीं है कि व्यक्ति पूर्ण अहिंसा के आदर्श को पूर्णरूपेण साकार कर सके। शरीर के लिए आहार आवश्यक है, कोई भी आहार विना हिंसा के सम्भव नहीं होगा। चाहे हमारा मुनिवर्ण यह कहता भी हो कि हम औदेशिक आहार नहीं लेते हैं किन्तु क्या उनकी विहार-यात्रा में साथ चलनेवाला पूरा लवाजिमा, सेवा में रहने के नाम पर लगनेवाले चौके औदेशिक नहीं हैं? जब समाज में रात्रिभोजन सामान्य हो गया हो, क्या सन्ध्याकालीन गोचरी में अनौदेशिक आहार मिल पाना सम्भव है, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से कलकत्ता तक की सारी यात्राएँ औदेशिक आहार के अभाव में निवृत्ति सम्भव हो सकती हैं? क्या आहंत-प्रवचन की प्रभावना के लिए मन्दिरों का निर्माण, पूजा और प्रतिष्ठा के समारोह, संस्थाओं का संचालन, मुनिजनों के स्वागत और विदाई समारोह तथा संस्थाओं के अधिवेशन पट्टकाय की नवकोटियुक्त अहिंसा के परिपालन के साथ कोई संगति रख सकते हैं? हमें अपनी अन्तरात्मा से यह सब पूछना होगा। हो सकता है कि कुछ विरल सन्त और साधक हों जो इन कसौटियों पर खरे उतरते हों, मैं उनकी बात नहीं कहता, वे शतशः बन्दनीय हैं, किन्तु सामान्य स्थिति क्या है? फिर भिक्षाचर्या, पाद-विहार, शरीर संचालन, श्वासोद्धारास किसमें हिंसा नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, बनस्पति अदि सभी में जीव हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इन्हें नहीं मारता हो, पुनः कितने ही ऐसे मूर्ख प्राणी हैं जो इन्द्रियों से नहीं, अनुमान से जाने जाते हैं, मनुष्य की पलकों के झपकने मात्र से ही जिनके कंधे टूट जाते हैं अतः जीव-हिंसा से बचा नहीं जा सकता। एक और पट्टजीव-निकाय की अवधारणा और दूसरी और नवकोटियुक्त पूर्ण अहिंसा का आदर्श, जीवित रहकर इन दोनों में मंगति बिठा पाना अशक्य है। अतः जैन आचार्यों को भी यह कहना पड़ा कि 'अनेकानेक जीव-ममूहों से परिव्याप्त विश्व में साधक का अहिंसकत्व अन्तर में आघ्यात्मिक विशुद्धि की दृष्टि से ही है' (ओघनिर्युक्ति, ७४३)। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम अहिंसा को अव्यवहार्य मानकर तिलांजलि दे देवें। यद्यपि एक शरीरधारी के नाते यह हमारी विवशता है कि हम इब्य और भाव दोनों अपेक्षा से पूर्ण अहिंसा के आदर्श को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं किंतु उस दिशा में क्रमशः आगे बढ़ सकते हैं और जीवन की पूर्णता के साथ ही पूर्ण अहिंसा के आदर्श को भी उपलब्ध कर सकते हैं। कम से कम हिंसा की दिशा में आगे बढ़ते हुए साधक के लिए जीवन का अन्तिम क्षण अवश्य ही ऐसा है, जब वह पूर्ण अहिंसा के आदर्श को साकार कर सकता है। जैनधर्म की परिमाणिक शब्दावली में कहें तो पादोपगमन

संघारा एवं चौदहवें अयोगी के बाली गुणस्थान की अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें पूर्ण अंहिसा का आदर्श साकार हो जाता है ।

पूर्ण अंहिसा सामाजिक सम्बन्ध में

पुनः अंहिसा की समावना पर हमें न केवल वैयक्तिक दृष्टि से विचार करना है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी विचार करना है । चाहे यह सम्भव भी हो, व्यक्ति शरीर, सम्पत्ति, संघ और समाज से निरपेक्ष होकर पूर्ण अंहिसा के आदर्श को उपलब्ध कर सकता है; फिर भी ऐसी निरपेक्षता किन्हीं विरल साधकों के लिए ही सम्भव होगी, सर्व सामान्य के लिए तो सम्भव नहीं कही जा सकती है । अतः मूल प्रश्न यह है कि क्या सामाजिक जीवन पूर्ण अंहिसा के आदर्श पर लड़ा किया जा सकता है? क्या पूर्ण अंहिसक समाज की रचना सम्भव है? इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं आपसे समाज-रचना के स्वरूप पर कुछ बातें कहना चाहूँगा । एक तो यह कि अंहिसक चेतना अर्थात् संबोद्धनशीलता के अभाव में समाज की कल्पना ही सम्भव नहीं है । समाज जब भी लड़ा होता है आत्मीयता, प्रेम और सहयोग के आधार पर लड़ा होता है अर्थात् अंहिसा के आधार पर लड़ा होता है । क्योंकि हिसा का अर्थ है—धृणा, विद्वेष, आक्रामकता; और जहाँ भी ये वृत्तियाँ बलवती होंगी सामाजिकता की भावना ही समाप्त हो जावेगी, समाज ढह जावेगा । अतः समाज और अंहिसा सहगमी हैं । दूसरे शब्दों में यदि हम मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं तो हमें यह मानना होगा कि अंहिसा उसके लिए स्वाभाविक ही है । जब भी कोई समाज लड़ा होगा और टिकेगा तो वह अंहिसा की भित्ति पर ही लड़ा होगा और टिकेगा । किंतु एक दूसरा पहलू भी है, वह यह कि समाज के लिए भी अपने अस्तित्व और अपने सदस्यों के हितों के संरक्षण का प्रश्न मुख्य है और जहाँ अस्तित्व की सुरक्षा और हितों के संरक्षण का प्रश्न है, वहाँ हिसा अपरिहार्य है । हितों में टकराव स्वाभाविक है, अनेक बार तो एक का हित दूसरे के अहित पर, एक का अस्तित्व दूसरे के दिनांक पर लड़ा होता है, ऐसी स्थिति में समाज-जीवन में भी हिसा अपरिहार्य होगी । पुनः समाज का हित और सदस्य-व्यक्ति का हित भी परस्पर विरोध में हो सकता है । जब वैयक्तिक और सामाजिक हितों के संघर्ष की स्थिति हो तो बहुजन हितार्थ हिसा अपरिहार्य भी हो सकती है । जब समाज या राष्ट्र ता कोई सदस्य या वर्ग अथवा दूसरा राष्ट्र अपने हितों के लिये हिसा पर अथवा अन्याय पर उतारू हो जाये तो निष्पत्ति हो अंहिसा की दुहाई देने से काम न चलेगा । जब तक जैन आचार्यों द्वारा उद्घोषित 'मानव जाति एक है' की कल्पना साकार नहीं हो पाती, जब तक सम्पूर्ण मानव समाज ईमानदारी के साथ अंहिसा के पालन के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, तब तक अंहिसक समाज की बात करना कपोलकल्पना ही कहा जायेगा । जैनागम जिस पूर्ण अंहिसा के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं उसमें भी जब संघ की या संघ के किसी सदस्य की सुरक्षा या अन्याय का प्रश्न आया तो हिसा को स्वीकार करना पड़ा । गणाधिष्ठान

पति चेटक और आचार्य काल्पक के उदाहरण इसके प्रमाण हैं। यहो नहीं, निशीथबूँदि में तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया गया है कि संघ की सुरक्षा के लिए मुनि भी हिंसा का सहारा ले सकता है। ऐसे प्रसंगों में पशु-हिंसा तो क्या मनुष्य को हिंसा भी उचित मान ली गयी है। जब तक मानव समाज का एक भी सदस्य पाशविक प्रवृत्तियों में आस्था रखता है यह सोचना व्यर्थ ही है कि सामुदायिक जीवन में पूर्ण अहिंसा का आदर्श व्यवहार्य बन सकेगा। निशीथबूँदि में अहिंसा के अपवादों को लेकर जो कुछ कहा गया है, उसे चाहे कुछ लोग साधाचार के रूप में सीधे मान्य करना न चाहें हैं; किंतु क्या यह नपुंसकता नहीं होगी जब किसी मुनि संघ के सामने किसी तरही साधी का अपहरण हो रहा हो या उस पर बलात्कार हो रहा हो और वे अहिंसा को दुहाई देते हुए मीठ दर्शक बने रहें? क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? यह बात चाहे हास्यास्पद लगती हो कि अहिंसा को रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है किन्तु व्यावहारिक जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जिनमें अहिंसक संस्कृति की रक्षा के लिए हिंसक वृत्ति अपनानी पड़े। यदि हिंसा में आस्था रखनेवाला कोई समाज किसी अहिंसक समाज को पूरी तरह मिटा देने को तत्पर हो जावे, क्या उस अहिंसक गमाज को अपने अस्तित्व के लिए कोई संवर्धन नहीं करना चाहिए? हिंसा-अहिंसा का प्रश्न निरावैयन्किक प्रश्न नहीं है। जब तक सम्पूर्ण मानव समाज एक साथ अहिंसा को साधना के लिए तत्पर नहीं होता है, किसी एक समाज या राष्ट्र द्वारा कही जानेवाली अहिंसा के आदर्श की बात कोई अर्थ नहीं रखती है। संरक्षणात्मक और सुरक्षात्मक हिंसा समाज-जीवन के लिए अपरिहार्य है। समाज-जीवन में इसे मान्य भी करना ही होगा। इसी प्रकार उद्योग-व्यवसाय और कृषि कार्यों में होनेवाली हिंसा भी समाज-जीवन में बनो ही रहेगी। मानव समाज में मांसाहार एवं तजञ्चन्य हिंसा को समाप्त करने को दिशा में सोचा तो जा सकता है किन्तु उपके लिए कृषि के क्षेत्र में एवं अहिंसक आहार को प्रबुरु उपलब्धि के सम्बन्ध में व्यापक अनुसंधान एवं तरफोंको विकास को आवश्यकता होगी। यद्यपि हमें यह समझ भी लेना होगा कि जब तक मनुष्य को संवेदनशीलता को पशुजगत् तक विकसित नहीं किया जावेगा और मानवीय आहार को सात्विक नहीं बनाया जावेगा मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों पर पूरा नियन्त्रण नहीं होगा। आदर्श अहिंसक समाज की रचना हेतु हमें समाज से आपराधिक प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा और आपराधिक प्रवृत्तियों के नियमन के लिए हमें मानव जाति में संवेदनशीलता, संयम एवं विवेक के तत्वों को विकसित करना होगा।

अहिंसा के सिद्धान्त पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार—अहिंसा के आदर्श को जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराएँ समान रूप से स्वीकार करती हैं। लेकिन यहाँ तक अहिंसा के पूर्ण आदर्श को व्यावहारिक जीवन में उतारने की बात है, तीनों ही परम्पराएँ कुछ अपवादों को स्वीकार कर जीवन के धारण और रक्षण के निमित्त हो जाने वाले जीव-

धात (हिंसा) को हिंसा के रूप में नहीं मानती है। यद्यपि इन अपवादात्मक स्थितियों में भी माधक का राग-द्वेष की वृत्तियों से ऊपर उठ कर अप्रमत्त चेता होना आवश्यक है। इस प्रकार तीनों परम्पराएँ इस सम्बन्ध में भी एकमत हो जाती है कि हिंसा-अहिंसा का प्रश्न मुख्य रूप से आन्तरिक है; बाहु रूप में हिंसा के होने पर भी राग-द्वेष वृत्तियों से ऊपर उठा हुआ अप्रमत्त मनुष्य अहिंसक है, जबकि बाहु रूप में हिंसा नहीं होने पर भी प्रमत्त मनुष्य हिंसक है। तीनों परम्पराएँ इस सम्बन्ध में भी एकमत है कि अपने-अपने शास्त्रों की आज्ञानुसार आचरण करने पर होने वाली हिंसा हिंसा नहीं है।^१

अतः अहिंसा सम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यताओं में सभी आचारदर्शन एकदूसरे के पर्याप्त निकट आ जाते हैं, लेकिन इन आधारों पर यह मान लेना भ्रातीति है कि ध्यावहारिक जीवन में अहिंसा के प्रत्यय का विकास सभी आचारदर्शनों में समान रूप से हुआ है।

अहिंसा के सिद्धान्त की सार्वभीम स्वीकृति के बावजूद भी अहिंसा के अर्थ को लेकर सब धर्मों में एकरूपता नहीं है। हिंसा और अहिंसा के दोनों सीधी गई भेद-भेदों सभी में अलग-अलग हैं। कहीं पशुवध को ही नहीं, नरबलि को भी हिंसा की कोटि में नहीं माना गया है तो कहीं बानस्पतिक हिंसा अर्थात् पेड़-पौधे को पीड़ा देना भी हिंसा माना जाता है। चाहे अहिंसा की अवधारणा उन सबमें समानरूप से उपस्थित हो किन्तु अहिंसक चेतना का विकास उन सबमें समानरूप से नहीं हुआ है। क्या मूसा के 'Thou shalt not kill' के आदेश का वही अर्थ है जो महावीर की 'सम्बेसता न हृतव्या' की शिक्षा का है? यद्यपि हमें यह ध्यान रखना होगा कि अहिंसा के अर्थविकास की यह यात्रा किसी कालक्रम में न होकर मानव जाति की सामाजिक चेतना तथा मानवीय विवेक एवं संबेदनशीलता के विकास के परिणामस्वरूप हुई है। जो व्यक्ति या समाज जीवन के प्रति जितना अधिक संबेदनशील बना उसने अहिंसा के प्रत्यय को उतना ही अधिक ध्यापक अर्थ प्रदान किया। अहिंसा के अर्थ का यह विस्तार भी तीनों रूपों में हुआ है—एक और अहिंसा के अर्थ को ध्यापकता दी गई, तो दूसरी और अहिंसा का विचार अधिक गहन होता चला गया है। एक और स्वजाति और स्वधर्मी मनुष्य की हत्या के निषेध से प्रारंभ होकर षट्जीवनिकाय की हिंसा के निषेध तक इसने अर्थविस्तार पाया है तो दूसरी और प्राणवियोजन के बाहु रूप से द्वेष, दुर्भविना और असावधानी (प्रमाद) के आन्तरिक रूप तक, इसने गहराईयों में प्रवेश किया है। पुनः अहिंसा ने 'हिंसा मत करो' के निषेधात्मक अर्थ से लेकर दया, करुणा, दान, सेवा और सहयोग के विचारक अर्थ तक भी अपनी यात्रा की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा का अर्थविकास त्रि-आयामी (श्री डाइमेन्सनल) है। अतः जब भी हम अहिंसा की अवधारणा को लेकर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो हमें उसके सभी पहलुओं की ओर ध्यान देना होगा।

जैनागमों के संदर्भ में अहिंसा के अर्थ को व्याप्ति को लेकर कोई चर्चा करने के पूर्व हमें यह देख लेना होगा कि अहिंसा को इम अवधारणा ने कहाँ कितना अर्थ पाया है।

यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में अहिंसा का अर्थविस्तार

मूमा ने धार्मिक जीवन के लिए जो दस आदेश प्रभारित किये थे उनमें एक है 'तुम हरया मत करो' किन्तु इम आदेश का अर्थ यहूदी समाज के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जातीय भाई की हिंसा नहीं करने से अधिक नहीं रहा। धर्म के नाम पर तो हम स्वयं पिता को अपने पुत्र की बलि देता हुआ देखते हैं। इस्लाम ने चाहे अल्लाह को 'गहमानुरहीम'—करुणाशील कह कर सम्बोधित किया हो, आर चाहे यह भी मान लिया हो कि सभी जीवधारियों को जीवन उतना ही प्रिय है, जितना तुम्हं अपना है, किन्तु उसमें अल्लाह की इस कशणा का अर्थ स्वधर्मियों तक ही सीमित रहा। इतर मनुष्यों के प्रति इस्लाम आज तक संबेदनशील नहीं बन सका है। पुनः यहूदी और इस्लाम दोनों ही धर्मों में धर्म के नाम पर पशुबलि को सामान्य रूप से आज तक स्वीकृत किया जाता है। इम प्रकार इन धर्मों में मनुष्य की संबेदनशीलता स्वजाति और स्वधर्मी अर्थात् अपनों से अधिक अर्थविस्तार नहीं पा सकी है। इम संबेदनशीलता का अधिक विकास हमें ईसाई धर्म में दिखाई देता है। ईसा शत्रु के प्रति भी करुणाशील होने की बात कहने हैं। वे अहिंसा, करुणा और सेवा के क्षेत्र में अपने और परगणे, स्वधर्मी और विवर्मी, शत्रु और मित्र के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। इम प्रकार उनकी करुणा मध्यूर्ण मानवता के प्रति बरसी है। यह बात अलग है कि मध्ययुग में ईसाईयों ने धर्मके नाम पर खून की होली खेली हो और ईश्वर-पुत्र के आदरणों की अवहेलना की हो किन्तु ऐसा तो हम सभी करने हैं। धर्म के नाम पर पशुबलि की स्वीकृति भी ईसाई धर्म में नहीं देखी जाती है। इम प्रकार उसमें अहिंसा की अवधारणा अधिक व्यापक बनी है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें संवा तथा महयोग के मूल्यों के माध्यम से अहिंसा को एक विश्वायक दिशा भी प्रदान की है। किंतु भी मामान्य जीवन में पशुबलि और मांसाहार के नियेत्र की बात वहाँ नहीं उत्तराई गई है। अतः उसकी अहिंसा की अवधारणा मानवता तक ही सीमित मानी जा सकती है, वह भी ममस्त प्राणी जगत् की पीड़ा के प्रति संबेदनशील नहीं बन सका।

भारतीय चिन्तन में अहिंसा का अर्थ-विस्तार

चाहे वेदों में 'पुमान् पुमांमं परिपातु विश्वतः' (ऋग्वेद, ६.७५.१८) के रूप में एक दूसरे की मुरक्खा की बात कही गई हो अथवा 'मित्रास्याहं चक्षुया सर्वाणि भूतानि समोऽस्मै' (यजुर्वेद, ३६.१८) के रूप में सर्वप्राणियों के प्रति मित्र-भाव की कामना की गई हो किंतु वेदों की यह अंहिंसक चेतना भी मानवजाति तक ही सीमित रही है। मात्र इतना ही नहीं, वेदों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें शत्रु-वर्ग के विनाश के लिए प्रार्थनाएँ भी की गई हैं। यज्ञों में पशुबलि स्वीकृत रही, वेद विहित हिंसा को हिंसा कोटि में नहीं

माना गया। इस प्रकार उनमें धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा को समर्थन ही दिया गया। वेदों में अहिंसा की अवधारणा का अर्थविस्तार उतना ही है जितना कि यहूदी और इस्लाम धर्म में। वैदिक धर्मकी पूर्व-परम्परा में भी अहिंसा का सम्बन्ध मानव जाति तक ही सीमित रहा। 'मा हिस्यात् सर्वभूतानि' का उद्घोष तो हुआ, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वह मानव-प्राणी में अधिक ऊपर नहीं ढठ सका। इतना ही नहीं, एक और पूर्ण अहिंसा के बोलिक आदर्श की बात और दूसरी ओर मांसाहार की लालमा एवं स्वद परम्पराओं के प्रति अंध आस्था ने अपवाद का एक नया आयाम खड़ा किया और कहा गया कि 'वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं है'।^१ श्रमण परम्पराएँ इस दिशा में और आगे आयीं और उन्होंने अहिंसा की व्यावहारिकता का विकास सम्प्र प्राणी-जगत् तक करने का प्रयाम किया और इसी आधार पर वैदिक हिंसा को खुल कर आलोचना की गई। कहा गया कि यदि यूप के छेदन करने से और पशुओं की हत्या करने में और खून का कोचड़ मचाने से ही स्वर्ग मिलता हो तो फिर नक्क में कैसे जाया जावेगा।^२ यदि हनन किया गया पशु स्वर्ग को जाता है तो फिर यजमान अपने माता-पिता की बलि ही क्यों नहीं दे देता?^३ अहिंसक चेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है श्रमण परम्परा में। इसका मुख्य कारण यह था कि गृहस्थ जीवन में रहकर पूर्ण अर्द्धस्व के आदर्श को साकार कर पाना सम्भव नहीं था। जीवनयापन अर्थात् आहार, सुरक्षा आदि के लिए हिंसा आवश्यक तो है ही, अतः उन सभी धर्म परम्पराओं में जो मूलतः निवृत्तिप्रक या संन्यासमार्गीय नहीं थीं, अहिंसा को उतना अर्थविस्तार प्राप्त नहीं हो सका जितना श्रमणधारा या संन्यासमार्गीय परम्परा में सम्भव था। यद्यपि श्रमण परम्पराओं के द्वारा हिंसाप्रक यज्ञ-यागों की आलोचना और मानवीय विवेक एवं संबंदनशीलता के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि वैदिक परम्परा में भी एक और वेदों के पशुहिंसा-प्रक पश्चों का अर्थ अहिंसक रीति से किया जाने लगा (महाभारत के शान्तिपर्व में राजा बहु का आस्थान—अध्याय ३३७-३३८—इसका प्रमाण है) तो दूसरी ओर धार्मिक जीवन के लिए कर्मकाण्ड को अनुपयुक्त मानकर औपनिषदिक धारा के रूप में ज्ञान-मार्ग का और भागवत धर्म के रूप में भक्ति-मार्ग का विकास हुआ। इसमें अहिंसा का अर्थविस्तार सम्पूर्ण प्राणीजगत् अर्थात् त्रिम चीजों की हिंसा के नियेध तक हुआ है। वैदिक परम्परा में संन्यासी को कन्दमूल एवं फल का उपभोग करने की स्वतन्त्रता है। इस प्रकार वहाँ बानस्पतिक हिंसा का विचार उपस्थित नहीं है। फिर भी यह तो सत्य है कि अहिंसक चेतना को सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय श्रमण परम्पराओं को ही है। भारत में ई० पू० ६ठों शताब्दी का जो भी इतिवृत्त हमें प्राप्त होता है उससे ऐसा लगता है कि उस युग में पूर्ण अहिंसा के आदर्श को साकार बनाने में श्रमण सम्प्रदायों में होड़ लगी

१. "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति". २. अभिधान राजेन्द्रकोश, संप्ल ७, पृ० १२२९.

३. भारतीय दर्शन (दत्त एवं चट्टर्जी), पृ० ४३ पर उद्भूत.

हुई थी। कम से कम हिंसा ही आमध्य-जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिमान था। सूत्रकृतांग में आद्विक कुमार की विभिन्न मरणों के श्रमणों से जो चर्चा है उसमें मूल प्रश्न यही है कि कौन सबसे अधिक अहिंसक है (देखिये सूत्रकृतांग, २।६)। त्रस प्राणियों (पशु, पक्षी, कीट-पतंग आदि) की हिंसा तो हिंसा थी ही, किन्तु बानास्पतिक और सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा को भी हिंसा माना जाने लगा था। मात्र इतना ही नहीं, मनसा, वाचा, कर्मणा, और कृत, कारित और अनुमोदित के प्रकारभेदों से नवकोटिक अहिंसा का विचार प्रविष्ट हुआ, अर्थात् मन, वचन और शरीर से हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं और करनेवाले का अनुमोदन भी नहीं करना। बोढ़ और आजीवक परम्परा के श्रमणों ने भी इस नवकोटिक अहिंसा के आदर्श को स्वीकार कर उसके अर्थ को गहनता और व्यापकता प्रदान की। फिर भी बोढ़ परम्परा में षट्जीवनिकाय का विचार उपस्थित नहीं था। बोढ़ भिक्षु नदी-नालों के जल को छानकर उपयोग करते थे। दूसरे उनके यही नवकोटि अहिंसा की यह अवधारणा भी स्वयं की अपेक्षा से थी—दूसरा हमारे निमित्त क्या करता है इसका विचार नहीं किया गया, जब कि जैन परम्परा में श्रमण के निमित्त से की जाने वाली हिंसा का भी विचार किया गया। निर्गम्य परम्परा का कहना था कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम मनसा, वाचा, कर्मणा हिंसा न करें, न करावें और न उसे अनुमोदन दें अपितु यह भी आवश्यक है कि दूसरों को हमारे निमित्त हिंसा करने का अवसर भी नहीं देवें और उनके द्वारा की गई हिंसा में भागीदार न बनें। यही कारण था कि जहाँ बुद्ध और बोढ़ भिक्षु नियन्त्रित भोजन को स्वीकार करते थे वहीं निर्गम्य परम्परा में औद्देशिक आहार भी अग्राह्य माना गया था, क्योंकि उसमें नीमित्तिक हिंसा के दोष की सम्भावना थी। यद्यपि पिटकग्रन्थों में बोढ़ भिक्षु के लिए ऐसा भोजन नियिद्ध माना गया है जिसमें उसके लिए प्राणीहिंसा की गयी हो और वह इस बात को जानता हो या उसने ऐसा सुना हो। फिर भी यह अतिशयोक्ति नहीं है कि अहिंसा को जितना व्यापक अर्थ जैन परम्परा में दिया गया है, उतना अन्यत्र अनु-पलब्ध ही है।

जैन और बोढ़ परम्पराओं में अहिंसा सम्बन्धी जो स्वरूप-मण्डन हुआ, उसके पीछे सेद्वान्तिक मतभेद न होकर उसकी व्यावहारिकता का प्रश्न ही प्रमुख रहा है। पं० सुवलालजी लिखते हैं, दोनों की अहिंसा सम्बन्धी व्याख्या में कोई तात्त्विक मत-भेद नहीं—जैन परम्परा ने नवकोटिक अहिंसा की सूक्ष्म व्यवस्था को अमल में लाने के लिए जो बाहु प्रवृत्ति को विशेष नियन्त्रित किया, वह बोढ़ परम्परा ने नहीं किया। जीवन सम्बन्धी बाहु प्रवृत्तियों के अति नियन्त्रण और मध्यवर्गीय शैथिल्य के प्रबल भेद में से ही बोढ़ और जैन परम्पराएँ आपस में स्वरूप-मण्डन में प्रवृत्त हुईं। जब हम दोनों परम्पराओं के स्वरूप-मण्डन को तटस्थ भाव से देखते हैं तब निःसंकोच कहना पड़ता है कि बहुधा दोनों ने एक-दूसरे को गलत रूप से ही समझा है। इसका एक

उदाहरण मजिस्मनिकाय का उपालिमुत और दूसरा मूलकृतांग का है ।^१

यद्यपि जैन परम्परा ने नवकोटिपूर्ण अहिंसा के पालन पर बल दिया, लेकिन नव-कोटिक अहिंसा के पालन में जब साधु-जीवन के व्यवहारों का सम्पादन एवं संयमी जीवन का रक्षण भी अमम्बव प्रतीत हुआ तो यह स्वीकार किया गया कि शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसा-दोष का अभाव होता है । इसी प्रकार मन्दिर-निर्माण, प्रतिमापूजन, तीर्थयात्रा आदि के प्रसंग पर होनेवाली हिंसा विहित मान ली गयी । परिणाम यह हुआ कि वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है, इस सिद्धान्त के प्रति की गयी उनकी आलोचना स्वयं निर्बल रह गयी । वैदिक पक्ष की ओर से कहा जाने लगा कि यदि तुम कहने हो कि शास्त्रविहित हिंसा हिंसा नहीं है तो फिर हमारी आलोचना कैसे कर सकते हो ?^२ इस प्रकार आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं का एक विशाल साहित्य निर्मित हो गया, जिसका समुचित मूल्यांकन यहाँ सम्भव नहीं है । फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि इस सम्प्रवाद-विवाद में जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में मौलिक रूप से संद्वान्तिक भत्तेद अल्प ही है । प्रमुख प्रश्न व्यवहार का है । व्यावहारिक दृष्टि में जैन और वैदिक परम्पराओं में निम्न अन्तर खोजा जा सकता है—

(१) जैन परम्परा पूर्ण अहिंसा के पालन सम्बन्धी विचार को केवल उन्हीं स्थितियों में शिथिल करती है जिनमें मात्र संयममूलक मुनि-जीवन का अनुरक्षण हो सके, जबकि वैदिक परम्परा में अहिंसा के पालन में उन सभी स्थितियों में शिथिलता की गयी है जिनमें सभी आथ्रम और सभी प्रकार के लोगों के जीवन जीने और अपने कर्तव्यों के पालन का अनुरक्षण हो सके ।

(२) यद्यपि जैन आचार्यों ने संयममूलक जीवन के अनुरक्षण के लिए की गयी हिंसा को हिंसा नहीं माना है, तथापि परम्परा के आग्रही अनेक जैन आचार्यों ने उस हिंसा को हिंसा के रूप में स्वीकार करते हुए, केवल अपवाद रूप में उसका सेवन करने का छूट दी और उसके प्रायशिच्छत का विश्वान भी किया । उनकी दृष्टि में हिंसा, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, हिंसा है । यही कारण है कि आज भी जैन सम्प्रदायों में संयम एवं शरीर-रक्षण के निर्मित भिक्षाचर्या आदि दैनिक व्यवहार में होनेवाली मूल्य हिंसा के लिए भी प्रायशिच्छत का विधान है ।

(३) वैदिक परम्परा में हिंसा धार्मिक अनुष्ठानों का एक अंग मान ली गयी और उनमें होनेवाली हिंसा हिंसा नहीं मानी गयी । यद्यपि जैन-परम्परा में कुछ आचार्यों ने धार्मिक अनुष्ठानों, मन्दिर-निर्माण आदि कार्यों में होनेवाली हिंसा का समर्थन अल्प-हिंसा और बहु-निर्जरा के नाम पर किया, लेकिन जैन-परम्परा में सदैव ही ऐसी मान्यता का

१. दर्शन और चिन्तन, संख्या २, पृ० ४१५.

२. अभिधान राजेन्द्रकोश, संख्या ७, पृ० १२२९.

विरोध किया जाता रहा और जिसकी तीव्र प्रतिक्रियाओं के रूप में दिग्ब्दर सम्प्रदाय में तेरापंथ और तारणपंथ तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय में लोकागच्छ, स्थानकवासी एवं तेरापंथ (श्वेताम्बर आम्नाय) आदि अवान्तर सम्प्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म के नाम पर होनेवाली हिंसा का तीव्र विरोध किया ।

(४) वैदिक परम्परा में जिस धार्मिक हिंसा को हिंसा नहीं माना गया उसका बहुत कुछ सम्बन्ध पशुओं की हिंसा से है, जबकि जैन-परम्परा में मन्दिर-निर्माण आदि के निपित्त से भी जिम हिंसा का समर्थन किया गया, उसका सम्बन्ध मात्र एकेन्द्रिय अथवा स्थावर जीवों से है ।

(५) जैन परम्परा में हिंसा के किसी भी रूप को अपवाद मानकर ही स्वीकार किया गया, जबकि वैदिक परम्परा में हिंसा आचरण का नियम ही बन गयी । जीवन के सामान्य कर्तव्यों जैसे यज, श्राद्ध, देव, गुरु, अतिथि पूजन आदि के निपित्त से भी हिंसा का विभान किया गया है । यद्यपि परवर्ती वैष्णव सम्प्रदायों ने इसका विरोध किया ।

(६) प्राचीन जैन मूल आगमों में संयमी जीवन के अनुग्रहण के लिए ही मात्र अत्यन्त स्थावर हिंसा का समर्थन अपवाद रूप में उपलब्ध है । जबकि वैदिक परम्परा में हिंसा का समर्थन सांसारिक जीवन की पूर्ति तक के लिए किया गया है । जैन-परम्परा भिक्षु के जीवन-निर्वाह की दृष्टि से अपवादों का विचार करती है, जब कि वैदिक परम्परा सामान्य गृहस्थ के जीवन के निर्वाह की दृष्टि से भी अपवाद का विचार करती है ।

अहिंसा का विधायक रूप—जैन धर्म निवृत्तानुलक्षी होने से उसमें अहिंसा का नियेत्रात्मक स्वरूप ही अधिक मिलता है । श्वेताम्बर तेरापंथी जैन समाज तो केवल अहिंगा के नियेध रूप को ही मानता है । अहिंसा के विधायक पक्ष में उसकी आस्था नहीं है । पूर्वकाल के जैन सन्त अहिंसा के इस नियेध पक्ष को ही अधिक प्रस्तुत करते थे, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता । फिर भी जैन सूत्रों में अहिंसा का विधायक पक्ष मिलता है ।

अहिंसा का विधायक पक्ष प्राणियों के हत्याधन में ही निहित है । जैन धर्म की अहिंसा इस रूप में विधायक है । आचारांगसूत्र में तीर्थस्थापना का उद्देश्य ममस्त जगत् के प्राणियों का कल्याण बताया गया है ।^१ इस प्रकार अहिंसा में जीवों के कल्याण-साधन का तथ्य निहित है, जो विधायक अहिंसा का मूल है । इतना ही नहीं, आचारांग-सूत्र में कहा गया है कि समस्त तीर्थंकरों ने 'अहिंसा-धर्म' का प्रबन्धन समस्त लोक के स्वेद को जानकर ही किया है ।^२ 'खयन्नेहि' शब्द के मूल में अहिंसा का विधायक रूप

१. आचारांग, २।१५।६५८.

२. वही, १।४।१२७.

स्पष्ट दोल रहा है। इसमें अंहिसा का उद्देश्य मनुष्य का अपना कल्याण न होकर लोक-कल्याण ही स्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, तीर्थंकर अरिष्टनेमि का विवाहप्रसंग तथा शान्तिनाथ के पूर्व-भव में कवूतर की रक्षा का प्रसंग, ऐसे अनेक प्रसंग जैन कथा-साहित्य में हैं जिनमें अंहिसा का विधायक स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैन-संघों द्वारा संचालित औपधार्य, गोशालाएँ पांजरापोल (पशु-रक्षा गृह) आदि संस्थाएँ भी इम बात के प्रमाण हैं कि जैन-विचारक अंहिसा के विधायक पक्ष को भूले नहीं हैं। पुर्ण के नौ भेदों में अनन्दान, वस्त्रदान, स्थान (आश्रय) दान आदि इसी विधायक पक्ष की पुष्टि करते हैं। विधायक पक्ष का एक और प्रमाण जैन तीर्थंकरों की गृहस्था-वस्ता में मिलता है। सभी तीर्थंकर संन्यास लेने के पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन स्वर्ण-मुद्राएँ याचकों को दान करते हैं।^१ इस प्रकार जैन धर्म अंहिसा के दोनों पक्ष स्वीकार करता है।

बोद्ध एवं वैदिक परम्परा में अंहिसा का विधायक पक्ष

यह निस्सन्देह सत्य है कि बोद्ध और वैदिक परम्पराओं ने अंहिसा को अधिक विधायक स्वरूप प्रदान किया। साधना के साथ सेवा का समन्वय करने में भारतीय धर्मों में बोद्ध धर्म और विशेष रूप से उनकी महायान शास्त्र अग्रणी रही है। यद्यपि जैन धर्म में भी ग्रान, वृद्ध, रोगी, शैक्ष आदि की सेवा का निर्देश है, मात्र यही नहीं मुनियों की सेवा को गृहस्थ धर्म का अनिवार्य अग मान लिया गया है फिर भी मानवता के लिए सेवा और करणा का जो विस्फोट जैन धर्म में होना चाहिए या वह न हो सका। अंहिसा और अनासक्ति की जो सूक्ष्म व्याख्याएँ की गईं, वे ही इस मार्ग में सबसे बाधक बन गईं। असंयती की सेवा को और रागात्मक सेवा को अनैतिक माना गया। यही कारण था कि जहाँ हम बोद्ध भिक्षुओं और ईसाई पादरियों को सेवा के प्रति जितना तत्पर पाते हैं, उतना जैन भिक्षु संघ को नहीं। जैन भिक्षु अपने सहवर्गी के अतिरिक्त अन्य की सेवा नहीं कर सकता। जबकि बोद्ध भिक्षु प्राचीन काल से ही पीड़ित एवं दुःखित वर्ग की सेवा करता रहा है।

हिन्दू परम्परा में सेवा, अतिथिसस्कार, देवऋण, पितृऋण, गुरुऋण तथा लोकसंग्रह की अवधारणाएँ अंहिसा के विधायक पक्ष को स्पष्ट कर देती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि सैद्धान्तिक रूप में जैन मुनिवर्ग की अंहिसा निषेधात्मक अधिक रही। किन्तु जहाँ तक व्यावहारिक जीवन का प्रश्न है—जैन गृहस्थ समाज एवं लोकसेवा के कार्यों से किसी भी युग में पीछे नहीं रहा है। आज भी भारत में जैन समाज द्वारा जितनी लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ चल

१. आचारांग, द्वितीय श्रुतस्कंच, अ० १५।१७९ मूल एवं टीका।

रही है, वे आनुपातिक दृष्टि से किसी भी अन्य समाज से कम नहीं है। यही उसकी अहिंसा की विचारात्मक दृष्टि का प्रमाण है।

हिंसा के अल्प-बहुत्व का विचार—हिंसा और अहिंसा का विचार हमारे सामने एक समस्या यह भी प्रस्तुत करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में जब एक की रक्षा के लिए दूसरे की हिंसा अनिवार्य हो—अथवा दो अनिवार्य हिंसाओं में से एक का चयन आवश्यक हो, तो मनुष्य क्या करे? इस प्रश्न को लेकर तेरापंथी जैन सम्प्रदाय का जनानों के दूसरे सम्प्रदायों से मतभेद है। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तटस्थ रहना चाहिए। दूसरे सम्प्रदाय ऐसी स्थिति में हिंसा के अल्प-बहुत्व का विचार करते हैं। मान लोजिए, एक आदमी प्यासा है, यदि उसे पानी नहीं पिलाया जाय तो उसका प्राणांत हो जायेगा; दूसरी ओर, उसे पानी पिलाने में पानी के जीवों (अपकाय-जीवों) की हिंसा होती है। इसी प्रकार, एक व्यक्ति के शरीर में कोड़े पढ़ गये हैं, अब यदि डाक्टर उसे बचाता है तो कीड़ों की हिंसा होती है और कीड़ों को बचाता है तो आदमी की मृत्यु होती है। अथवा प्रसूति की अवस्था में माँ और शिशु में से किसी एक के जीवन की ही रक्षा की जा सकती हो तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाय? अहिंसा का सिद्धान्त ऐसी स्थिति में क्या निर्देश करता है?

पंडित सुखलालजी ने यह माना है कि वध्य जीवों का कद, उनकी संख्या तथा उनकी इन्द्रिय आदि के तारतम्य पर हिंसा के दोष का तारतम्य अवलम्बित नहीं है; किन्तु हिंसक के परिणाम या वृत्ति की तीव्रता-मंदता, सज्जानता-अज्जानता या बलप्रयोग की न्यूनाधिकता पर अवलम्बित है।^१ यद्यपि हिंसा के दोष की तीव्रता या मंदता हिंसक की मानसिक वृत्ति पर निर्भर है, तथापि इस आधार पर इन प्रश्नों का ठीक समाधान नहीं मिलता। इन प्रश्नों के हल के लिए हमें हिंसा के अल्प-बहुत्व का कोई वास्तु आधार ढूँढ़ना होगा।

जैन परम्परा में परम्परागत रूप से यह विचार स्वीकृत रहा है कि ऐसी स्थितियों में हमें प्राण-शक्तियों या इन्द्रियों की संख्या एवं आध्यात्मिक विकास के आधार पर ही हिंसा के अल्प-बहुत्व का निर्णय करना चाहिए। इस सारी विवक्षा में जीवों की संख्या को सदैव ही गौण माना गया है। महत्व जीवों की संख्या का नहीं, उनकी ऐन्ड्रिक एवं आध्यात्मिक विकास-क्षमता का है। सूत्रकृतांग में हस्तितापसों का वर्णन है, जो एक हाथी की हत्या करके उसके मौस से एक वर्ष तक निर्वाह करते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि अनेक स्थावर जीवों की हिंसा की अपेक्षा एक त्रिम जीव की हिंसा से निर्वाह कर लेना अल्प पाप है, लेकिन जैन विचारकों ने इस धारणा को अनुचित ही माना।^२

भगवतीसूत्र में स्पष्ट ही कहा गया है कि यद्यपि सभी जीवों में आत्माएँ समान

१. दर्शन और चिन्तन, संख्या २, पृष्ठ ६०.

२. सूत्रकृतांग, २१६५३-५४.

है, ^१ तथापि प्राणियों की ऐन्द्रिक क्षमता एवं आध्यात्मिक विकास के आधार पर हिंसा-दोष की तीव्रता आवाहित होती है। एक त्रै जीव को हिंसा करता हुआ मनुष्य तत्सम्बन्धित अनेक जीवों की हिंसा करता है। ^२ एक अहिंसक ऋषि की हत्या करने वाला एक प्रकार से अनन्त जीवों की हिंसा करने वाला होता है। ^३ इस प्रकार यह भिन्न होता है कि स्थावर जीवों का अपेक्षा त्रै जीवों का और त्रै जीवों में पंचेन्द्रिय की, पंचेन्द्रियों में भी मनुष्य को और मनुष्यों में भी ऋषि की हिंसा अधिक निष्कृष्ट है। इतना ही नहीं, त्रै जीव की हिंसा करनेवाले को अनेक जीवों की हिंसा का और ऋषि की हिंसा करनेवाले को अनन्त जीवों की हिंसा का करनेवाला बता कर शास्त्रकार ने यह स्पष्ट निर्देश किया है कि हिंसा-अहिंसा के विचार में संख्या का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्राणी की ऐन्द्रिक एवं आध्यात्मिक विकास क्षमता।

जब अपरिहार्य बन गई दो हिंसाओं में किसी एक को चुनना अनिवार्य हो तो हमें अल्प-हिंसा को चुनना होगा। किन्तु कौन-सी हिंसा अल्प-हिंसा होगी यह निर्णय देश, काल, परिस्थिति आदि अनेक बातों पर निर्भर करेगा। यहाँ हमें जीवन की मूल्यवत्ता को भी आँकना होगा। जीवन की यह मूल्यवत्ता दो बातों पर निर्भर करती है—
 (१) प्राणी का ऐन्द्रिक एवं आध्यात्मिक विकास और (२) उसकी सामाजिक उपयोगिता। सामान्यतया मनुष्य का जीवन अधिक मूल्यवान है और मनुष्यों में भी एक मन्त का, किन्तु किसी परिस्थिति में किसी मनुष्य की अपेक्षा किसी पशु का जीवन भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। संभवतः हिंसा-अहिंसा के विवेक में जीवन की मूल्यवत्ता का यह विचार हमारी दृष्टि में उपेक्षित ही रहा, यही कारण था कि हम चौटियों के प्रति तो संबेदनशील बन सके किन्तु मनुष्य के प्रति निर्भर ही बने रहे। आज हमें अपनी संबेदनशीलता को मोड़ना है और मानवता के प्रति अहिंसा को सकारात्मक बनाना है। यह आवश्यक है कि हम अपरिहार्य हिंसा को हिंसा के रूप में समझते रहें, अन्यथा हमारा करुणा का स्रोत सूख जावेगा। विवशता में चाहे हमें हिंसा करनी पड़े, किन्तु उसके प्रति आत्मग्रानि और हिंसित के प्रति करुणा की धारा सूखने नहीं पावे, अन्यथा वह हिंसा हमारे स्वभाव का अंग बन जावेगी जैसे—कसाई बालक में। हिंसा-अहिंसा के विवेक का मुख्य आधार मात्र यही नहीं है कि हमारा हृदय कपाय से मुक्त हो, किन्तु यह भी है कि हमारी संबेदनशीलता जागृत रहे, हृदय में दया और करुणा की धारा प्रवाहित होती रहे। हमें अहिंसा को हृदय-शून्य नहीं बनाना है। क्योंकि यदि हमारी संबेदनशीलता जागृत बनी रही तो निश्चय ही हम जीवन में हिंसा

१. भगवतोसूत्र, ७।८।१०२.

२. वही, १।३।४।१०६.

३. वही, १।३।४।१०७.

की मात्रा को अल्पतम करते हुए पूर्ण अर्हिसा के आदर्श को उपलब्ध करेंगे, साथ ही वह हमारी अर्हिसा विचार्यक बनकर मानव समाज में सेवा की गंगा भी बहा सकेगी।

अनाग्रह (वैचारिक सहिष्णुता)

जैन धर्म में अनाग्रह

जैन दर्शन के अनेकांतवाद का परिणाम सामाजिक नैतिकता के क्षेत्र में वैचारिक सहिष्णुता है। अनाग्रह का सिद्धान्त सामाजिक दृष्टि से वैचारिक अर्हिसा है। अनाग्रह अपने विचारों की तरह दूसरे के विचारों का सम्मान करना सिखाता है। वह उस आन्ति का निराकरण करता है कि सत्य भेरे ही पास है, दूसरे के पास नहीं हो सकता। वह हमें यह बताता है कि सत्य हमारे पास भी हो सकता है और दूसरे के पास भी। सत्य का बोध हमें ही हो सकता है, किन्तु दूसरों को सत्य का बोध नहा हो सकता—यह कहने का हमें अधिकार नहीं है। सत्य का सूर्य न केवल हमारे घर बो प्रकाशित करता है वरन् दूसरों के घरों को भी प्रकाशित करता है। वस्तुतः वह सर्वत्र प्रकाशित है। जो भी उन्मुक्त दृष्टि से उसे देख पाता है, वह उसे पा जाता है। सत्य केवल सत्य है, वह न मेरा है और न दूसरे का है। जिस प्रकार अर्हिसा का मिद्दान्त कहता है कि जीवन जहाँ कहीं हो, उसका सम्मान करना चाहिए, उमा प्रकार अनाग्रह का मिद्दान्त कहता है कि सत्य जहाँ भी हो, उसका मम्मान करना चाहिए। जैनाचार्य हरिभद्र कहते हैं कि जो स्वार्थ वृत्ति से ऊपर उठ गया है, जो लोकहृत में निरत है जो विवर स्वरूप का जाता है और जिसका चर्गित निर्मल और अद्वितीय है, वह चाहे जहाँ हो, विष्णु हो, हरि हो, शंकर हो, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। मुझे न जिन के वचनों का पक्षाग्रह है और न कपिल आदि के वचनों के प्रति द्वेष, युक्तिपूर्ण वचन जो भी हो, वह मुझे ग्राह्य है।^१

वस्तुतः पक्षाग्रह की धारणा से विवाद का जन्म होता है। व्यक्ति जब स्व-मत की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करता है, तो परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन में संघर्ष का प्रादुर्भाव हो जाता है। वैचारिक आग्रह न केवल वैयक्तिक नैतिक विकास को कुप्रिष्ठ करता है, वरन् सामाजिक जीवन में विग्रह, विपाद और वैमनस्य के बोज बो देता है। सूत्रकृतांग में कहा गया है कि जो अपने-अपने मत की प्रशंसा और दूसरे मत की निन्दा करने में ही अपना पाण्डित्य दिखाने हैं और लोक को सत्य से भटकाने हैं वे एकान्तवादी स्वयं संसारचक्र में भटकने रहते हैं।^२ वैचारिक आग्रह मतवाद या पक्ष को जन्म देता है

१. लोकतत्त्व निर्णय १।३७, ३८.

२. सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वयं।

जे उ तत्य विउस्सन्ति संसारे ते विउस्सिया ॥—सूत्रकृतांग १।१२।२३.

और उससे राग-द्वेष की बुद्धि होती है। आचारांगचूर्णि में कहा गया है कि प्रत्येक 'बाद' राग-द्वेष की बुद्धि करनेवाला है और जब तक राग-द्वेष है, तब तक मुक्ति भी सम्भव नहीं। इसप्रकार जैनाचार्यों की दृष्टि में नैतिक पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वैचारिक आश्रह का परिस्थाग कर जीवनदृष्टि को अनाग्रहमय बनाना आवश्यक माना गया है।

जैन दर्शन के अनुसार एकान्त और आश्रह मिथ्यात्व है क्योंकि वे सत्य के अनन्त पक्षों का अपलाप करते हैं। जैन तत्त्वज्ञान में प्रत्येक सत्ता अनन्त गुणों का समूह मानी गयी है—अनन्तधर्मात्मकं वस्तुः। एकान्त उसमें से एक का ही ग्रहण करता है। इतना ही नहीं, वह एक के ग्रहण के साथ अन्य का निषेच भी करता है, उसकी भाषा में सत्य 'इतना' ही है, मात्र यही सत्य है। इस प्रकार एक और वह अनन्त सत्य के अनेकानेक पक्षों का अपलाप करता है। दूसरी ओर वह मनुष्य के ज्ञान को कुण्ठित एवं सीमित करता है। आश्रह की उपस्थिति में अनन्त सत्य को जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती, तो फिर सत्य या परमार्थ का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। यदि कुएँ का मेंढक कुएँ को ही समुद्र समझने लग जाय तो न तो कोई उसे उसके मिथ्याज्ञान से उबार सकता है और न उसे अथाह जलराशि का दर्शन करा सकता है। यही स्थिति एकान्त या आश्रह-बुद्धि की है जिसमें न तो तत्त्व का यथार्थज्ञान होता है और न तत्त्व-साक्षात्कार ही होता है।

जैन विचारधारा के अनुसार मिथ्याज्ञान किसी असत् या अनस्तित्ववान् तत्त्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो असत् है, मिथ्या है, उसका ज्ञान कैसे होगा? जैन दर्शन के अनुसार सारा ज्ञान सत्य है, शर्त यही है कि उसमें एकान्तवादिता या आश्रह न हो। एकान्त सत्य के अनन्त पहलुओं को आवृत्त कर अंश को ही पूर्ण के रूप में प्रकट करता है और इस प्रकार अंश को पूर्ण बताकर व्यक्ति के ज्ञान को मिथ्या बना देता है। साथ-ही आश्रह अपने में निहित छ्य राग से सत्य को रंगीन कर देता है। इस प्रकार एकान्त या आश्रह तत्त्व-साक्षात्कार या आत्म-साक्षात्कार में बाधक है। जैन दर्शन के अनुसार तत्त्व, परमार्थ या आत्मा पक्षातिक्रान्त है, अतः पक्ष या आश्रह के माध्यम से उसे नहीं पाया जा सकता। वह तो परन्तु सत्य है, आश्रहबुद्धि उसे नहीं देख सकती। विचार या दृष्टि जब तक पक्ष, मत या वादों से अनावृत नहीं होती, सत्य भी उसके लिए अनावृत नहीं होता। जब तक आखों पर राग-द्वेष, आसक्ति दा आश्रह का रंगीन चश्मा है, अनावृत सत्य का साक्षात्कार सम्भव नहीं।

दूसरे, आश्रह स्वयं एक बन्धन है। वह वैचारिक आसक्ति है। विचारों का परिप्रह है। आसक्ति या परिप्रह चाहे पदार्थों का हो या विचारों का, वह निश्चित ही बन्धन

है। आग्रह विचारों का बन्धन है और अनाप्रह वैचारिक मुक्ति। विचार में जब तक आग्रह है, तब तक पक्ष रहेगा। यदि पक्ष रहेगा, तो उसका प्रतिपक्ष भी होगा। पक्ष-प्रतिपक्ष, यही विचारों का संसार है, इसमें ही वैचारिक संघर्ष, साम्प्रदायिकता और वैचारिक मनोमालिन्य पनपते हैं। जैनाचार्यों ने कहा है कि वचन के जितने विकल्प हैं उतने ही नयवाद (दृष्टिकोण) हैं और जितने नयवाद, दृष्टिकोण या अभिव्यक्ति के ढंग हैं उतने ही मत-मतान्तर (पर-समय) हैं। व्यक्ति जब तक पर-समय (मत-मता-न्तरों) में होता है तब तक स्व-समय (पक्षातिक्रान्त विशुद्ध आत्मतत्त्व) की प्राप्ति नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि जिन आग्रह का परित्याग किये मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पक्ष का आश्रय लेने में नहीं, वरन् पक्षातिक्रान्त अवस्था को प्राप्त करने में है। वस्तुतः जहाँ भी आग्रहबुद्धि होगी, विपक्ष में निहित मत्य का दर्शन सम्भव नहीं होगा और जो विपक्ष में निहित सत्य नहीं देखेगा वह सम्पूर्ण सत्य का दृष्टा नहीं होगा।

भगवान् महावीर ने बताया कि आग्रह ही सत्य का बाधक तत्त्व है। आग्रह राग है और जहाँ राग है वहाँ सम्पूर्ण सत्य का दर्शन संभव नहीं। सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान या केवलज्ञान केवल अनाग्रही को ही हो सकता है। भगवान् महावीर के प्रथम शिष्य एवं अन्तर्वासी गीतम के जीवन की घटना इमकी प्रत्यक्ष साक्ष्य है। गीतम को महार्वीर के जीवनकाल में कैवल्य की उपलब्धि नहीं हो गकी। गीतम के केवलज्ञान में आखिर कौन सा तथ्य बाधक बन रहा था? महावीर ने स्वयं इसका समाचार दिया था। उन्होंने गीतम में कहा था, “गीतम! तेरा मेरे प्रति जो ममत्व है, रगात्मकता है, वही तेरे केवलज्ञान (पूर्णज्ञान) का बाधक है।” महावीर की स्पष्ट घोषणा थी कि सत्य का भस्त्रपूर्ण दर्शन आग्रह के धेरे में खड़े होकर नहीं किया जा सकता। सत्य तो सर्वत्र उपस्थित है केवल हमारी आग्रहयुक्त या मतांधदृष्टि उसे देख नहीं पाती है और यदि देखती है, तो उसे अपने दृष्टिगग्न में दगित करके ही। आग्रह या दृष्टिराग से वही सत्य असत्य बन जाता है। अनाग्रह या समदृष्टित्व में वही सत्य के रूप में प्रकट हो जाता है। अतः महावीर ने कहा, यदि सत्य को पाना है तो अनाग्रहीं या मतावादों के धेरे में क्षपर उठो, दोषदर्शन की दृष्टि को छोड़कर मत्यान्वेषी बनो। मन्य कभी मेरा या पराया नहीं होता है। सत्य तो स्वयं भगवान् है (सच्चं खलु भगवं)। वह तो सर्वत्र है। दूसरों के सत्यों को झुठलाकर हम सत्य को नहीं पा सकते हैं। मन्य विवाद में नहीं, ममन्वय में प्रकट होता है।

सत्य का दर्शन केवल अनाग्रही को ही हो सकता है। जैन धर्म के अनुमान सत्य का प्रकटन आग्रह में नहीं, अनाग्रह में होता है। सत्य का साधक वीतगाम और अनाग्रही होता है। जैन धर्म अपने अनेकान्त के मिद्धान्त के द्वारा एक अनाग्रही एवं समन्वयान्त्रक दृष्टि प्रस्तुत करता है, ताकि वैचारिक असहिष्णुता को समाप्त किया जा सके।

बौद्ध आचार-दर्शन में वैचारिक अनाप्रह

बौद्ध आचारदर्शन में मध्यम मार्ग की धारणा अनेकान्तवाद की विचारसंरणी का ही एक स्वप्न है। इसी मध्यम मार्ग से वैचारिक धेन्ह में अनाप्रह की धारणा का विकास हुआ है। बौद्ध विचारकों ने भी सत्य को अनेक पहलुओं से युक्त देखा और यह माना कि मन्य को अनेक पहलुओं के माध्य देखना ही विद्वता है। घेरगाथा में कहा गया है कि जो मन्य का एक ही पहलू देखता है, वह मूर्ख है।^१ पण्डित तो सत्य को सी (अनेक) पहलुओं से देखता है। वैचारिक आप्रह और विवाद का जन्म एकांगी दृष्टिकोण से होता है, एकांगदर्शी ही आपस में झगड़ने हैं और विवाद में उलझते हैं।^२

बौद्ध विचारधारा के अनुमार आप्रह, पक्ष या एकांगी दृष्टि राग के ही रूप हैं। जो इस प्रकार के दृष्टि-राग में रत होता है, वह जगत् में कलह और विवाद का सृजन करता है, और स्वयं भी आसक्ति के कारण बन्धन में पड़ा रहता है। इसके विपरीत जो मनुष्य दृष्टि, पक्ष या आप्रह से ऊपर उठ जाता है, वह न तो विवाद में पड़ता है और न बन्धन में। बुद्ध के निम्न शब्द बड़े मर्मसारी हैं, “जो अपनी दृष्टि से दृढ़ाप्रही हो दूसरे को मर्व बताता है, दूसरे धर्म को मृर्व और अशुद्ध बतानेवाला वह स्वयं कलह का काह्वान करता है। किमी धारणा पर स्थित हो, उसके द्वाग वह संसार में विवाद उत्पन्न करता है। जो सभी धारणाओं को त्याग देता है, वह मनुष्य संसार में कलह नहीं करता।^३

मैं विवाद के दो फल बताता हूँ। एक, यह अपूर्ण या एकांगी होता है; दूसरे, वह विग्रह या अशान्ति का कारण होता है। निर्वाण को निविवाद भूमि समझनेवाले यह भी देखकर विवाद न करें। माधारण मनुष्यों की जो कुछ दृष्टियाँ हैं, पण्डित इन सब में नहीं पड़ता। दृष्टि और श्रुति को ग्रहण न करनेवाला, आसक्तिरहित वह क्या ग्रहण करे। (लोग) अपने धर्म को परिपूर्ण बताते हैं और दूसरे के धर्म को हीन बताते हैं। इस प्रकार भिन्न मत वाले ही विवाद करते हैं और अपनी धारणा को सत्य बताते हैं। यदि कोई दूसरे की अवज्ञा (निन्दा) से हीन हो जाय तो धर्मों में श्रेष्ठ नहीं होता। जो किसी वाद में आसक्त है, वह शुद्धि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह किसी दृष्टि को मानता है। विवेकी ब्राह्मण तृष्णा-दृष्टि में नहीं पड़ता। वह तृष्णा-दृष्टि का अनुसरण नहीं करता। मूल इस संसार में चन्द्रियों को छोड़कर वादियों में पक्षपाती नहीं होता। अशान्तों में शान्त वह जिसे अन्य लोग ग्रहण करते हैं उसकी उपेक्षा करता है। वाद में अनासक्त, दृष्टियों से पूर्ण रूप से मुक्त वह धीर संसार में लिप्त नहीं होता। जो कुछ दृष्टि, श्रुति या विचार है, उन सब पर वह विजयी है। पूर्ण रूप से मुक्त, मारन्त्यकृत

१. घेरगाथा, ११०६.

२. उदान, ६४.

३. मुत्तनिपात, ५०१६-१७.

वह संस्कार, उपरति तथा तृष्णा-रहित है।^१

इतना ही नहीं, बुद्ध सदाचरण और आध्यात्मिक विकास के लेने में इस प्रकार के बाद-विवाद या वाचिकाम या आग्रह-वृत्ति को अनुपयुक्त समझते हैं। उनकी दृष्टि में यह पक्षाग्रह या बाद-विवाद निर्वाण-मार्ग के परिक का कार्य नहीं है। यह तो मल्लविद्या है—राजभाजन में पुनः पहलवान की तरह (प्रतिवादी के लिए) ललकारने वाले वादी का उम जैसे वादी के पास भेजना चाहिए क्योंकि मुक्त पुरुषों के पास विवादरूपी युद्ध के लिए कोई कारण ही नहीं रहता। जो किसी दृष्टि को ग्रहण कर विवाद करते हैं और अपने मत को ही सत्य बताते हैं उनसे कहना चाहिए कि विवाद उत्पन्न होने पर तुम्हारे माय वहम करने का यहाँ कोई नहीं है।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध दर्शन वैचारिक अनाग्रह पर जैन दर्शन के समान ही जोर देता है बुद्ध ने भी महावीर के समान ही दृष्टिगति को अनुपयुक्त माना है और बताया कि सत्य का ममूर्ण प्रकटन वहीं होता है, जहाँ मार्गी दृष्टियाँ गुन्न हो जाती हैं। यह भी एक विचित्र मंयोग है कि महावीर के अनेवासी इन्द्रभूति के समान ही बुद्ध के अनेवासी आनन्द का भी बुद्ध के जीवन काल में अहंत् पद प्राप्त नहीं हो सका। समझते: यहाँ भी यही मानना होगा कि शास्त्र के प्रति आनन्द का जो दृष्टिगति था, वही उसके अहंत् होने में बाधा था। इस गम्भीर में दानों धर्मी के निष्कर्ष समान प्रतीत होते हैं।

गीता में अनाग्रह

वैदिक परमार्थ में भी अनाग्रह का ममुचित महत्व और स्थान है। गीता के अनु-सार आग्रह की वृत्ति आमुरो वृत्ति है। श्रोकृष्ण रहने हैं कि आमुरो स्वभाव के लोग इम्मं भान और मद में युक्त होकर किसी प्रशार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय ले अज्ञान में मिथ्या मिदान्तों को ग्रहण करके ऋष्ट आचरणों से युक्त हो संग्राम में प्रवृत्ति करने रहते हैं।^३ इतना ही नहीं, आग्रह का प्रत्यय तप, ज्ञान और धारणा नभी को विकृत कर देता है। गीता में आग्रहयुक्त तप को तामस तप और आग्रहयुक्त धारणा को तामस धारणा कहा है।^४ आचार्य शंकर तो जैन परमार्थ के समान वैचारिक आग्रह को मुक्ति में बाधक मानते हैं। विवेकचूडामणि में वे कहते हैं कि विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिता, शास्त्र-व्याख्यान की पदुता और विद्वत्ता यह मद भोग का ही कारण हो सकते हैं, मोक्ष का नहीं।^५ शब्दजाल वित्त को भटकाने वाला एक महात् वन है। वह चित्तभ्रान्ति का ही कारण है। आचार्य विभिन्न मत-मतान्तरों से युक्त शास्त्राध्ययन को भी निरर्थक मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि परमतत्त्व का अनुभव नहीं किया तो शास्त्राध्ययन निफल है और यदि परमतत्त्व का ज्ञान हो गया तो शास्त्राध्ययन अनावश्यक

१. मुलनिपात, ५१३, ३, १०, ११, १६-२०.

२. वही, ४६८-९.

३. गीता, १६-१०.

४. वही, १७।१९, १८।३५.

५ विवेकचूडामणि, ६०.

६. वही, ६२.

है।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शंकर की दृष्टि में वैचारिक आश्रह दा दार्शनिक मान्यताएँ आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अधिक मूल्य नहीं रखती। वैदिक नीति-वेत्ता शुक्राचार्य आश्रह को अनुचित और मूर्खता का कारण मानते हुए कहते हैं कि अत्यन्त आश्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि अति सब जगह नाश का कारण है। अत्यन्त दान से दरिद्रता, अत्यन्त लोभ से तिरस्कार और अत्यन्त आश्रह से मनुष्य की मूर्खता परिलक्षित होती है।^२ वर्तमान युग में महात्मा गांधी ने भी वैचारिक आश्रह को अनैतिक माना और सर्वधर्म समझाव के स्पृष्ट में वैचारिक अनाश्रह पर जोर दिया। वस्तुतः आश्रह सत्य का होना चाहिए, विचारों का नहीं। सत्य का आश्रह तभी हो सकता है जब हम अपने वैचारिक आश्रहों से ऊपर उठें। महात्माजी ने सत्य के आश्रह को तो स्वीकार किया, लेकिन वैचारिक आश्रहों को वभी स्वीकार नहीं किया। उनका सर्वधर्म समझाव का सिद्धान्त इसका ज्वलन्त प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीन, बौद्ध और वैदिक तीनों ही परम्पराओं में अनाश्रह को सामाजिक जीवन की दृष्टि से सदैव महत्व दिया जाता रहा है, क्योंकि वैचारिक संघर्षों में समाज को बचाने का एकमात्र मार्ग अनाश्रह ही है।

वैचारिक सहिष्णुता का आधार—अनाश्रह (अनेकान्त दृष्टि)

जिस प्रकार भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के काल में वैचारिक संघर्ष उपस्थित थे और प्रत्येक मतवादी अपने को सम्यक्दृष्टि और दूसरे को मिथ्यादृष्टि कह रहा था, उसी प्रकार वर्तमान युग में भी दैर्घ्यारक संघर्ष अपनी चरम सीमा पर है। सिद्धान्तों के नाम पर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद की दीवारें लीची जा रही हैं। कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं राजनीतिक बाद के नाम पर एकदूसरे के विरुद्ध विषयमन किया जा रहा है। धार्मिक एवं राजनीतिक साम्प्रदायिकता जनता के मानस को उन्मादी बना रही है। प्रत्येक धर्मबाद या राजनीतिक बाद अपनी सत्यता का दावा कर रहा है और दूसरे को भ्रान्त बता रहा है। इस धार्मिक एवं राजनीतिक उन्माद एवं असहिष्णुता के कारण मानव मानव के रखत का प्यासा बना हुआ है। आज प्रत्येक राष्ट्र का एवं विश्व का बातावरण तनावपूर्ण एवं विषुवृद्ध है। एक और प्रत्येक राष्ट्र की राजनीतिक पार्टियाँ या धार्मिक सम्प्रदाय उसके आन्तरिक बातावरण को विस्तृत एवं जनता के पारस्परिक सन्बन्धों को तनावपूर्ण बनाये हुए हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्र स्वयं भी अपने को किसी एक निष्ठा से सम्बन्धित कर गुट बना रहे हैं। और इस प्रकार विश्व के बातावरण को तनावपूर्ण एवं विषुवृद्ध बना रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं यह वैचारिक असहिष्णुता, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन को विषाज्जन बना रही है। पुरानी और नई पीढ़ी के वैचारिक विरोध के कारण आज समाज और परिवार का बातावरण भी अशान्त और कलहपूर्ण हो रहा है। वैचारिक आश्रह और मतांधता के इस युग में एक

ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो लोगों को आप्रह और मतान्धता से ऊपर उठने के लिए दिशा-निर्देश दे सके। भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर दो ऐसे भग्नपुरुष हैं जिन्होंने इस वैचारिक अपहिष्णुता की विवरणकारी शक्ति को समझा था और उससे बचने का निर्देश दिया था। वर्तमान में भी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो वैचारिक संघर्ष और तनाव उपस्थित है उनका सम्यक् समाधान इन्हीं महापुरुषों की विचार सरणी के द्वारा कोआ जा सकता है। आज हमें विचार करना होगा कि बुद्ध और महावीर को अनाप्रह दृष्टि के द्वारा किस प्रकार धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सहिष्णुता का विकसित किया जा सकता है।

धार्मिक सहिष्णुता

मभो धर्म-माध्यना पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य राग, आसक्ति, अहं एवं तृष्णा की समाप्ति रहा है। जैन धर्म को माध्यना का लक्ष्य यीतरागता है, तो बौद्ध धर्म का साधना-लक्ष्य बोतनृण होना माना गया है। वहाँ वेशान्त में अहं और आसक्ति से ऊपर उठना ही मानव का माध्य बताया गया है। लेकिन क्या आप्रह वैचारिक राग, वैचारिक आमन्ति, वैचारिक तृष्णा अथवा वैचारिक अहं का ही रूप नहीं है? और जब तक वह उपस्थित है धार्मिक माध्यना के भेत्र में लक्ष्य की सिद्धि कैसे होगी? पुनः जिन साधना पद्धतियों में अहिंसा के आदर्श को स्वीकार किया गया उनके लिए आप्रह या एकान्त वैचारिक हिमा का प्रतीक भी बन जाता है। एक और माध्यना के वैयक्तिक पहलू की दृष्टि में मनाप्रह वैचारिक आमक्षित या राग का ही रूप है तो दूसरी ओर साधना के सामाजिक पहलू की दृष्टि में वह वैचारिक हिमा है। वैचारिक आसक्ति और वैचारिक हिमा से मुक्ति के लिए धार्मिक भेत्र में अनाप्रह और अनेकान्त को साधना अपेक्षित है। वस्तुतः धर्म का आविर्भाव मानव जाति में शान्ति और अमहरोग के विस्तार के लिए हुआ था। धर्म मनुष्य को मनुष्य मनुष्य मनुष्य में विषेद की दीवारें खोच रहा है। धार्मिक मतान्धता में हिमा, मंधर्य, छल, छद्म, अन्याय, अन्याचार क्या नहीं हो रहा है? क्या वस्तुतः इमका कारण धर्म हो सकता है? इमका उत्तर निश्चित रूप में 'ही' में नहीं दिया जा सकता। यथार्थ में 'धर्म' नहीं, किन्तु धर्म का आवरण डालकर मानव की महत्वाकांक्षा, उसका अहंकार, हो यह मत करवाता रहा है। यह धर्म का नकाब ओढ़े अवर्म है।

धर्म एक या अनेक—मूल प्रश्न यह है कि क्या धर्म अनेक है या हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अनेकान्तिक शैक्षी से यह होगा कि धर्म एक भी है और अनेक भी, साध्यात्मक धर्म या धर्मों का माध्य एक है जब कि माध्यनात्मक धर्म अनेक हैं। माध्य रूप में धर्मों की एकता और माध्यन रूप में अनेकता को ही यथार्थ दृष्टिकोण कहा जा सकता है। मभो धर्मों का माध्य है मपद्व-लाभ (ममावि) अर्थात् आन्तरिक तथा बाह्य

शार्नित की स्थापना तथा उसके लिए दिक्षोभ के जनक राग-द्वेष और अस्मिता (अहंकार) का निराकरण। लेकिन राग-द्वेष और अस्मिता के निराकरण के उपाय क्यों हैं? यहीं विचारभेद प्रारम्भ होता है, लेकिन यह विचारभेद विरोध का आधार नहीं बन सकता। एक ही साध्य की ओर उन्मुख होने से दररपर विगोद्धि नहीं कहे जा सकते। एक ही केन्द्र से योजित होने वाली परिविधि से लिखी हुई विभिन्न रेखाओं में पारस्परिक विरोध प्रतीत अवश्य होता है किन्तु वह यथार्थ में होता नहीं है। क्योंकि केन्द्र से संयुक्त प्रत्येक रेखा में एक-दूसरे को काटने की क्षमता नहीं होती है किन्तु जैसे ही वह केन्द्र का परित्याग करती है वह दूसरी रेखाओं को अवश्य ही काटती है। साध्य रूपी एकता में ही साधनरूपी धर्मों की अनेकता स्थित है। अतः यदि धर्मों का साध्य एक है तो उनमें विगोद्ध कैसा? अनेकान्त या अनाप्राह धर्मों की साध्यपरक मूलभूत एकता और साधनपरक अनेकता को दृष्टि करता है।

विश्व के विभिन्न धर्मचार्यों ने अपने युग की तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने सिद्धान्तों एवं साधना के बाह्य नियमों का प्रतिपादन किया। देश-कालगत परिमितियों और साधक की साधना की क्षमता की विभिन्नता के कारण धर्म साधना के बाह्य रूपों में भिन्नताओं का आ जाना स्वाभाविक ही था और ऐसा हुआ भी। किन्तु मनुष्य की अपने धर्मचार्यों के प्रति क्षमता (गगान्मकता) और उसके मन में अपने व्याप्त आग्रह और अहंकार ने उसे अपने धर्म या साधना-पद्धति को ही एक मात्र एवं अन्तिम सत्य मानने को बाध्य किया। फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों और उनके बीच साम्प्रदायिक वैमनस्य का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य-स्वभाव बड़ा विचित्र है। उसके अहं को जरा सी छोट लगते ही वह अपना अखाड़ा अलग बनाने को तैयार हो जाता है। यद्यपि वैयक्तिक अहं सम्प्रदायों के निर्माण का एक कारण अवश्य है लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं है। बौद्धिक भिन्नता और देश-कालगत तथ्य भी इसके कारण रहे हैं और इसके अतिरिक्त पूर्वप्रचलित परम्पराओं में आई हुई विकृतियों के संशोधन के लिए भी सम्प्रदाय बने। धार्मिक सम्प्रदाय बनने के कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? १. अनुचित कारण—(१) ईर्ष्या के कारण, (२) किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि की लिप्ता के कारण, (३) पूर्वसम्प्रदाय में अनबन के कारण; २. उचित कारण—(४) किसी आचार सम्बन्धी नियमोपनियम में भेद के कारण, (५) किसी विशेष सत्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एवं (६) किसी साम्प्रदायिक परम्परा या क्रिया में द्वय, क्षेत्र एवं काल के अनुसार संशोधन या परिवर्तन करने की दृष्टि से। उपरोक्त कारणों में अन्तिम तीन को छोड़कर शेष सभी कारणों से उत्पन्न सम्प्रदाय आग्रह, धार्मिक असहिष्णुता और साम्प्रदायिक कटृता को जन्म देते हैं।

विश्व इतिहास का अध्येता इसे भलीभांति मानता है कि धार्मिक असहिष्णुता ने विश्व में जघन्य दृष्टिस्थ कराये हैं। आश्चर्य तो यह है कि इस दमन, अत्याचार, नृशं-

सता और रक्षणावन को धर्म का बाना पहनाया गया। शान्ति-प्रदाता धर्म ही अशान्ति का कारण बना। आज के वैज्ञानिक युग में धार्मिक अनास्था का एक मुख्य कारण यह भी है। यद्यपि विभिन्न मतों, पंथों और वादों में बाह्य भिन्नता परिलक्षित होती है किन्तु यदि हमारी दृष्टि व्यापक और अनाश्रयी हो तो इसमें भी एकता और समन्वय के मूल परिलक्षित हो सकते हैं।

अनेकान्त विचार-दृष्टि विभिन्न धर्म मम्प्रदायों की समाप्ति के द्वारा नकता का प्रयाम नहीं करती है क्योंकि वैयक्तिक शृच्छेद एवं क्षमताभेद तथा देवकालगत भिन्नताओं के होने हुए विभिन्न धर्म एवं विचार सम्प्रदायों की उपस्थिति अपशिर्हार्य है। एक धर्म या एक सम्प्रदाय का नारा असंगत एवं अव्यावहारिक ही नहीं अपितु अशान्ति और संघर्ष का कारण भी है। अनेकान्त, विभिन्न धर्म मम्प्रदायों की समाप्ति का प्रयाम नहीं होकर उन्हें एक व्यापक पूर्णता में सुसंगत रूप में संयोजित करने का प्रयाम हो सकता है। लेकिन इमके लिए प्राथमिक आवश्यकता है धार्मिक महिष्णुता और सर्वधर्म ममभाव की।

अनेकान्त के ममर्थक जैनाचार्यों ने मदेव धार्मिक महिष्णुता का परिचय दिया है। आचार्य हृग्भद्र की धार्मिक महिष्णुता तो गर्वविदित ही है। अपने ग्रन्थ शास्त्रबाली समूच्चय में उन्होंने बुद्ध के अनात्मवाद और न्यायदर्शन के ईश्वरकर्तृत्ववाद, वेदान्त के मर्दात्मवाद (वद्वाद्वाद) में भी मंगति दिखाने का प्रयाम किया। उनकी गमस्वयवादी दृष्टि का संकेत हम पूर्व में ऊरु कर चुके हैं।

इमप्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने भी शिव-प्रतिमा को प्रणाम करते समय सर्वदेव-ममभाव का परिचय देने हुए कहा था—

भवबीजांकुर जनना, नगाद्याध्यमूपागना यस्य।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो, जिनो वा नमस्तम्मे।

संमार परिभ्रमण के कारण रागादि जिमके क्षय हो चुके हैं, उस मैं प्रणाम करता हूँ चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या जिन हो।

उपाध्याय यशोविजय जी लिखते हैं—

“मच्चा अनेकान्तवादी किमी दर्शन में देव नहीं करता। वह मम्पूर्ण दृष्टिकोण (दर्शनों) को इम प्रकार वान्यन्य दृष्टि में देखता है जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को। क्योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनार्थिक बुद्धि नहीं हो सकती। वान्यव में मच्चा शास्त्रज कहे जाने का अधिकारी वही हूँ जो स्पाद्वाद का आलम्बन लेकर मम्पूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है। माध्यस्थ भाव ही शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है, यही धर्मवाद है। माध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्र के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोड़ों शास्त्रों का ज्ञान भी

बृथा है।^{११} एक सच्चा जैन सभी धर्मों एवं दर्शनों के प्रति सहिष्णु होता है। वह सभी में सत्य का दर्शन करता है। परमयोगी जैन सन्त आनन्दघनजी लिखते हैं—

थट् दरमण जिन अंग भणीजे, न्याय पड़ंग जो माघे रे,
नमि जिनवरना चरण उपासक, पटदर्शन आराघे रे।

राजनीतिक सहिष्णुता

आज का राजनीतिक जगत् भी वैचारिक संकुलता से परिपूर्ण है। पूँजीवाद, समाजवाद, सम्प्रवाद, फार्मिस्टवाद, नाजीवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराएं तथा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, कुलतन्त्र, अधिनायकतन्त्र आदि अनेकानेक शासन प्रणालियाँ बहंमान में प्रचलित हैं। मात्र इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक एकदूसरे की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील है। विश्व के गप्ट खेमों में बैठे हुए हैं और प्रत्येक खेमे का अग्रणी राष्ट्र अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने के हेतु दूसरे के विनाश में तत्पर है। मुख्य बात यह है कि आज का राजनीतिक संघर्ष आधिक हितों का संघर्ष न होकर वैचारिकता का संघर्ष है। आज अमेरिका और रूस अपनी वैचारिक प्रमुखता के प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ही प्रतिष्पर्धी में लगे हुए हैं। एकदूसरे को नामदेष करने की उनकी यह महत्वाकांक्षा कहो मानव-जाति को हां नामशेष न कर दं।

आज के राजनीतिक जीवन में अनेकान्त के दो व्यावहारिक फलित—वैचारिक सहिष्णुता और समन्वय—अत्यन्त उपादेय हैं। मानव-जाति ने राजनीतिक जगत् में राजतन्त्र से प्रजातन्त्र तक की जो लम्बी यात्रा तय की है उसकी सार्थकता अनेकान्त दृष्टि को अपनाने में ही है। विरोधी पक्ष के द्वारा की जाने वाली आलोचना के प्रति सहिष्णु होकर, उसके द्वारा अपने दोषों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, आज के राजनीतिक जीवन की मबसे बड़ी आवश्यकता है। विपक्ष की धारणाओं में भी सत्यता हो सकती है और सबल विरोधी दल को उपस्थिति से हमें अपने दोषों के निराकरण का अच्छा अवसर मिलता है—इस विचार-दृष्टि और सहिष्णु भावना में ही प्रजातन्त्र का भविष्य उज्ज्वल रह सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में संमील्य प्रजातन्त्र (पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी) वस्तुतः राजनीतिक अनेकान्तवाद है। इस परम्परा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार अल्पमत दल को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मान्य करती है और यथासम्भव उसमें लाभ भी उठाती है। दार्शनिक क्षेत्र में जहाँ भारत अनेकान्तवाद का सर्जक है, वहीं वह राजनीतिक क्षेत्र में संमील्य प्रजातन्त्र का समर्थक भी है। अतः आज अनेकान्त का व्यावहारिक क्षेत्र में उपयोग करने का दायित्व भारतीय राजनीतिज्ञों पर है।

सामाजिक एवं पारिवारिक सहिष्णुता

कौटुम्बिक दोष में इस पद्धति का उपयोग परस्पर कुटुम्बों में और कुटुम्ब के सदस्यों में संघर्ष को टालकर शान्तिपूर्ण बातावरण का निर्माण करेगा। सामान्यतया पारिवारिक जीवन में संघर्ष के दो केन्द्र होते हैं—पिता-पुत्र तथा सास-बहू। इन दोनों के विवादों में मूल कारण दोनों का दृष्टिभेद है। पिता जिस परिवेश में पला है उन्हीं संस्कारों के आधार पर पुत्र का जीवन ढालना चाहता है। जिस मान्यता को स्वयं मानकर बैठा है, उन्हीं मान्यताओं को दूसरे से मनवाना चाहता है। पिता की दृष्टि अनुभवप्रधान होती है जबकि पुत्र की दृष्टि तर्कप्रधान। एक प्राचीन संस्कारों से प्रस्त होता है तो दूसरा उन्हें समाप्त कर देना चाहता है। यही स्थिति सास-बहू में होती है। सास यह अपेक्षा करती है कि बहू ऐसा जीवन जिये जैसा उसने स्वयं बहू के रूप में जिया था, जबकि बहू अपने युग के अनुरूप और अपने मातृपक्ष के संस्कारों से प्रभावित जीवन जीना चाहती है। मात्र इतना ही नहीं, उसकी अपेक्षा यह भी होती है कि वह उतना ही स्वतन्त्र जीवन जीये जैसा वह अपने माता-पिता के पास जीती थी। इसके विपरीत श्वमुर पक्ष उससे एक अनुशासित जीवन की अपेक्षा करता है। यही सब विवाद के कारण बनते हैं। इसमें जब तक सहिष्णु दृष्टि और दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया जाता तब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। वस्तुतः इसके मूल में जो दृष्टिभेद है उसे अनेकान्त पद्धति से सम्यक् प्रकार जाना जा सकता है।

वास्तविकता यह है कि हम जब दूसरे के सम्बन्ध में कोई विचार करें, कोई निर्णय लें तो हमें स्वयं अपने को उम स्थिति में खड़ा कर मोचना चाहिए। दूसरे की भूमिका में स्वयं को खड़ा करके ही उसे सम्यक् प्रकार में जाना जा सकता है। पिता पुत्र से जिम बात की अपेक्षा करता है, उसके पहले अपने को पुत्र की भूमिका में खड़ा कर विचार कर ले। अधिकारी कर्मचारी से जिम दृग से काम लेना चाहता है उसके पहले स्वयं को उम स्थिति में खड़ा करे, फिर निर्णय ले। यही एक दृष्टि है जिसके द्वारा एक सहिष्णु मानस का निर्माण किया जा सकता है, और मानव-जाति को वैचारिक संघर्षों से बचाया जा सकता है।

अनाश्रृह की अवधारणा के फलित—सत् अनन्त पहलुओं से युक्त है तथा मानवीय ज्ञान के माध्यम सीमित एवं सापेक्ष है, अतः सामान्य व्यक्ति का ज्ञान सीमित (आंशिक) और सापेक्ष होता है। दूसरे आश्रृह, जो वस्तुतः वैचारिक राग ही है, सत्य को रंगीन बना देता है। रागात्मिका बुद्धि भी सत्य को विकृत कर देती है। परिणामस्वरूप सामान्य व्यक्ति को जो भी ज्ञान होता है वह अपूर्ण तो होता ही है, अशुद्ध भी होता है। अतः सत्यान्वेषण एवं विचारशुद्धि की आवश्यक शर्तें निम्न हैं—

१. सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान सामान्य मानव के लिए सम्भव नहीं है, सत्य के अनेक

- पहलू हमारे लिए आवृत बने रहते हैं। अतः दूसरों के विचार एवं ज्ञान में भी सत्यता सम्भव है, यह बात स्वीकार करनी होगी।
२. सत्यान्वेषण आप्रहबुद्धि के द्वारा सम्भव नहीं है। अनाप्रही दृष्टि ही सत्य को प्रदान कर सकती है।
 ३. राग-द्वेषजन्य संस्कारों से ऊपर उठकर 'मेरा सो सच्चा' के स्थान पर 'सच्चा सो मेरा' यह दृष्टि रखना चाहिए। सत्य चाहे अपने पास हो या विरोधी के पास, उसे स्वीकार करने के लिए सदैव तथार रहना चाहिए।
 ४. जब तक हम राग-द्वेष के संस्कारों से अपने को ऊपर नहीं उठा सकें और पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकें तब तक केवल सत्य के प्रति जिज्ञासा रखना चाहिए। सत्य अपना या पराया नहीं होता है।
 ५. अपने विचार पक्ष के प्रति भी विपक्ष के समान तीव्र समालोचक दृष्टि रखना चाहिए।
 ६. विपक्ष के सत्य को उसी के दृष्टिकोण के आधार पर समझने का प्रयास करना चाहिए।
 ७. अनुभव या ज्ञान की वृद्धि के साथ यदि नये सत्यों का प्रकटन हो तथा पूर्व-प्रहीत विचार असत्य प्रतीत हों तो आप्रहबुद्धि का त्याग कर नये विचारों को स्वीकार करना चाहिए और पुरानी मान्यताओं को तदनुरूप संशोधित करना चाहिए।
 ८. विरोध को स्थिति में प्रज्ञापूर्वक समन्वय के मूत्र खोजने का प्रयास करना चाहिए।
 ९. दूसरों के विचारों के प्रति महिष्णु दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि उनके विचारों में भी सत्यता की सम्भावना निहित है।

अनासक्ति (अपरिग्रह)

अहिंसा और अनाप्रह के बाद जैन आचारदर्शन का तीसरा प्रमुख मिठान्त अनासक्ति है। अहिंसा, अनाप्रह और अनासक्ति इन तीन तत्त्वों के आधार पर ही जैन आचारदर्शन का भव्य महल खड़ा है। यही अनासक्ति सामाजिक नैतिकता के क्षेत्र में अपरिग्रह बन जाती है।

जैन धर्म में अनासक्ति

जैन आचारदर्शन में जिन पांच महावतों का विवेचन है, उनमें से तीन महावत अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अनासक्ति के ही व्यावहारिक रूप हैं। व्यक्ति के अन्दर निहित आसक्ति दो रूपों में प्रकट होती है—१. संग्रह-भावना और २. भोग-भावना। संग्रह-भावना और भोग-भावना से प्रेरित होकर ही मनुष्य दूसरों के अधिकार की

वस्तुओं का अपहरण करता है। इस प्रकार आमकित बाह्यतः तीन रूपों में होती है— १. अपहरण (शोषण), २. भोग और ३. संग्रह। आमकित के तीन रूपों का नियम करने के लिए जैन आचारदर्शन में अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रतों का विधान है। संग्रह-वृत्ति का अपरिग्रह से, भोगवृत्ति का ब्रह्मचर्य से और अपहरणवृत्ति का अस्तेय महाव्रत से नियम होता है।

उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार समग्र जागतिक दुःखों का मूल कारण तृष्णा है। वहा गया है—जिसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है उसका मोह समाप्त हो जाता है और जिसका मोह मिट जाता है उसके दुःख भी समाप्त हो जाते हैं।^१ आसकित का ही दूषणा नाम लोभ है और लोभ समग्र सद्गुणों का विनाशक है।^२ जैन विचारणा के अनुमार तृष्णा एक ऐसी खाई है जो कभी भी पाठी नहीं जा सकती। दृष्टिरूप तृष्णा का कभी अन्त नहीं आता। उत्तराध्ययनसूत्र में इसे स्पष्ट करने हुए कहा गया है कि यदि मोने और चाँदी के कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत भी खड़े कर दिये जायें तो भी यह दृष्टिरूप तृष्णा शान्त नहीं हो सकती, क्योंकि धन चाहे कितना भी हो, वह सीमित है और तृष्णा अनन्त (अमीम) है, अतः सीमित माध्यनों में इस असीम तृष्णा की पूर्ति नहीं की जा सकती।^३ किन्तु जब तक तृष्णा शान्त नहीं होती, तब तक दुःखों से मुक्ति भी नहीं होती। मूरक्षतांग के अनुमार मनुष्य जब तक किसी भी प्रकार की आसकित रक्षता है वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता।^४ यदि हम अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो जैन दर्शनिकों की दृष्टि में तृष्णा या आसकित दुःख का पर्यायवाची ही बन गयी है। यह तृष्णा या आसकित ही परिग्रह (मंग्रहवृत्ति) का मूल है। आसकित ही परिग्रह है।^५ जैन आचार्यों ने जिम अपरिग्रह के मिदान्त का प्रतिपादन किया उसके भूल में यही अनासक्त-प्रधान दृष्टि कार्य कर रही है। यद्यपि आसकित एक मानसिक तथ्य है, मन की ही एक वृत्ति है, तथापि उसका प्रकटन बाह्य है और उसका सोना मम्बन्ध बाह्य वस्तुओं से है। वह सामाजिक जीवन को दूषित करती है। अतः आसकित के प्रहाण के लिए व्यावहारिक रूप में परिग्रह का त्याग भी आवश्यक है।

परिग्रह या मंग्रहवृत्ति सामाजिक हिमा है। जैन आचार्यों की दृष्टि में समग्र परिग्रह हिमा से प्रत्युत्पन्न है। क्योंकि विना हिमा (शोषण) के संग्रह अमम्भव है। व्यक्ति संग्रह के द्वारा दूसरों के हितों का हनन करता है और इस रूप में मंग्रह या परिग्रह हिमा का ही एक रूप है। वह हिमा या शोषण का जनक है। अनासकित को जीवन में उतारने के लिए जैन आचार्यों ने यह आवश्यक माना कि मनुष्य बाह्य-परिग्रह का भी त्याग

१. उत्तराध्ययन, ३२८.

२. दशर्वकालिक, ८१३।

३. उत्तराध्ययन, ११४।

४. मूरक्षतांग, १११२।

५. दशर्वकालिक, ६१२।

करे। परिप्रह-त्याग अनासक्त दृष्टि का बाह्य जीवन में प्रमाण है। एक और विपुल संग्रह और दूसरी ओर अनासक्ति, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। यदि मन में अनासक्ति की भावना का उदय है तो उसे बाह्य व्यवहार में अनिवार्य रूप से प्रकट होना चाहिए। अनासक्ति की धारणा को व्यावहारिक रूप देने के लिए गृहस्थ जीवन में परिप्रह-मर्यादा और श्रमण जीवन में समग्र परिप्रह के त्याग का निर्देश है। दिगम्बर जैन मूनि का आत्मनितक अपरिप्रही जीवन अनासक्त दृष्टि का सजीव प्रमाण है। अपरिप्रही होते हुए भी व्यक्ति के मन में आसक्ति का तत्त्व रह सकता है, लेकिन इस आधार पर यह मानना कि विपुल संग्रह को रखते हुए भी अनासक्त वृत्ति का पूरी तरह निर्वाह हो सकता है, समुचित नहीं है।

जैन आचारदर्शन में यह आवश्यक माना गया है कि साधक चाहे गृहस्थ हो या श्रमण, उसे अपरिप्रह की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि राष्ट्रों एवं वर्गों की संग्रह एवं शोषण-वृत्ति ने मानव-जाति को कितने कष्टों में डाला है। जैन आचारदर्शन के अनुमार समविभाग और समवितरण साधना का आवश्यक अंग है। जैनविचारधारा में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो समविभाग और समवितरण नहीं करता उसको मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति पापी ही है।^१ समविभाग और समवितरण सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के अनिवार्य अंग हैं। इसके बिना आध्यात्मिक उपलब्धि भी संभव नहीं। अतः जैन आचार्यों ने नैतिक साधना की दृष्टि से अनासक्ति को अनिवार्य माना है।

बौद्ध धर्म में अनासक्ति—बौद्धपरम्परा में भी अनासक्ति को समग्र बन्धनों एवं दुःखों का मूल माना गया है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा के नष्ट हो जाने पर सभी बन्धन स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा दुष्पूर्य है। वे कहते हैं कि चाहे स्वर्ण-मुद्राओं की वर्षा होने लगे, लेकिन उससे भी तृष्णायुक्त मनुष्य की तृप्ति नहीं होती।^२ भगवान् बुद्ध की दृष्टि में तृष्णा ही दुःख है^३ और जिसे यह विषयी नीच तृष्णा धेर लेती है उसके दुःख वैसे ही बढ़ने रहते हैं, जैसे खेतों में वीरण घास बढ़ती रहती है।^४ बौद्धदर्शन में तृष्णा तीन प्रकार की मानी गयी है—१. भवतृष्णा, २. विभवतृष्णा और ३. कामतृष्णा। भवतृष्णा अस्तित्व या बने रहने की तृष्णा है, यह रागस्थानीय है। विभवतृष्णा समाप्त या नष्ट हो जाने की तृष्णा है। यह द्वेषस्थानीय है। कामतृष्णा भोगों की उपलब्धि की तृष्णा है। रूपादि छह विषयों की भव, विभव और कामतृष्णा के आधार पर बौद्ध परम्परा में तृष्णा के १८ भेद भी माने गये हैं। तृष्णा ही बन्धन है। बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि बुद्धिमान् लोग उस बन्धन को बन्धन नहीं कहते जो लोहे का बना हो,

१. उत्तराध्यनन, १७। ११; प्रश्नव्याकरण, २। ३.

२. धर्मपद, १। ८६.

३. संयुतनिकाय, २। १। २। ६६, १। १। ६५.

४. धर्मपद, ३। ३५.

लकड़ी का बना हो अथवा रस्सी का बना हो, अपितु दृढ़तर बन्धन तो सोना, चांदी, पुत्र, स्त्री आदि में रही हुई आसक्ति ही है।^१ सुत्तनिपात में भी बुद्ध ने कहा है कि आसक्ति ही बन्धन है^२ जो भी दुःख होता है वह सब तृष्णा के कारण ही होता है।^३ आसक्त मनुष्य आमक्त के कारण नाना प्रकार के दुःख उठाते हैं।^४ आसक्ति का क्षय ही दुःखों का क्षय है। जो व्यक्ति इस तृष्णा को बच में कर लेता है उसके दुःख उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं जैसे कमलपत्र पर रहा हुआ जल-बिन्दु शीघ्र ही समाप्त हो जाता है।^५ तृष्णा से ही शोक और भय उत्पन्न होते हैं। तृष्णा-मुक्त मनुष्य को न तो भय होता है और न शोक।^६ इस प्रकार बुद्ध की दृष्टि में आसक्ति ही बास्तविक दुःख है और अनासक्ति ही सच्चा मुख है। बुद्ध ने जिस अनात्मवाद का प्रतिपादन किया, उसके पीछे भी उनकी मूल दृष्टि आसक्ति-नाश ही थी। बुद्ध की दृष्टि में आसक्ति, चाहे वह पदार्थों की हो, चाहे वह किसी अतीन्द्रिय आत्मा के अस्तित्व की हो, बन्धन ही है। अस्तित्व की चाह तृष्णा ही है। मुक्ति तो विरागता या अनासक्ति में ही प्रतिफलित होती है।^७ तृष्णा का प्रहाण होना ही निर्वाण है। बुद्ध की दृष्टि में परिप्रह या मंग्रह-वृत्ति का मूल यही आमक्ति या तृष्णा है। कहा गया है कि परिप्रह का मूल इच्छा (आसक्ति) है।^८ अतः बुद्ध की दृष्टि में भी अनासक्ति की वृत्ति के उदय के लिए परिप्रह का विमर्जन आवश्यक है।

गीता में अनासक्ति—गीता के आचारदर्शन का भी केन्द्रीय तत्त्व अनासक्ति है। महात्मा गांधी ने तो गीता को 'अनासक्ति-योग' हो कहा है। गीताकार ने भी यह स्पष्ट किया है कि आसक्ति का तत्त्व ही व्यक्ति को संग्रह और भोगवाना के लिए प्रेरित करता है। कहा गया है कि आमक्ति के बन्धन में बैधा हुआ व्यक्ति कामभोग की पूर्ति के लिए अन्याय-पूर्वक अर्थ-संग्रह करता है।^९ इस प्रकार गीताकार की स्पष्ट मान्यता है कि आर्थिक धेन में अपहरण, शोषण और संग्रह की जो बुराइयाँ पनपती हैं वे सब मूलतः आमक्ति से प्रत्युत्पन्न हैं। गीता के अनुमार आसक्ति और लोभ नरक के कारण है। कामभोगों में आमक्त मनुष्य ही नरक और अशुभ योनियों में जन्म लेता है।^{१०} सम्पूर्ण जगत् इसी आसक्ति के पाश में बैधा हुआ है और इच्छा और द्वेष में सम्मोहित होकर परिव्रमण करता रहता है। वस्तुतः आसक्ति के कारण वैयक्तिक और सामाजिक जीवन नाग्नीय बन जाता है। गीता के नैतिक दर्शन का सारा जोर फलामक्ति को ममाप्त करने पर है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्मों के कल में रही हुई आमक्ति का त्याग कर-

१. धर्मपद, ३४५.

२. सुत्तनिपात, ६८।६

३. वही, ३८।१७.

४. येरगाथा, १६।७३।८.

५. धर्मपद, ३३६.

६. वही, २१६.

७. मजिसमनिकाय, ३।२०.

८. महानिहेमपालि, १।१।१०७.

९. गीता, १६।१२.

१०. वही, १६।१६.

निष्काम भाव से कर्म कर।^१ गीताकार ने आसक्ति के प्रहाण का जो उपाय बताया है वह यह है कि सभी कुछ भगवान् के चरणों में समर्पित कर और कर्तृत्व भाव से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन अनासक्ति के उदय और आसक्ति के प्रहाण को अपने नैतिकदर्शन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। आसक्ति के प्रहाण के दो ही उपाय हैं। आध्यात्मिक रूप में आसक्ति के प्रहाण के लिए हृदय में सन्तोषवृत्ति का उदय होना चाहिए, जबकि व्यावहारिक रूप में आसक्ति के प्रहाण के लिए जैन आचारदर्शन में मुक्षायी गयी परिघ्रह की मीमा-रेखा का निर्धारण भी आवश्यक है। जब तक हृदय में सन्तोषवृत्ति का उदय नहीं होता, तब तक यह दुष्पूर्य तृष्णा एवं आसक्ति समाप्त नहीं होती। उत्तराध्ययन सूत्र में जो यह कहा गया है कि 'लाभ से लोभ बढ़ता जाता है', उसी का सन्त मुन्दरदासजी ने एक सुन्दर चित्र खींचा है। वे कहते हैं कि—

जो दस बीम पचास भये, शत होई हजार तु लाख मगेगी ।
कोटि अरब्ब अरब्ब अमर्य, धरापति होने की चाह जगेगी ॥
स्वर्गं पतालं को राज करो, तिमता अधिको अति आग लगेगी ।
सुन्दर एक संतोष बिना, शठ तेरी तो भूख कबहूँ न भगेगी ॥

पाइचात्य विचारक महात्मा टालस्टाय ने भी How Much Land Does A Man Require नामक कहानी में एक ऐसा ही सुन्दर चित्र खींचा है। कहानी का सारांश यह है कि कथानायक भूमि की असीम तृष्णा के पीछे अपने जीवन की बाजी भी लगा देता है, किन्तु अन्त में उसके द्वारा उपलब्ध किये गये विस्तृत भू-भाग में केवल उसके शब को दफनाने जितना भू-भाग ही उसके उपयोग में आता है।

वस्तुतः तृष्णा की समाप्ति का एक ही उपाय है—हृदय में सन्तोषवृत्ति या त्याग भावना का उदय। महाभारत के आदिपर्व में ययाति ने कहा है कि जिस प्रकार अग्नि में धृत डालने से अग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार कामभोगों से तृष्णा शान्त नहीं होती, वरन् बढ़ती ही जाती है। तृष्णा की अग्नि केवल त्याग के द्वारा ही शान्त हो सकती है। अतः मनुष्य को तृष्णा का त्याग कर, सच्चे सुख की शोध करना चाहिए और वह सुख उसे संतोषमय जीवन जीने से ही उपलब्ध हो सकता है।

अनासक्ति के प्रश्न पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार

जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराएँ अनासक्ति के सैद्धान्तिक पक्ष पर समानरूप से बल देती हैं, किन्तु उसके व्यावहारिक फलित अपरिघ्रह के सिद्धान्त को लेकर उनमें भत-

भेद भी है। जहाँ जैन-दर्शन के अनुमार अनासक्त होने के लिए अपरिग्रही होना आवश्यक है, वहाँ गीता और बौद्ध दर्शन यह नहीं मानते हैं कि अनासक्त होने के लिए अपरिग्रही होना आवश्यक नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार अनासक्त जीवन दृष्टि का प्रमाण यही है कि व्यक्ति का बाह्यजीवन मर्वथा अपरिग्रही हो। परिग्रह का हाना स्पष्टतया इस बात का सूचक है कि व्यक्ति मे अभी अनासक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि जैनधर्म की दिगम्बर परम्परा मुक्ति के लिए बाह्य परिग्रह का पूर्णतया त्याग आवश्यक मानती है। यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा यह मानती है कि पूर्ण अनासक्त वृत्ति का उदय तो बिना परिग्रह का पूर्ण त्याग किये भी हो सकता है, किन्तु वह भी इतना तो अवश्य मानती ही है कि अनासक्ति का पूर्ण प्रकटन होने पर व्यक्ति बाह्य परिग्रह मे उलझा हुआ नहीं रहता है, वह उसका परित्याग कर मुनि बन जाता है। दोनों मे अन्तर मात्र यही है कि प्रथम के अनुसार बाह्य परिग्रह का त्याग होने पर ही केवल्य की प्राप्ति होती है तो दूसरे के अनुसार बाह्य परिग्रह का त्याग होने के पूर्व भी केवल्य हो सकता है। यद्यपि कैवल्यलाभ के बाद दोनों के ही अनुमार व्यक्ति मर्वथा अपरिग्रही हो ही जाता है।

गीता के अनुमार, अनासक्त वृत्ति के लिए परिग्रहन्याग आवश्यक नहीं है। वैदिक परम्परा के जनक पूर्ण अनासक्त होने हुए भी राजकाज का संचालन करते रहते हैं, जबकि जैन परम्परा का भगत पूर्ण अनासक्ति के बाने ही राजकाज छोड़कर मुनि बन जाता है। अनासक्ति और अपरिग्रह के मंदर्भ मे जैन परम्परा विचारणा और आचारणा की एकत्रिता पर जितना बल देती है उतना वैदिक परम्परा नहीं। वैदिक परम्परा के अनुसार अन्तस् मे अनासक्ति और बाह्य जीवन मे परिग्रह दोनों एक माय सम्भव है। इस मम्बन्ध मे बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण भी जैन परम्परा के अधिक निकट है। फिर भी उसे जैन और वैदिक परम्पराओं के मध्य रखना ही उचित होगा। जैन धर्म ने जहाँ मुनि-जीवन के लिए परिग्रह के पूर्ण त्याग और गृहस्थ जीवन मे परिग्रह-परिमीमन की अवधारणा प्रस्तुत की, वहाँ बौद्ध धर्म ने केवल भिक्षु के लिए स्वर्ण-जतरूप परिग्रह त्याग की अवधारणा प्रस्तुत की। उसमे गृहस्थ के लिए परिग्रह परिमीमन का प्रश्न नहीं उठाया गया है। गीता और वैदिक परम्परा यद्यपि संचय और परिग्रह की निन्दा करती है, फिर भी वे परिग्रहन्याग को अनिवार्य नहीं बताती हैं। अनासक्ति और अपरिग्रह को लेकर तीनों परम्पराओं मे यही मूलभूत अन्तर है।

वस्तुतः अनासक्ति का अर्थ है—ममत्व का विसर्जन। समत्व—चाहे वह व्यक्ति क ही या सामाजिक—के मर्जन के लिए ममत्व का विसर्जन आवश्यक है। अनासक्ति और अपरिग्रह मे एक ही अन्तर है, वह यह कि अपरिग्रह मे ममत्व के विसर्जन के साथ ही सम्पदा का विसर्जन भी आवश्यक है। अनासक्ति, अमूर्च्छा या अलोभ का प्रश्न निरा

वैयक्तिक है किन्तु अपरिग्रह का प्रश्न केवल वैयक्तिक नहीं, सामाजिक भी है। परिग्रह (सम्पदा) के अर्जन, संग्रह और विसर्जन सभी सीधे-सीधे समाज जीवन को प्रभावित करते हैं। अर्जन सामाजिक आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है तो संग्रह अर्थ के समवितरण को प्रभावित करता है। मात्र यही नहीं अर्थ का विसर्जन भी लोककल्याण-कारी प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। अतः परिग्रह के अर्जन, उपभोग, संग्रह और विसर्जन के प्रश्न पूरी तरह सामाजिक प्रश्न हैं।

समाज की आर्थिक प्रगति उमके सदस्यों की सम्पदा के अर्जन की आकांक्षा और श्रम निष्ठा पर निर्भर करती है। नैतिक दृष्टि में अर्थोपार्जन की प्रवृत्ति और श्रमनिष्ठा आलोच्य नहीं रही है। यह भय निरर्थक है कि अनामिक्त और अपरिग्रह से आर्थिक प्रगति अवश्य होगी। अपरिग्रह का सिद्धान्त अर्थ के अर्जन का वहाँ तक विरोधी नहीं है जहाँ तक उसके साथ शोषण की दुष्प्रवृत्ति नहीं जुड़ती है। सम्पदा के अर्जन के साथ जब हिंसा शोषण और संग्रह की बुराइयाँ जुड़ती हैं तभी वह अनेकिक बनता है अन्यथा नहीं। भारतीय आर्थिक आदर्श रहा है 'शत हस्त समाहर सहस्र हस्त विकीर्ण' अर्थात् सी हाथों से इकट्ठा करो और महस्त हाथों में बाट दो। आर्थिक संघर्षों का जन्म तब होता है जब सम्पदा का वितरण विषम और उपभोग अनियन्त्रित होता है। संग्रह और शोषण को दुष्प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप जब एक ओर मानवता रोटी के टुकड़ों के अभाव की पीड़ा में सिसकती हो और दूसरी ओर ऐशो-आराम की रंगरेलियाँ चलती हों तब ही वर्ग-संघर्ष का जन्म होता है और सामाजिक शान्ति भंग होती है।

समाज-जीवन में शान्ति तभी सम्भव है, जब सम्पदा का उपभोग, संग्रह और वितरण नियन्त्रित हो। अपरिग्रह का सिद्धान्त इसी प्रश्न को लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जहाँ तक सम्पदा के अनियन्त्रित उपभोग और संग्रह का प्रश्न है, जैन धर्म गृहस्थ उपासक के उपभोग-परिभोगपरिसीमन और अनर्थदण्डविरमणव्रत के द्वारा उन पर नियन्त्रण लगाता है। किन्तु परिग्रह के विषम वितरण के लिए जो परिग्रहपरिसीमन का व्रत प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर कुछ प्रश्न उभरते हैं—प्रथम तो यह कि किसी व्यक्ति के परिग्रह की परिसीमा या मर्यादा क्या होगी? कितना परिग्रह रखना उचित माना जायगा और कितना अनुचित। दूसरे परिग्रह की इस परिसीमा का निर्धारण कौन करेगा—व्यक्ति या समाज। इन प्रश्नों को लेकर डॉ० कमलचन्द्र सोगाणी ने अपने एक लेख में विचार किया है।^१ जैन आचार्यों ने इन प्रश्नों को खुला छोड़ दिया था, उन्होंने यह मान लिया था कि व्यक्ति कितना परिग्रह रखे और कितना त्याग दे यह उसकी आवश्यकता और उसके स्वविवेक पर निर्भर करेगा। क्योंकि प्रत्येक की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न हैं। एक उद्योगपति की आवश्यकताएँ और एक प्रोफेसर की आवश्यकताएँ निविचित

१. देखें—तीर्थंकर, मई १९७७, पृ० ७-९.

ही भिन्न-भिन्न होगी। यही नहो, एक देश के नागरिक को आवश्यकताएँ दूसरे देश के नागरिक की आवश्यकताओं से भिन्न होगी। युग के आधार पर भी आवश्यकताएँ बदलती हैं। अतः परिग्रह की मीमा का निर्धारण देश, काल, व्यक्ति और परिस्थित पर निर्भर होगा। आज अर्थशास्त्री भी इस बात को मानकर चलने हैं कि जो वस्तुएँ एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं वे ही दूसरे के लिए विलासिता हो सकती हैं। एक कार टाक्टर के लिए आवश्यक और विश्वविद्यालय के कैम्पस में रहने वाले प्रोफेसर के लिए विलासिता की वस्तु होगी। अतः परिग्रह-मर्यादा का कोई सार्वभीम मानदण्ड सम्भव नहो है। तो क्या इस प्रश्न को व्यक्ति के स्वविकेत पर खुला छोड़ दिया जाये? यदि व्यक्ति विवेक-शील और संयमी है तब तो निश्चय ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार उसे है, किन्तु स्थिति इससे भिन्न भी है। यदि व्यक्ति स्वार्थी और वामनाप्रधान है तो निश्चय ही निर्णय का यह अधिकार व्यक्ति के हाथ से छीनकर समाज के हाथों में भोगा होगा, जैसा कि आज समाजवादी व्यवस्था मानती है। यद्यपि इम श्यानि में चाहे गमदा का समवितरण एवं सामाजिक शान्ति सम्भव भी हो किन्तु मानविक शान्ति गम्भव नहों होगी। वह तो तभी सम्भव होगी जब व्यक्ति की तृणा शान्त होगी और जीवन में अनासक्त दृष्टि का उदय होगा। जब अपरिग्रह अनासक्ति से फलित होगा तभी व्यक्ति और समाज में मजबी शान्ति आएगी।

सामाजिक धर्म

जैन आचारदर्शन में न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म की विवेचना की गयी है, बरन् धर्म के सामाजिक पहलू पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। जैन विचारकों ने मंथ या सामाजिक जीवन की प्रमुखता सदैव स्वीकार की है। स्थानांगसूत्र में सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में दस धर्मों का विवेचन उपलब्ध है—१. ग्रामधर्म, २. नगरधर्म, ३. राष्ट्रधर्म, ४. पालण्डधर्म, ५. कुलधर्म, ६. गणधर्म, ७. संघधर्म, ८. सिद्धान्तधर्म (श्रुतधर्म), ९. चारित्रधर्म और १०. अस्तिकायधर्म। इनमें से प्रधम सात तो पूरी तरह से सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं।

१. ग्रामधर्म—ग्राम के विकास, व्यवस्था तथा शान्ति के लिए जिन नियमों को ग्रामवासियों ने भिलकर बनाया है, उनका पालन करना ग्रामधर्म है। ग्रामधर्म का अर्थ है जिस ग्राम में हम निवास करते हैं, उस ग्राम को व्यवस्थाओं, मर्यादाओं एवं नियमों के अनुरूप कार्य करना। ग्राम का अर्थ व्यक्तियों के कुलों का समूह है। अतः सामृद्धिक रूप में एक-दूसरे के सहयोग के आधार पर ग्राम का विकास करना, ग्राम के अन्दर पूरी तरह व्यवस्था और शान्ति बनाये रखना और आपस में वैमनस्य और क्लेश उत्पन्न न हो उसके लिए प्रयत्नशील रहना ही ग्रामधर्म के प्रमुख तत्व हैं। ग्राम में शान्ति एवं व्यवस्था नहीं हैं, तो वहाँ के लोगों के जीवन में भी शान्ति नहीं रहती। जिस परिवेश में हम जीते हैं, उसमें शान्ति और व्यवस्था के लिए आवश्यक रूप से प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक ग्रामवासी सदैव इस बात के लिए जागृत रहे कि उसके किसी आचरण से ग्राम के हितों को चोट न पहुँचे। ग्रामधर्म की व्यवस्था के लिए जैन आचार्यों ने ग्रामस्थिर की व्यवस्था भी की है। ग्रामस्थिर ग्राम का मुखिया या नेता होता है। ग्रामस्थिर का प्रयत्न रहता है कि ग्राम की व्यवस्था, शान्ति एवं विकास के लिए, ग्रामजनों में पारस्परिक स्नेह और सहयोग बना रहे।

२. नगरधर्म—ग्रामों के मध्य में स्थित एक केन्द्रीय ग्राम को जो उनका व्यावसायिक केन्द्र होता है, नगर कहा जाता है। सामान्यतः ग्राम-धर्म और नगरधर्म में विशेष अन्तर नहीं है। नगरधर्म के अन्तर्गत नगर की व्यवस्था एवं शान्ति, नागरिक-नियमों का पालन एवं नागरिकों के पारस्परिक हितों का संरक्षण-संवर्धन आता है।

१. स्थानांग १०।७६०

विशेष विवेचना के लिए देखिए—(अ) धर्म व्यास्था (श्री जवाहरलालजी म०)
(ब) धर्म दर्शन (श्री शुभलचन्द्रजी म०)

लेकिन नागरिकों का उत्तरदायित्व के बल नगर के हितों तक ही सीमित नहीं है। युगीन सन्दर्भ में नगरबर्म यह भी है कि नागरिकों के द्वारा ग्रामवासियों का शोषण न हो। नगरजनों का उत्तरदायित्व ग्रामीणजनों की अपेक्षा अधिक है। उन्हें न केवल अपने नगर के विकास एवं व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए बरन् उन समग्र ग्रामवासियों के हित की भी चिन्ता करनी चाहिए; जिनके आचार पर नगर की व्यावसायिक तथा आर्थिक स्थितियाँ निर्भर हैं। नगर में एक योग्य नागरिक के रूप में जीना, नागरिक कर्तव्यों एवं नियमों का पूरी तरह पालन करना ही मनुष्य का नगरबर्म है।

जैन सूत्रों में नगर की व्यवस्था आदि के लिए नगरस्थविर की योजना का उल्लेख है। आधुनिक युग में जो स्थान एवं कार्य नगरपालिका अथवा नगरनिगम के अध्यक्ष के हैं, जैन परम्परा में वही स्थान एवं कार्य नगरस्थविर के हैं।

३. राष्ट्रधर्म—जैन विचारणा के अनुसार प्रत्येक ग्राम एवं नगर किसी राष्ट्र का अंग होता है और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना होती है जो प्रामीणों एवं नागरिकों को एक राष्ट्र के सदस्यों के रूप में आपस में बांधकर रखती है। राष्ट्रधर्म का तात्पर्य है राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना अथवा जीवन की विशिष्ट प्रणाली को सजीव बनाये रखना। राष्ट्रीय विष्णि-विधान, नियमों एवं भयदाओं का पालन करना ही राष्ट्रधर्म है। आधुनिक सन्दर्भ में राष्ट्रधर्म का तात्पर्य है राष्ट्रीय एकता एवं निष्ठा को बनाये रखना तथा राष्ट्र के नागरिकों के हितों का परस्पर धात न करते हुए, राष्ट्र के विकास में प्रयत्नशील रहना, राष्ट्रीय शासन के नियमों के विरुद्ध कार्य न करना, राष्ट्रीय विधि-विधानों का आदर करते हुए उनका समुचित रूप से पालन करना। उपासकदर्शांगसूत्र में राज्य के नियमों के विपरीत आचरण करना दोषपूर्ण माना गया है। जैनागमों में राष्ट्रस्थविर का विवेचन भी उपलब्ध है। प्रजातंत्र में जो स्थान राष्ट्रपति का है वही प्राचीन भारतीय परम्परा में राष्ट्रस्थविर का होगा, यह माना जा सकता है।

४. पाखण्डधर्म—जैन आचार्यों ने पाखण्ड की अपनी व्याख्या की है। जिसके द्वारा पाप का स्फूर्त होता हो वह पाखण्ड है।^१ दशवैकालिकनियुक्ति के अनुसार पाखण्ड एक व्रत का नाम है। जिसका व्रत निर्मल हो, वह पाखण्डी।^२ सामान्य नैतिक नियमों का पालन करना ही पाखण्डधर्म है। सम्प्रति पाखण्ड का अर्थ ढोंग हो गया है, वह अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है। पाखण्डधर्म का तात्पर्य अनुशासित, नियमित एवं संयमित जीवन है। पाखण्डधर्म के लिए व्यवस्थापक के रूप में प्रशास्ता-स्थविर का दृष्टि से विचार करने पर यह समष्ट लगता है कि वह जनता को धर्मोपदेश के माध्यम से नियंत्रित करनेवाला अधिकारी है। प्रशास्ता-स्थविर का कार्य लोगों को

धार्मिक निष्ठा, संयम एवं द्रष्टव्य-पालन के लिए प्रेरित करते रहता है। हमारे विचार में प्रशास्ता-स्थविर राजकीय धर्माधिकारी के समान होता होगा जिसका कार्य जनता को सामान्य नैतिक जीवन की शिक्षा देना होता होगा।

५. कुलधर्म—परिवार अथवा वंश-परम्परा के आचार-नियमों एवं मर्यादाओं का पालन करना कुलधर्म है। परिवार का अनुभवी, बृद्ध एवं योग्य व्यक्ति कुलस्थविर होता है। परिवार के मदस्थ कुलस्थविर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और कुलस्थविर का कर्तव्य है परिवार का मंदर्थन एवं विकास करना तथा उसे गलत प्रवृत्तियों से बचाना। जैन परम्परा में गृहस्थ एवं मुनि दोनों के लिए कुलधर्म का पालन आवश्यक है, यद्यपि मुनि का कुल उसके पिता के आधार पर नहीं बरन् गुरु के आधार पर बनता है।

६. गणधर्म—गण का अर्थ समाज आचार एवं विचार के व्यक्तियों का समूह है। महावीर के समय में हमें गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। गणराज्य एक प्रकार के प्रजासत्तात्मक राज्य होते हैं। गण धर्म का तात्पर्य है गण के नियमों और मर्यादाओं का पालन करना। गण दो माने गये हैं—१. लोकिक (साधारिक) और २. लोकोत्तर (धार्मिक)। जैन परम्परा में वर्तमान युग में भी सामुद्रो के गण होते हैं जिन्हे गच्छ कहा जाता है। प्रत्येक गण (गच्छ) के आचार-नियमों में घोड़ा-बहुत अन्तर भी रहता है। गण के नियमों के अनुसार आचरण करना गणधर्म है। परस्पर सहयोग तथा मैत्री रखना गण के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। गण का एक गणस्थविर होता है। गण की देशकालगत परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थाएँ देना, नियमों को बनाना और पालन करवाना गणस्थविर का कार्य है। जैन विचारणा के अनुसार बार-बार गण को बदलने वाला साधक होन डृष्टि से देखा गया है। बुद्ध ने भी गण की उन्नति के नियमों का प्रतिपादन किया है।

७. संघधर्म—विभिन्न गणों से मिलकर संघ बनता है। जैन आचारों के संघधर्म की व्याख्या संघ या सभा के नियमों के परिपालन के रूप में की है। संघ एक प्रकार की राज्यीय संस्था है जिसमें विभिन्न कुल या गण मिलकर सामूहिक विकास एवं व्यवस्था का निश्चय करते हैं। संघ के नियमों का पालन करना संघ के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है।

जैन परम्परा में संघ के दो रूप हैं १. लौकिक संघ और २. लोकोत्तर संघ। लौकिक संघ का कार्य जीवन के भौतिक पथ की व्यवस्थाओं को देखना है, जबकि लोकोत्तर संघ का कार्य आध्यात्मिक विकास बरना है। लौकिक संघ हो या लोकोत्तर संघ हो, संघ के प्रत्येक मदस्थ का यह अनिवार्य कर्तव्य माना गया है कि वह संघ के नियमों का पूरी तरह पालन करें। संघ में किसी भी प्रकार के मनमुटाव अथवा संघर्ष के लिए कोई भी कार्य नहीं करें। एकता को अख्यात बनाये रखने के लिए सदैव ही

प्रयत्नशील रहे। जैन परम्परा के अनुमार साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इन चारों में मिलकर संघ का निर्माण होता है। नन्दीसूत्र में संघ के महत्व का विस्तार-पूर्वक सुन्दर विवेचन हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि जैन में नंतिक साधना में संघीय जीवन का कितना अधिक महत्व है।^१

८ श्रुतधर्म—सामाजिक दृष्टि से श्रुतधर्म का तात्पर्य है शिक्षण-व्यवस्था सम्बन्धी नियमों का पालन करना। शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार हो यह श्रुतधर्म का ही विषय है। सामाजिक संदर्भ में श्रुतधर्म से तात्पर्य शिक्षण की सामाजिक या संघीय व्यवस्था है। गुरु और शिष्य के कर्तव्यों तथा पारस्परिक सम्बन्धों का बोध और उनका पालन श्रुतधर्म या ज्ञानार्जन का अनिवार्य अंग है। योग्य शिष्य को ज्ञान देना गुरु का कर्तव्य है, जहाँकि शिष्य का कर्तव्य गुरु की आज्ञाओं का श्रद्धा-पूर्वक पालन करना है।

९ चारित्रधर्म—चारित्रधर्म का तात्पर्य है श्रमण एवं गृहस्थ धर्म के आचार-नियमों का परिपालन करना। यद्यपि चारित्रधर्म का बहुत कुछ न-न्य वैयक्तिक साधना से है, तथापि उनका सामाजिक पहलू भी है। जैन आचार न-नियमों एवं उपनियमों के पीछे सामाजिक दृष्टि भी है। अर्हिसा सम्बन्धी मभी नि., और उपनियम सामाजिक शान्ति के संस्थापन के लिए है। अनाग्रह सामाजिक जीवन से वैचारिक विद्वेष एवं वैचारिक संवर्धन को समाप्त करता है। इसी प्रकार अपरिग्रह सामाजिक जीवन से संग्रह वृत्ति, अस्तेय और शोषण को समाप्त करता है। अर्हिसा, अनाग्रह और अपरिग्रह पर आधारित जैन आचार के नियम-उपनियम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सामाजिक दृष्टि से युक्त हैं यह माना जा सकता है।

१०. अस्तिकायधर्म—अस्तिकायधर्म का बहुत कुछ मम्बन्ध तत्त्वमोमांगा से है, अतः उसका विवेचन यहाँ अप्राप्यंगिक है।

इम प्रकार जैन आचारों ने न केवल वैयक्तिक एवं आध्यात्मिक पक्षों के सम्बन्ध में विचार किया वरन् सामाजिक जीवन पर भी विचार किया है। जैन सूत्रों में उपलब्ध नगरधर्म, ग्रामधर्म, राष्ट्रधर्म आदि का वर्णन इम बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जैन आचार-दर्शन सामाजिक पक्ष का यथोचित मूल्यांकन करते हुए उसके विकास का भी प्रयास करता है।

जैनधर्म और सामाजिक दायित्व

यद्यपि प्राचीन जैन आगम साहित्य में सामाजिक दायित्व का विस्तृत विवेचन उपलब्ध नहीं है किन्तु उसमें यत्न-तत्र कुछ विलारे हुए ऐसे सूत्र हैं, जो व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों को स्पष्ट करते हैं। जैन आगमों को अपेक्षा परवर्ती साहित्य में मुनि और

१. नन्दीसूत्र-पोठिका, ४-१७

गृहस्थ उपासक दोनों के ही सामाजिक दायित्वों की विस्तृत चर्चा है। सर्व प्रथम हम मुनि के सामाजिक दायित्वों की चर्चा करेंगे।

जैन मुनि के सामाजिक दायित्व—यद्यपि मुनि का मूल लक्ष्य आत्म-साधना है फिर भी प्राचीन जैन आगमों में उसके लिए निम्न सामाजिक दायित्व निर्दिष्ट हैं—

१. नीति और वर्द्ध का प्रकाशन—मुनि का सर्व प्रथम सामाजिक दायित्व यह है कि वह नगरों या ग्रामों में जाकर जनसाधारण को सन्मार्ग का उपदेश देवे। आचारांग में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि मुनि ग्राम एवं नगर की पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में जाकर घनी-निर्धन या ठंड-नीच का भेद किये बिना सभी को धर्ममार्ग का उपदेश दें। इस प्रकार जन साधारण को नैतिक जीवन एवं सदाचार की ओर प्रवृत्त करना यह मुनि का प्रथम सामाजिक दायित्व है। वह समाज में नैतिकता एवं सदाचार का प्रहरी है। समाज अनैतिकता की ओर अप्रसर न हो यह देखना उसका दायित्व है। चूँकि मुनि भिक्षा आदि के रूप में जीवन निर्वाह के साधन समाज से उपलब्ध करता है, इसलिए समाज का प्रत्युपकार करना उसका कर्तव्य है।

२. संघ की प्रभावना एवं संघ की प्रतिष्ठा की रक्षा—सामाज्य रूप से संघ का और विशेष रूप से आचार्य, गणी एवं गच्छ नायक का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे संघ की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखें। उन्हें इस बात का व्यान रखना होता है कि संघ की प्रतिष्ठा का रक्षण हो, संघ का परामर्श न हो, जैनधर्म के प्रति उपासक वर्ग की आस्था बनी रहे और उसके प्रति लोगों में अश्रद्धा का भाव उत्पन्न न हो। निशीघ्नचूर्णी आदि में उल्लेख है कि संघ की प्रतिष्ठा के रक्षण निमित्त अपवाद मार्ग का भी सहारा लिया जा सकता है—उदाहरणार्थ मुनि के लिए मन्त्र-तंत्र करना, चमत्कार बताना या तप-ऋद्धि का प्रदर्शन करना बिजित है किन्तु संघहित और धर्म प्रभावना के लिए वह यह सब कर सकता है^१। इस प्रकार संघ का संरक्षण आवश्यक माना गया है क्योंकि वह साधना की आधार भूमि है।

३. भिक्षु-भिक्षुणियों की सेवा एवं परिचर्या—जैन मुनि का तीसरा सामाजिक दायित्व संघ-सेवा है। महावीर एवं बृद्ध की यह विशेषता है कि उन्होंने सामुहिक साधना पढ़ति का विकास किया और भिक्षु संघ एवं भिक्षुणी संघ जैसी सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया। जैनागमों में प्रत्येक भिक्षु और भिक्षुणी का यह अनिवार्य कर्तव्य माना गया है कि वे अन्य भिक्षुओं और भिक्षुणियों की सेवा एवं परिचर्या करें। यदि वे किसी ऐसे ग्राम या नगर में पहुँचते हैं कि जहाँ कोई रोगी या बृद्ध भिक्षु पहले से निवास कर रहा हो तो उनका प्रथम दायित्व होता है कि वे उसकी यथोचित परिचर्या करें और यह व्यान रखें कि उनके कारण उसे असुविधा न हो।^२ संघ व्यवस्था में आचार्य, उपाध्याय;

स्थविर (वृद्ध-मुनि), दोगी (ग्लान), अध्ययनरत नवदीक्षित मुनि, कुल, संघ और साधर्मी की सेवा परिचर्या के विशेष निर्देश दिये गये थे।

४. भिक्षुणी संघ का रक्षण—निशीथचूर्णि के अनुसार मुनिसंघ का एक अन्य दायित्व यह भी था कि वह असामाजिक एवं दुराचारी लोगों से भिक्षुणी संघ की रक्षा करें। ऐसे प्रसंगों पर यदि मुनि मर्यादा भंग करके भी कोई आवरण करना पड़ता तो वह क्षम्य माना जाता था^१।

५. संघ के आदेशों का परिचालन—प्रत्येक स्थिति में संघ (ममाज) सर्वोपरि था। आचार्य जो संघ का नायक होता था, उसे भी संघ के आदेश का पालन करना होता था। वैयक्तिक साधना की अपेक्षा भी संघ का हित प्रधान माना गया था। संघ के हितों और आदेशों की अवमानना करने पर दण्ड देने की व्यवस्था थी। श्वेताम्बर साहित्य में यहाँ तक उल्लेख है कि पाटलीपुत्र वाचना के समय संघ के आदेश की अवमानना करने पर आचार्य भद्रबाहु को संघ से बहिष्कृत कर देने तक के निर्देश दे दिये थे।

गृहस्थ वर्ग के सामाजिक दायित्व

१. भिल-भिक्षुणियों की सेवा—उपासक वर्ग का प्रथम सामाजिक दायित्व था आहार, औपयज्ञ आदि के द्वारा श्रमण संघ की सेवा करना। अपनी दैहिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में मुनिवर्ग पूर्णतया गृहस्थों पर अवलम्बित था अतः गृहस्थों का प्राथमिक कर्तव्य था कि वे उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अतिथि संविभाग को गृहस्थों का धर्म माना गया था^२। इस दृष्टि से उन्हें भिक्षु-भिक्षुणी संघ का 'माता-पिता' कहा गया था। यद्यपि साधु-साधियों के लिए भी यह स्पष्ट निर्देश था कि वे गृहस्थों पर भार स्वरूप न बढ़े।

२. परिवार की सेवा—गृहस्थ का दूसरा सामाजिक दायित्व अपने वृद्ध माता-पिता, पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि परिजनों की सेवा एवं परिचर्या करना है। श्वेताम्बर साहित्य में उल्लेख है कि महावीर ने माता का अपने प्रति अत्यधिक स्नेह देखकर यह निर्णय ले लिया था कि जब तक उनके माता-पिता जीवित रहेंगे वे संन्यास नहीं लेंगे। यह माता-पिता के प्रति भक्ति भावना का सूचक ही है। यद्यपि इस सम्बन्ध में दिगम्बर परम्परा का दृष्टिकोण भिन्न है। जैनधर्म में संन्यास लेने के पहले पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति पाना आवश्यक माना गया है। मुक्त जैन आण्मों में एक भी उल्लेख ऐसा देखने को नहीं मिला कि जहाँ बिना परिजनों की अनुमति से किसी व्यक्ति ने संन्यास ग्रहण किया हो। जैनधर्म में आज भी यह परम्परा अक्षुण्णक्षण से कायम है। कोई भी व्यक्ति बिना परिजनों एवं समाज (संघ) की अनुमति के संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता है।

मृता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके पीछे मूल भावना यही है कि व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर ही संन्यास प्राप्त करे। इम बात की पुष्टि अन्तकृतदशा के निम्न उदाहरण से होती है— जब श्रीकृष्ण को यह जात हो गया कि द्वारिका का शोध ही बिनाश होने वाला है, तो उन्होंने स्पष्ट धोयणा करवा दी कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है किन्तु इस कारण से नहीं ले पा रहा हो कि उसके माता-पिता, पुत्र-पुत्री एवं पत्नी का पालन-पोषण कीन करेगा—तो उनके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व मैं बहन करूँगा। यद्यपि बुद्ध ने प्रारम्भ में संन्यास के 'लाग' परिजनों की अनुमति को आवश्यक नहीं माना था अतः अनेक युवकों ने परिजनों की अनुमति के बिना ही संघ में प्रवेश ले लिया था किन्तु आगे बढ़कर उन्होंने भी यह नियम बना दिया था कि बिना परिजनों की अनुमति के उपमध्यदा प्रदान नहीं की जाये। मात्र यही नहीं उन्होंने यह भी घोषित कर दिया है कि ऋणी, राजकार्य सेवक या मैनिक को भी, जो सामाजिक उत्तरदायित्वों से भाग कर भिक्षु बनना चाहते हैं, बिना पूर्व अनुमति के उपमध्यदा प्रदान नहीं की जावे। हिन्दू-धर्म भी पितृ-ऋण अर्थात् सामाजिक दायित्व को चुकाये बिना-संन्यास की अनुमति नहीं देता है। चाहे संन्यास लेने का प्रश्न हो या गृहस्थ जीवन में ही आत्मसाधना की बात हो—सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना आवश्यक माना गया है।

३. विवाह एवं सन्तान प्राप्ति—जैनधर्म मूलतः निवृत्तिप्रधान है अतः आगम ग्रन्थों में विवाह एवं पति-पत्नी के पारम्परिक दायित्वों की चर्चा नहीं मिलती है। जैनधर्म हिन्दूधर्म के समान न तो विवाह को अनिवार्य करत्य भानता है और न सन्तान प्राप्ति को। किन्तु इसा की ५वीं शती एवं पश्चातीं कथा साहित्य में इन दायित्वों का उल्लेख है। जैन पीराणिक साहित्य तो भगवान ऋषभदेव को विवाह संस्था का संस्थापक ही बताता है। आदिपुराण में विवाह एवं पति-पत्नी के पारम्परिक एवं सामाजिक दायित्वों की चर्चा है उसमें विवाह के दो उद्देश्य बताए गये हैं—१. कामवासना की तृप्ति और २. सन्तानोत्पत्ति। जैनाचार्यों ने विवाह संस्था को यौन-सम्बन्धों के नियंत्रण एवं वैधी-करण के लिए आवश्यक माना था। गृहस्थ का स्वपत्नी संतोषवत् न केवल व्यक्ति की कामवासना को नियंत्रित करता है अपितु सामाजिक जीवन में यौन-व्यवहार को परिलकृत भी बनाता है। अविवाहित स्त्री से यौनसम्बन्ध स्थापित करने, वेश्यागमन करने आदि का निषेध इसी बात का सूचक है। जैनधर्म सामाजिक जीवन में यौन सम्बन्धों की शुद्धि को आवश्यक मानता है। विवाह के उद्देश्य पर प्रकाश ढालते हुए आदिपुराण में बताया गया है कि जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति उसके उपशमनार्थ कटु-ओषधि का सेवन करता है, उसी प्रकार काम-ज्वर से समर्प्त हुआ प्राणी उसके उपशमनार्थ स्त्रीरूपी

बीषणि का सेवन करता है। यहाँ जैनधर्म की निवृत्तिप्रधान दृष्टि कोअसुष्ण रखते हुए बैवाहिक जीवन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। बैवाहिक जीवन की आवश्यकता न बैल यौन-वासना की संतुष्टि के लिए अपितु कुल जाति एवं धर्म का संबद्धन करने के लिए भी है। आदिपुराण में यह भी उल्लेख है कि विवाह न करने से सन्तति का उच्छेद हो जाता है, सन्तति के उच्छेद से धर्म का उच्छंद हो जाता है अतः विवाह गृहस्थों का धार्मिक कर्तव्य है^१।

बैवाहिक जीवन में परस्पर प्रीति को आवश्यक माना गया है, यद्यपि जैनधर्म का मुख्य बल वासनात्मक प्रेम को अपेक्षा समर्पण भावना या विशुद्ध प्रेम की ओर अधिक है। नेमि और राजूल तथा विजयसेठ और विजया सेठानी के वासनाग्रहित प्रेम की चर्चा से जैन कथा साहित्य परिपूर्ण है। इन दोनों युगलों की गौरवगाथा आज भी जैन समाज ने श्रद्धा के साथ गाई जाती है। विजय सेठ और विजया सेठानी का जीवन-नृत् गृहस्थ जीवन में रहकर ब्रह्मचर्य के पालन का सर्वोच्च आदर्श माना जाता है।

बैवाहिक जीवन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं जैसे विवाह-विच्छेद, विधवा-विवाह, पुनर्विवाह आदि के विधि-निषेध के सम्बन्ध में हमें स्पष्ट उल्लेख तो प्राप्त नहीं होते हैं कि जैन कथासाहित्य में इन प्रवृत्तियों को सदैव ही अनैतिक माना जाता रहा है। अपवादरूप से कुछ उदाहरणों को छाड़कर जैन समाज में अभी तक इन प्रवृत्तियों का प्रचलन नहीं है और न ऐसी प्रवृत्तियों को अच्छी निगाह से देखा जाता है। यद्यपि विधवा विवाह और पुनर्विवाह के समर्थक ऋषभदेव के जीवन का उदाहरण देते हैं। जैन कथा माहित्य के अनुसार ऋषभदेव ने एक युगलिये की अकाल मृत्यु हो जाने पर उभकी बहन/पत्नी से विवाह किया था। जैन कथा साहित्य के अनुसार ऋषभदेव के पूर्व बहन ही यीवनावस्था में पत्नी बनती थी, उन्होंने ही इस प्रथा को समाप्त कर विवाह संस्था की स्थापना की थी अतः यह मानना उचित नहीं है कि उन्होंने विधवा विवाह किया था। समाज में बहुपल्ली प्रथा की उपस्थिति के अनेक उदाहरण जैन आगम साहित्य और कथा साहित्य में मिलते हैं, यद्यपि बहुपति प्रथा का एक मात्र द्वौपदी का उदाहरण ही उपलब्ध है—किन्तु इनका कहीं समर्थन किया गया हो या इन्हें नैतिक और धार्मिक दृष्टि में उचित मानः गया हो ऐसा कोई भी उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया। आदर्श के रूप में सदैव ही एक पत्नी व्रत या एक-पतिव्रत की प्रशंसा की गई है।

वस्तुतः जैनधर्म वैयक्तिक नैतिकता पर बल देकर सामाजिक सम्बन्धों को शुद्ध और मधुर बनाता है। उसके सामाजिक आदेश निम्न हैं:—

जीवधर्म में सामाजिक जीवन के निष्ठा सूत्र

१. सभी आत्माएँ स्वरूपतः समान हैं, अतः सामाजिक-जीवन में ऊँच-नीच के बर्ग-ब्रेद सहै मत करो । —उत्तराध्ययन १२।३७.
२. सभी आत्माएँ समान रूप से सुखाभिलाषी हैं, अतः दूसरे के हितों का हनन, शोषण या अपहरण करने का अधिकार किसी को नहीं है । —आचारांग १।२।३।३.
३. सबके साथ वैसा व्यवहार करो, जैसा तुम उनसे स्वयं के प्रति चाहते हो । —समणसुतं २४.
४. संसार के सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखो, किसी से भी वृणा एवं विहेष मत रखो । —समणसुतं ८६
५. गृणीजनों के प्रति आदर-भाव और हुप्टजनों के प्रति उपेक्षा-भाव (तटस्थ-वृत्ति) रखो । —सामायिक पाठ १
६. संसार में जो हुःसी एवं पीड़ित जन हैं, उनके प्रति करुणा और वास्तव्यभाव रखो और अपनी स्थिति के अनुरूप उन्हें सेवा-सहयोग प्रदान करो ।

जीवधर्म में सामाजिक जीवन के व्यवहार सूत्र

उपासकदशांगसूत्र, योगशास्त्र एवं रत्नकरण्ड श्रावकाचार में वर्णित श्रावक के गुणों, वारह जटों एवं उनके अतिचारों से निम्न सामाजिक आचारनियम फलित होते हैं:—

१. किसी निर्दोष प्राणी को बन्दी मत बनाओ अर्थात् सामान्य जनों की स्वतन्त्रता में बाधक मत बनो ।
२. किसी का वध या अंगछेद मत करो, किसी से भी मर्यादा से अधिक काम मत लो, किसी पर शक्ति से अधिक बोझ मत लादो ।
३. किसी की आजीविका में बाधक मत बनो ।
४. पारस्परिक विश्वास को भंग मत करो । न तो किसी की अमानत हड्प जाओ और न किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट करो ।
५. सामाजिक जीवन में गलत सलाह मत दो, अफवाहें मत फैलाओ और दूसरों के चरित्र-हनन का प्रयास मत करो ।
६. अपने स्वार्थ की सिद्धि-हेतु असत्य घोषणा मत करो ।
७. न तो स्वयं चोरी करो, न चोर को सहयोग दो और न चोरी का माल खरीदो ।
८. व्यवसाय के क्षेत्र में नापन्तील में प्रामाणिकता रखो और वस्तुओं में मिलावट मत करो ।
९. राजकीय नियमों का उल्लंघन और राज्य के करों का अपवंचन मत करो ।
१०. अपने योन सम्बन्धों में अनैतिक आचरण मत करो । वेश्या-संसर्ग, वेश्या-वृत्ति एवं उसके द्वारा घन का अर्जन मत करो ।

११. अपनी सम्पत्ति का परिसीमन करो और उसे लोक हितार्थ व्यय करो ।
१२. अपने व्यवसाय के क्षेत्र को सीमित करो और वर्जित व्यवसाय मत करो ।
१३. अपनी उपभोग सामग्री की बर्यादा करो और उसका अति संग्रह मत करो ।
१४. वे सभी कार्य मत करो, जिससे तुम्हारा कोई हित नहीं होता है ।
१५. यथा सम्भव अतिथियों की, सन्तज्ञों की, पीड़ित एवं असहाय व्यक्तियों की सेवा करो । अन्न, वस्त्र, आवास, औषधि आदि के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो ।
१६. क्रोध मत करो, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करो ।
१७. दूसरों की अवमानना मत करो, विनीत बनो, दूसरों का आदर-सम्मान करो ।
१८. कपटपूर्ण व्यवहार मत करो । दूसरों के प्रति व्यवहार में निश्चल एवं प्रामाणिक रहो ।
१९. तृष्णा मत रखो, आसक्ति मत बढ़ाओ ।
२०. व्याय-नीति से घन उपार्जन करो ।
२१. शिष्ट पुरुषों के आचार की प्रशंसा करो ।
२२. प्रसिद्ध देशाचार का पालन करो ।
२३. सदाचारी पुरुषों की संगति करो ।
२४. माता-पिता की सेवा-भक्ति करो ।
२५. रगड़े-झगड़े और बलेड़े पैदा करने वाली जगह से दूर रहो, अर्थात् चित्त में ज्ञान उत्पन्न करने वाले स्थान में न रहो ।
२६. आय के अनुसार व्यय करो ।
२७. अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वस्त्र पहनो ।
२८. धर्म के साथ अर्थ-पुरुषार्थ, काम-पुरुषार्थ और मोक्ष-पुरुषार्थ का इस प्रकार सेवन करो कि कोई किसी का बाधक न हो ।
२९. अतिथि और साधु जनों का यथायोग्य सत्कार करो ।
३०. कभी दुराघात के बशीभूत न होओ ।
३१. देश और काल के प्रतिकूल आचरण न करो ।
३२. जिनके पालन-पोषण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर हो, उनका पालन-पोषण करो ।
३३. अपने प्रति किये हुए उपकार को नम्रता पूर्वक स्वीकार करो ।
३४. अपने सदाचार एवं सेवा-कार्य के द्वारा जनता का प्रेम सम्पादित करो ।
३५. लज्जाशील बनो । अनुचित कार्य करने में लज्जा का अनुभव करो ।
३६. परोपकार करने में उद्यत रहो । दूसरों को सेवा करने का अवसर आने पर पीछे मत हटो ।

उपर्युक्त और अन्य कितने ही आचार नियम ऐसे हैं, जो जैन-नीति की सामाजिक सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिक सम्बन्ध में उनकी व्याख्या एवं समीक्षा करें तथा उन्हें युगानुकूल बनाकर प्रस्तुत करें।

बौद्ध-परम्परा में सामाजिक धर्म—बौद्ध परम्परा में भी धर्म के सामाजिक पहलू पर प्रकाश ढाला गया है। बृद्ध ने स्वयं ही सामाजिक प्रगति के कुछ नियमों का निर्देश किया है। बृद्ध के अनुसार सामाजिक प्रगति के सात नियम हैं:—१. बार-बार एकत्र होना, २. सभी का एकत्र होना, ३. निविचित नियमों का पालन करना तथा जिन नियमों का विधान नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहना कि ये विधान किये गये हैं, अर्थात् नियमों का निर्माण कर उन नियमों के अनुसार हा आचरण करना, ४. अपने यहाँ के बृद्ध राजनीतिज्ञों का मान रखना और उनसे यथा-बसर परामर्श प्राप्त करने रहना, ५. विवाहित और अविवाहित स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना और उन्हें उचित मान देना, ६. नगर के और बाहर के देवस्थानों का समुचित रूप से संरक्षण करना और ७. अपने राज्य में आये हुए अर्हन्तों (बीतराग पुरुषों) को किसी प्रकार का कष्ट न हो तथा न आये हुए अर्हन्तों को राज्य में आने के लिए प्रोत्साहन मिले ऐसी सावधानी रखना। बृद्ध ने उपर्युक्त सात अम्युदय के नियमों का प्रतिपादन किया था और यह बताया था कि यदि (बज्जी) गण इन नियमों का पालन करता रहेगा तो उसकी उन्नति होगी, अवन्नति नहीं^१।

बृद्ध ने जैसे गृहस्थ वर्ग की उन्नति के नियम बताये, वैसे ही भिक्षु संघ के सामाजिक नियमों का भी विधान किया जिससे संघ में विवाद उत्पन्न न हो और संगठन बना रहे। बृद्ध के अनुमार इन नियमों का पालन करने से संघ में संगठन और एकता बनी रहती है—१. मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म, २. मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म, ३. मैत्रीपूर्ण मार्नासिक कर्म, ४. उपासकों से प्राप्त दान का सारे संघ के साथ सम-विभाजन, ५. अपने शील में किचित् भी ब्रूटि न रहने देना और ६. आर्य श्रावक को शोभा देने वाली सम्यक् दृष्टि रखना^२। इस प्रकार बृद्ध ने भिक्षु संघ और गृहस्थ संघ दोनों के ही सामाजिक जीवन के विकाम एवं प्रगति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश किया है। इतिवृत्तक में सामाजिक विघटन या संघ की फूट और सामाजिक संगठन या संघ के मेल (एकता) के दुष्परिणामों एवं सुपरिणामों की भी बृद्ध ने चर्चा की है^३।

बृद्ध की दृष्टि में जीवन के सामाजिक पक्ष का महत्व अत्यन्त स्पष्ट था। अंगुत्तर-निकाय में बृद्ध ने सामाजिक जीवन के चार सूत्र प्रस्तुत किये हैं, जो इस प्रकार हैं:—१. दानशीलता, २. स्नेहपूर्ण वचन, ३. बिना प्रतिफल के किया गया कार्य और १. उद्धृत-भगवान बृद्ध, पृ० ३१३-१८ ३. इतिवृत्तक, २।८-९ २. उद्धृत भगवान बृद्ध, पृ० १६६

४. सभी को एक समान समझना^१। वस्तुतः बुद्ध की दृष्टि में यह स्पष्ट था कि ये चारों ही सूत्र ऐसे हैं जो सामाजिक जीवन के सफल संचालन में सहायक हैं। सभी को एक समान समझना सामाजिक न्याय का प्रतीक है और बिना प्रतिफल की आकांक्षा के कार्य करना निष्काम सेवा-भाव का प्रतीक है। इसी प्रकार दानशीलता सामाजिक अधिकार एवं दायित्वों की और स्नेहपूर्ण वाणी सामाजिक सहयोग भावना की परिचायक है। बुद्ध सामाजिक दायित्वों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और यह स्पष्ट कर देते हैं कि असंयम और दुराचारमय जीवन जीते हुए देश का अन्न खाना वस्तुतः अनैतिक है। असंयमी और दुराचारी बनकर देश का अन्न खाने की अपेक्षा अग्निशिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम है (अतिवृत्तक ३५५०)।

बुद्ध ने सामाजिक जीवन के लिए सहयोग को आवश्यक कहा है। उनकी दृष्टि में सेवा की वृत्ति श्रद्धा और भक्ति से भी अग्रिक महत्वपूर्ण है। वे कहने हैं, भिक्षुओं, तुम्हारे माँ नहीं, तुम्हारे पिता नहीं हैं जो तुम्हारी परिचर्या करेंगे। यदि तुम एक दूसरे की परिचर्या नहीं करते तो कौन है जो तुम्हारी परिचर्या करेगा? जो मेरी परिचर्या करता है उसे रोगी की परिचर्या करना चाहिए।^२ बुद्ध का यह कथन महावीर के इस कथन के समान ही है कि रोगी की परिचर्या करने वाला ही सच्चे अर्थों में मेरी सेवा करनेवाला है। बुद्ध की दृष्टि में जो व्यक्ति अपने माता, पिता, पत्नी एवं बहन आदि को पीड़ा पहुँचाता है, उनकी सेवा नहीं करता है, वह वस्तुतः अधम ही है (मुत्तनिपात ७।९-१०)। सुत्तनिपात के पराभवसुत में कुछ ऐसे कारण वर्णित हैं जिनसे व्यक्ति का पतन होता है। उन कारणों में से कुछ सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं हम यहाँ उन्हीं की चर्चा करेंगे—१. जो समर्थ होने पर भी दुखले और बूढ़े माता-पिता का पोषण नहीं करता, २. जो पुरुष अकेला ही स्वादिष्ट भोजन करता है, ३. जो जाति, धर्म तथा गोत्र का गर्व करता है और अपने बन्धुओं का अपमान करता है, ४. जो अपनी स्त्री से असन्तुष्ट हो बेश्याओं तथा परस्तियों के साथ रहता है, ५. जो लालची और सम्पत्ति को बरवाद करने वाले किसी स्त्री या पुरुष को मुरुग स्थान पर नियुक्त करता है ये सभी बातें मनुष्य के पतन का कारण हैं (मुत्तनिपात ६।८, १२, १४, १८, २२)। इस प्रकार बुद्ध ने सामाजिक जीवन को बड़ा महत्व दिया है।

बौद्ध धर्म में सामाजिक दायित्व

भगवान् बुद्ध परिवारिक एवं सामाजिक जीवन में गृहस्थ उपासक के बतंव्यों का निदेश करते हुए दीघनिकाय के सिगालोवाद-सुत में कहने हैं कि गृहपति को माता-पिता आचार्य, स्त्री, पुत्र, मित्र, दाम (कर्मकर) और श्रमण-द्वाहण का प्रत्युपस्थान (सेवा)

१. अंगुत्तरनिकाय, II, ३२ उद्घृत—गोतम बुद्ध, पृ० १३२।

२. (ब) विनयपिटक I, ३०३ उद्घृत—गोतम बुद्ध पृ० १३५।

करना चाहिए। उपर्युक्त सुत में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इनमें से प्रत्येक के प्रति गृहस्थोपासक के क्या कर्तव्य है।

पुत्र के माता-पिता के प्रति कर्तव्य—(१) इन्होंने मेरा भरण-पोषण किया है अतः मुझे इनका भरण-पोषण करना चाहिए। (२) इन्होंने मेरा कार्य (सेवा) किया है अतः मुझे इनका कार्य (सेवा) करना चाहिए। (३) इन्होंने कुल-वंश को कायम रखा है, उसकी रक्षा की है अतः मुझे भी कुल-वंश को कायम रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। (४) इन्होंने मुझे उत्तराधिकार (दायज्ञ) प्रदान किया है अतः मुझे भी उत्तराधिकार (दायज्ञ) प्रतिपादन करना चाहिए। (५) मृत-प्रेतोंके निमित्त श्राद्ध-दान देना चाहिए।

माता-पिता का पुत्र पर प्रस्तुपकार—(१) पाप कार्यों से बचाते हैं (२) पुण्य कर्म में योजित करते हैं (३) शिल्प की शिक्षा प्रदान करते हैं (४) योग्य स्त्री से यिवाह कराते हैं और (५) उत्तराधिकार प्रदान करते हैं।

आचार्य (शिक्षक) के प्रति कर्तव्य—(१) उत्थान—उनको आदर प्रदान करना चाहिए। (२) उपस्थान—उनकी सेवा में उपस्थित रहना चाहिए। (३) सुश्रूषा—उनकी सुश्रूषा करनी चाहिए। (४) परिचर्या—उनकी परिचर्या करनी चाहिए। (५) विनय पूर्वक शिल्प सीखना चाहिए।

शिष्य के प्रति आचार्य का प्रस्तुपकार—(१) विनीत बनाते हैं। (२) सुन्दर शिक्षा प्रदान करते हैं। (३) हमारी विद्या परिपूर्ण होगी यह सोचकर सभी शिल्प और सभी श्रुत सिखलाते हैं। (४) मित्र-अमात्यों को सुप्रतिपादन करते हैं। (५) दिशा (विद्वा) की सुरक्षा करते हैं।

पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य—(१) पत्नी का सम्मान करना चाहिए। (२) उसका तिरस्कार या अबहेलना नहीं करनी चाहिए। (३) परस्ती गमन नहीं करना चाहिए (इससे पत्नी का विश्वास बना रहता है)। (४) ऐश्वर्य (सम्पत्ति) प्रदान करना चाहिए। (५) वस्त्र-अलंकार प्रदान करना चाहिए।

पति के प्रति पत्नी का प्रस्तुपकार—(१) वर के सभी कार्यों को सम्पक् प्रकार से सम्मादित करती है। (२) परिजन (नौकर-चाकर) को वश में रखती है। (३) दुरा-चरण नहीं करती है। (४) (पति द्वारा) अजित सम्पदा की रक्षा करती है। (५) गृह-कार्यों में निरालस और दक्ष होती है।

मित्र के प्रति कर्तव्य—(१) उन्हें उपहार (दान) प्रदान करना चाहिए। (२) उनसे प्रिय-बचन बोलना चाहिए। (३) अर्थ-बर्चा अर्बाति उनके कार्यों में सहयोग प्रदान

करना चाहिए । (४) उनके प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए । (५) उन्हें विश्वास प्रदान करना चाहिए ।

मित्र का प्रत्युपकार—(१) उसकी भूलों से रक्षा करते हैं (अर्थात् सही दिशा निर्देश करते हैं) । (२) उसकी सम्पत्ति की रक्षा करते हैं । (३) विपर्ति के समय शरण प्रदान करते हैं । (४) आपत्काल में साथ नहीं छोड़ते हैं । (५) अन्य लोग भी ऐसे (मित्र युक्त) पुरुष का सत्कार करते हैं ।

सेवक के प्रति इशारी के कर्तव्य—(१) उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य लेना चाहिए । (२) उसे उचित भोजन और बेतन प्रदान करना चाहिए । (३) रोगी होने पर उसको सेवा-सुश्रुषा करनी चाहिए । (४) उसे उत्तम रसों वाले पदार्थ प्रदान करना चाहिए । (५) समय-समय पर उसे अवकाश प्रदान करना चाहिए ।

सेवक का स्वामी के प्रति प्रत्युपकार—(१) स्वामी के उठने के पूर्व अपने कार्य करने लग जाते हैं । (२) स्वामी के सोने के पहचात ही सोते हैं । (३) स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तु का ही उपयोग करते हैं । (४) स्वामी के कार्यों को सम्यक् प्रकार से सम्पादित करते हैं । (५) स्वामी की कोति और प्रशंसा का प्रसार करते हैं ।

अमर ब्राह्मणों के प्रति कर्तव्य—(१) मैत्री भावयुक्त कायिक कर्मों से उनका प्रत्युपस्थान (सेवा-सम्मान) करना चाहिए । (२) मैत्रीभाव युक्त वाचिक कर्म से उनका प्रत्युपस्थान करना चाहिए । (३) मैत्रीभाव युक्त मानसिक कर्मों से उनका प्रत्युपस्थान करना चाहिए । (४) उनको दान-प्रदान करने हेतु सदैव द्वार खुला रखना चाहिए अर्थात् दान देने हेतु मदैव तत्पर रहना चाहिए । (५) उन्हें भोजन आदि प्रदान करना चाहिए ।

अमर ब्राह्मणों का प्रत्युपकार—(१) पाप कर्मों से निवृत्त करते हैं । (२) कल्याणकारी कार्यों में लगाते हैं । (३) कल्याण (अनुकूल्या) करने हैं । (४) अश्रुत (नवीन) ज्ञान मुनाने हैं । (५) श्रुत (अर्जित) ज्ञान को दृढ़ करते हैं । (६) स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं ।

वैदिक परम्परा में सामाजिक धर्म—जिस प्रकार जैन परम्परा में दस धर्मों का वर्णन है उसी प्रकार वैदिक परम्परा में मनु ने भी कुछ सामाजिक धर्मों का विधान किया है, जैसे १. देशधर्म २. जातिधर्म ३. कुलधर्म ४. पालण्डधर्म ५. गणधर्म^१ । मनु-स्मृति में वर्णित ये पाँचों ही सामाजिक धर्म जैन परम्परा के दस सामाजिक धर्मों में समाहित हैं । इतना ही नहीं, दोनों में न केवल नाम-साम्य है, बरन् अर्थ-साम्य भी है । गीता में भी कुलधर्म की चर्चा है । अजुन कुलधर्म को रक्षा के लिए ही युद्ध से बचने

१. दीघनिकाय—सिंगालोपाद, सुत्त ३।७।५ ।

२. मनुस्मृति १।१९८ ।

का प्रस्ताव करता है। जैन और बौद्ध परम्पराओं के ममान वैदिक परम्परा भी सामाजिक जीवन के लिए अनेक विधि-नियेशों को प्रस्तुत करती हैं। वैदिक परम्परा के अनुसार माता-पिता की सेवा एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करना व्यक्ति का कर्तव्य है। देवऋण, पितृऋण और गुरुऋण का विचार तथा अतिथिसत्कार का महत्व ये बातें स्पष्ट रूप से यह बताती हैं कि वैदिक परम्परा समाजपरक रहो हैं और उसमें सामाजिक दायित्वों का निर्बहन व्यक्ति के लिए आवश्यक माना यया है।

